दृष्टि
The Vision

करेंट अफेयर्स टुडे

वर्ष 6 | अंक 8 | कुल अंक 68 | फरवरी 2021 | ₹ 120

महत्त्वपूर्ण लेख

एक राष्ट्र, एक चुनाव : क्या, क्यों और कैसे?

कोविड-19 वैक्सीन : क्यों, किसे और कैसे?

पश्चिमी घाट की जैव-विविधता

टारगेट प्रिलिम्स-2021

पहली कड़ी

भारतीय इतिहास

क्लासिक पुस्तकें

(प्रसिद्ध पुस्तकों पर संक्षिप्त चर्चा एवं उपयोगी उद्धरण)

पेडेगॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड : पाउलो फ्रेरे

PCS विशेष

राज्य PCS की परीक्षाओं को समर्पित विशेष खंड

टॉपर से बातचीत

डॉ. रवि शंकर

(UP PSC-2018 परीक्षा में 30वें रैंक पर चयनित)

फैक्टशीट

महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट, सर्वेक्षण, शोध तथा सूचकांकों पर आधारित

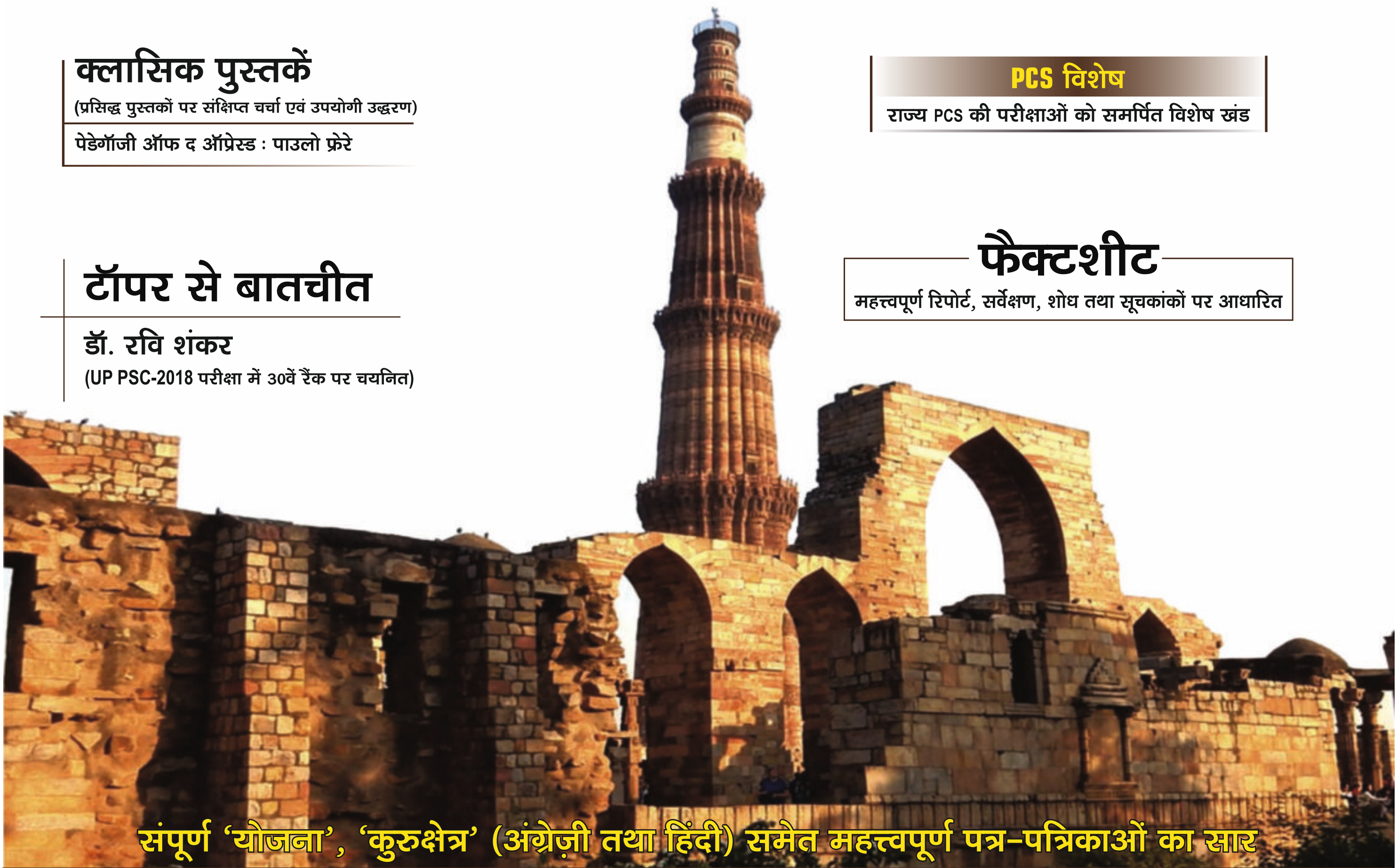

संपूर्ण 'योजना', 'कुरुक्षेत्र' (अंग्रेज़ी तथा हिंदी) समेत महत्त्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाओं का सार

माइंड मैप एवं महत्त्वपूर्ण निबंध

प्रिलिम्स एवं मुख्य परीक्षा के हल सहित अभ्यास प्रश्न-पत्र

मानचित्रों से सीखें (भारत एवं विश्व)

दृष्टि The Vision

अब घर बैठे कीजिये आई.ए.एस. की संपूर्ण तैयारी क्योंकि हम आ रहे हैं आपके घर

दृष्टि आई.ए.एस. की अभूतपूर्व प्रस्तुति
ऑनलाइन सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स
आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म दृष्टि लर्निंग ऐप पर

सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स

(प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा)

डॉ. विकास दिव्यकीर्ति के निर्देशन में

मोड : पेन ड्राइव

एडमिशन प्रारंभ

कोर्स की प्रमुख विशेषताएँ

1. डॉ. विकास दिव्यकीर्ति तथा देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम द्वारा अध्यापन।
2. डॉ. विकास दिव्यकीर्ति द्वारा एथिक्स (संपूर्ण), राजव्यवस्था (व्यापक अंश) और समाज (सैद्धांतिक पक्ष) का अध्यापन।
3. कुल 1200+ घंटों की 500+ कक्षाएँ।
4. प्रत्येक कक्षा को 3 बार तक देखने की सुविधा। कोर्स की वैधता बैच शुरू होने से 3 वर्षों तक।
5. कक्षाओं में अवधारणाएँ स्पष्ट करने व उत्तर-लेखन की तकनीक विकसित कराने पर विशेष बल। पूर्व-परीक्षाओं में पूछे जा चुके और भविष्य में संभावित सैकड़ों प्रश्नों पर चर्चा व अभ्यास।
6. संशय निवारण के लिये एकेडमिक सपोर्ट टीम की सुविधा उपलब्ध। नियमित रूप से डाउट क्लासेज़ तथा ऑनलाइन मीटिंग्स की भी व्यवस्था।
11. दृष्टि के किसी भी सेंटर (दिल्ली, प्रयागराज, जयपुर) पर सामान्य अध्ययन के क्लासरूम कोर्स में एडमिशन लेने पर शुल्क में 20% की विशेष छूट (शर्तें लागू)।

नोट्स व अन्य पाठ्यसामग्री भेजने की प्रक्रिया

1. आपके एडमिशन लेने के बाद क्रमशः 7-8 महीने में आपके घर तक 8 पेन ड्राइव्स और पाठ्यसामग्री भेज दी जाएगी।
2. इस कोर्स से संबंधित सभी नोट्स आपके पास एक निर्धारित शेड्यूल के अनुसार भेजे जाएंगे। जैसे ही आप इस कोर्स के शुल्क का भुगतान करेंगे, उसके 1-2 दिनों में हम आपके पते पर नोट्स का पहला सेट स्पीड पोस्ट या कूरियर सर्विस से भेज देंगे। 7-10 दिनों में आपके पास नोट्स का पहला पैकेट पहुँच जाएगा। (नोट : वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण नोट्स पहुँचने में कुछ अधिक समय लग रहा है।)

सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों की 500+ कक्षाओं के साथ आपको मिलेंगी ये सुविधाएँ एकदम निशुल्क

3 वर्षों तक प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज़ ₹~~24000/-~~ निशुल्क	3 वर्षों तक प्रिलिम्स क्रैश कोर्स ₹~~15000/-~~ निशुल्क	सभी टॉपिक्स के प्रिंटेड नोट्स ₹~~15000/- (DLP)~~ निशुल्क
मुख्य परीक्षा के 24 टेस्ट ₹~~10000/-~~ निशुल्क	3 वर्षों तक करेंट अफेयर्स टुडे ₹~~4320/-~~ निशुल्क	प्रिलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ (6 बुक्स) ₹~~1815/-~~ निशुल्क
	मेन्स कैप्सूल सीरीज़ (5 बुक्स) ₹~~1240/-~~ निशुल्क	

पहले 500 विद्यार्थियों के लिये 25% की छूट

अतिरिक्त जानकारी के लिये 9311406442 नंबर पर कॉल करें या GS लिखकर मैसेज या वाट्सएप करें

इंस्टॉलमेंट्स पर भी उपलब्ध !
लॉग-इन कीजिये : www.drishtiIAS.com

शीघ्र ही ऑनलाइन क्लास भी उपलब्ध ! अपने एंड्रॉयड फोन पर इंस्टॉल करें Drishti Learning App

दृष्टि The Vision

मेन्स कैप्सूल सीरीज़

IAS/PCS मुख्य परीक्षा पर आधारित

आपके नज़दीकी बुक स्टॉल, दृष्टि लर्निंग ऐप एवं drishtiias.com पर उपलब्ध

विस्तृत जानकारी के लिये कॉल करें 8448485516, 87501-87501, 011-47532596

कहाँ क्या है?

संपादक की कलम से... — 5

क्योंकि अहंकार में कोई सार नहीं है....

टॉपर से बातचीत — 7

डॉ. रवि शंकर

UP PSC-2018 परीक्षा में 30वें रैंक पर चयनित (7)

लेख खंड — 11

राजनीतिक लेख

- *एक राष्ट्र, एक चुनाव : क्या, क्यों और कैसे? (12)*

स्वास्थ्य संबंधी लेख

- *कोविड-19 वैक्सीन : क्यों, किसे और कैसे? (15)*

ऑडियो लेख

- *पश्चिमी घाट की जैव-विविधता (19)*

करेंट अफेयर्स — 21

- *अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम (22)*
- *संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम (26)*
- *आर्थिक घटनाक्रम (33)*
- *अंतर्राष्ट्रीय संबंध (40)*
- *विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (48)*
- *पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (52)*
- *भूगोल एवं आपदा प्रबंधन (59)*
- *सामाजिक मुद्दे (64)*
- *कला एवं संस्कृति (72)*
- *आंतरिक सुरक्षा (75)*

फैक्टशीट — 78

- *महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट, सर्वेक्षण, शोध तथा सूचकांकों पर आधारित (78)*

जिस्ट — 81

उपयोगी पत्र-पत्रिकाओं के लेखों का सार

- *संपूर्ण योजना (अंग्रेज़ी तथा हिंदी) का सार (82)*
- *संपूर्ण कुरुक्षेत्र (अंग्रेज़ी तथा हिंदी) का सार (91)*
- *राजव्यवस्था एवं समाज (103)*
- *अर्थव्यवस्था (107)*
- *विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (110)*
- *पर्यावरण (113)*
- *अंतर्राष्ट्रीय संबंध (115)*

क्लासिक पुस्तकें — 117

(प्रसिद्ध पुस्तकों पर संक्षिप्त चर्चा एवं उपयोगी उद्धरण)

- *पेडेगॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड : पाउलो फ्रेरे*

PCS विशेष — 121

- *राज्य PCS की परीक्षाओं को समर्पित विशेष खंड (121)*

मानचित्रों से सीखें — 132

मानचित्र-1 (132)

मानचित्र-2 (133)

निबंध खंड — 134

- *सत्य हमेशा सुंदर नहीं होता और न ही सुंदर शब्द सत्य होते हैं (134)*
- *निबंध प्रतियोगिता (136)*

माइंड मैप — 137

- *1857 का विद्रोह (137)*

करेंट अफेयर्स से जुड़े संभावित प्रश्न-उत्तर — 138

- *मुख्य परीक्षा के लिये संभावित प्रश्न तथा उनके उत्तर (138)*

टारगेट प्रिलिम्स-2021: पहली कड़ी — 143

- *भारतीय इतिहास (143)*

आपके पत्र — 209

फरवरी 2021 ■ मासिक ■ वर्ष-6 ■ अंक-8 ■ कुल अंक-68

टीम दृष्टि

■ **प्रधान संपादक:** *डॉ. विकास दिव्यकीर्ति*

■ **डायरेक्टर:** *डॉ. तरुणा वर्मा*

■ **कार्यकारी संपादक:** *पुरुषोत्तम 'प्रतीक'*

■ **वरिष्ठ संपादक:** *आलोक कुमार अग्रवाल, शशि भूषण तिवारी, निधि सिंह।*

■ **समाचार संपादक:** *कवीन्द्र कुमार यादव, अंकित कुमार सिंह, जितेंद्र मीना।*

■ **प्रबंधन परामर्श:** *अजय कड़ाकोटी, मो. आफताब आलम, अभिषेक सिंह, विवेक तिवारी, अमृत उपाध्याय, अजय शर्मा, चंद्रप्रकाश राय, अमित कुमार श्रीवास्तव, जितेन्द्र रोहिला, आनंद शुक्ला, दिलीप कुमार, राजू प्रसाद, गोपाल राय।*

■ **संपादन सहयोग:** *मुकुल आनंद, सुशांत कुमार, सुरेश पाल सिंह, सूर्य कुमार द्विवेदी, जगदीश पांडेय, पीयूष कांत गांगुली, पुष्पा कुमारी, प्रवेश चौधरी, कृष्ण कुमार सिंह, श्यामवीर सिंह झझोरिया, नीरज कुमार, विवेक सिंह, दीपक तिवारी, आभा प्रजापति, रोहित नंदन मिश्रा, देवेन्द्र कुमार, अमरजीत पासवान, हरि किशोर यादव, गायत्री, शिवानी सिंह, रविकांत, राकेश राजपूत, श्रवण कुमार सुमन, संत विजय, महिमा राजपूत, अवनिन्द्र जयसवाल, एजाज़ अनवर, सूर्य प्रकाश, राहुल कश्यप, सिद्धार्थ कुशवाहा, रवि गोले, मनीषा यादव, पंकज तिवारी, निखिल चौहान, कुमार रविशंकर, यशोधरा, स्मिता वर्मा, रामहंस यादव, राहुल गिरी, राम राठी प्रसाद, प्रदीप मौर्या, मो. फैजुल इसलाम, रामबाबू यादव, अभिषेक पांडेय, अजीत कुमार सिंह, प्रियेष कुमार, नीरज कुंदन, दीपाली तायडे, रमंत झंड, वशिष्ट नारायण, कृष्ण कुमार साह, विवेक कुमार सिन्हा, निशां शर्मा, प्रियंका सिंह, रेखा वर्मा, श्रद्धा भदौरिया, मो. रिज़वान, खुशबू, संज़ूर आलम, अर्चना शर्मा, जितेन्द्र, हेमंत गुलपाडिया, धीरेन्द्र कुमार बागरी, अंकित त्यागी, चित्राँशु पांडेय, अजीत कुमार पटेल, हिमाँशु सिंह, करिश्मा, मनीषा, बबीता, खुशहाल, केवल कृष्ण पांडेय, आशुतोष सिंह, लोकेश कुमार, सलमान अहमद, हरीश कुमार, आभा कुमारी, ज्योति, किशोर कुमार झा, विकास कुमार, निशा शाहीन, शिल्पी सरकार, ऋतुराज कुमार, दिनेश, नेहा कुमारी, अमित कुमार, नेहा लक्ष्यकर, वर्षा तारण्या, उद्‌याभान सिंह, प्रीति झा, अमित कुमार, विवेक दिवाकर, आशुतोष कुमार यादव, राजेश कुमार, पिंकी कुमारी, निर्मल कुमार राजू, राम प्रवेश यादव, आँचल वसनीक, आरती सिरोही, राहुल कुमार, सौरभ कुमार गोयल, योगेश कुमार सिंह, आतिफा काज़ी, राजेश्वर प्रसाद पटेल, मनीष कुश्वाहा, विकास तिवारी, अतुल, दीपिका, पूजा उपाध्याय, दीपिका परिहार नेगी, राजदीप चौहान, मनीष कुमार सिंह, प्रेम चंद्र, रोहित सिंह, रोहित कुमार पाठक, अक्षय शुक्ला, साधना सनौडिया, विपिन कुमार यादव, मो. रकीब, मधुबाला, जितेन्द्र कुमार राय, हिमांशु शर्मा, अनुराग सिंह, अखिलेश कुमार पांडेय, सिद्धांत शुक्ला, साहिल कुमार चौहान, अल्का दरिया, रोशनी, दिपेश कुमार, पंकज कुमार वर्मा, जितेन्द्र चौहान, मीत वर्मा, हर्षवर्धन, भावेश द्विवेदी, सिद्धार्थ पटले, अंकित कुमार, कपिल वर्मा, दीपिका जिंदल, पिंकी शर्मा, हरिओम चिहार, गुलअफ़शाँ, जितेन्द्र कुमार पटेल कलाल, प्रियंका, सोनम साहू, राजीवेश कुमार, सुशील कुमार, राजेश कुमार, पीयूष कुमार, शशाँक चौबे, सत्य प्रकाश, विनोद कुमार मिश्रा, प्रनेंद्र कुमार राय, आशुतोष शेखर, अभिषेक तिवारी, मोना, राहुल कुमार यादव, शमा बानो, आराधना, कंचन, अमन गुप्ता, कन्हैया कुमार झा, अंकित यादव, अतुल पांडे, गीतांजली शुक्ला, सुधीर कुमार पांडे, दादा बसंत पाटिल, राहुल मौर्या, अभिषेक राय, अमित कुमार उपाध्याय, सुषमा यादव, सोनाली चौपड़ा।*

■ **टाइपसेटिंग और डिज़ाइनिंग सहयोग:** *लोकेश पाल, जीतेश, अनिल कुमार, विवेक कुमार पाल, पूनम सक्सेना, करुणा अग्रवाल, मेधा, संजू वर्मा, राजो कामती, चेतन कुमार, अमित कुमार बंसल, अखिलेश कुमार, समरजीत सिंह, अजय गुरंग, संदीप कुमार, तारा कुमारी, लोकेश कुमार, पुनीत मंडल, अनुज कुमार, भुपेंद्र पाल सिंह, आसीन, करण भारद्वाज, हिम्मत सिंह, चंदन राम, विशाल, सागर सैनी, वैभव कौशिक।*

■ **वेब सहयोग:** *अविनाश कुमार, अनु राज, रवि शंकर, सुनील कुमार यादव, प्रतिभा राय, जया जोशी, शिप्रा, रिमझिम, ब्रिजेश कुमार यादव, जसवंत सिंह रावत, पायल, प्रिया, सरोज शर्मा, मेघा, अमित कुमार।*

■ **प्रबंधन सहयोग (वरिष्ठ):** *राजेश धस्माना, राजेश कुमार झा, श्रीकांत कुकरेती।*

■ **प्रबंधन सहयोग:** *मोहित वालिया, नितेश कुमार झा, मोहित मिश्रा, राकेश सिंह चौहान, कुंदन कुमार, शिव कुमार, वेद प्रकाश, मुकेश कुमार पाठक, असीम करन, अंशुल तिवारी, सुनील शेलके, संजीत कुमार, विपिन गुप्ता, मनीष जैन, संदेश कुमार डोगरा, मनवीर नेगी, शुभम वर्मा, गीता पाल, प्रीति चौधरी, राकेश ठाकुर, अनिता जसवाल, गीता शर्मा, किरण मल्होत्रा, नीरज शर्मा, अभिषेक शुक्ला, तब्बसुम मलिक, इरफान खान, श्वेता, रविशंकर, रहमत, अनुराग मिश्रा, यश कुमार मौर्य, सौरभ कुमार, रंजीत कुमार कुशवाहा, सौरभ कुमार, गौरव मिश्रा, रजनीश कुमार त्रिपाठी, सबिता गिरी, सौरभ अहिरवार, रवि कुमार, अंकुर कुमार, पूजा द्विवेदी, आशीष गुप्ता, मो. आसीम, सिद्धार्थ तिजौरिया, हन्नी शर्मा, दीपक कुमार, दिनेश जैन, राजीव कुमार, विवेक मिश्रा, सचिन पाल, शिवानी जैस्वाल, गरिमा अरोड़ा।*

■ **मीडिया सहयोग:** *राजकुमार कोले, श्रवण कुमार, संदीप रावल, अतुल सिंह, तरुण ग्रोवर, लक्ष्मण कुमार, धीरज कौशिक, अनिल स्टिफन, देवेन्द्र सिंह, मनोज कुमार, राहुल अग्रवाल, लवनीत सिंह, अनिल कुमार पटेल, रोहित कुमार, कमलेश कुमार, पवन दुआ, मनदीप रावत, दुर्गेश कुमार सिंह, नंद किशोर, कमलेश कुमार कमल, सुनील कुमार सिंह, राम नायक तिवारी, रोहित कुमार, रवीन कुमार जी, शिवकांत शुक्ला, वीरू निशद, अजय सिंह मेहता, अर्जुन कुमार चौरसिया, खुर्रम, आशुतोष सिंह, अमित वर्मा, नीरज चौहान।*

■ **दैनंदिन सहयोग:** *गजेन्द्र, रवि कुमार, भावेश गिरी, महेश कुमार, दिलीप तिवारी, विकेश कुमार, पंचानन मिश्रा, पुनीत कांगड़ा, राहुल कुमार, मनोज कुमार, अविनीश श्रीवास्तव, सलमान, मो. शकील, सुरेन्द्र रॉय, अमित कुमार रोहिला, दीपक पाल, ऋषभ कुमार, साहिल, सुभाष कुमार, राम सूरत यादव, राजू शर्मा, मनीष कुमार, दीपक कामती, ज्ञान प्रकाश मौर्या, प्रवीण, सूरज प्रकाश, अजीत कुमार, बलवंत सिंह, विश्वेंदर चौधरी, इम्तियाज़ अंसारी, मनोज सिंह, मन्नु कुमार, मुन्ना, सतीश, दिनेश कुमार मिश्रा, सुजीत यादव, विनय कुमार, कैलाश मल्होत्रा, नरेश राय, संतोष कुमार कामत, मनु चौधरी, श्रवण कुमार, सुमित कुमार, अभिषेक, सुजीत कश्यप, तरुण, नरेंद्र कुमार, हरे राम, अतुल शर्मा, नेत्रपाल, राजेश कुमार, नीशु रोहिला, शिव शंकर पटेल, मो. अरमान, आशु मिश्रा, आशीष, सोचिन कुमार यादव, राजेश कुमार, अमित कुमार रे, सौरभ कुमार, पुष्पेन्द्र कुमार, जशवंत सिंह भकुनी, बेचन चौधरी, पंकज कुमार शर्मा, गौरव कुमार, उमेश, जितेन्द्र कुमार, विपिन कुमार, हिमांशु कुशवाह, ऋषिकेश तोमर, सुनील कुमार शुक्ला, लाल बाबू यादव, मोनू (1), सचिन कुमार, पप्पू कुमार, प्रियांशु, ममता, सचिन लाहुडकर, भीकू, गौतम कुमार, अवधेश कुमार, अमन कुमार, तुलसी कुमार, योगेन्द्र सिंह, मो. अख्तर, हरीनाथ, आशीष, रोहित कुमार, निक्की कुमार, मुकेश कुमार, राजेश कुमार यादव, राम आशीष मिश्रा, सद्दाम हुस्सैन, पप्पू चौधरी, अतुल कुमार, रंजीत, सचिन कुमार, चंद्र भान, सचिन, गोपाल कुमार, दिगम्बर कुमार पासवान, भावेश कुमार, पवन कुमार साहू, संजय कुमार, बोआ झा, राजबीर, रविन्द्र कुमार, विक्रांत सिंह, परवेज़, किशन कनौजिया, सुरेश चंद्रा, रामकिशन बिंशकर, अंकित मिश्रा, कौशल शर्मा, नीरज कुमार, लीलावती, श्याम कुमार सौराष्ट्रिया, जितेन्द्र कुमार, उमाकांत शर्मा, धर्मेन्द्र कुमार, दिलीप, उदय पासवान, अमरजीत कुमार, मनीष, आकाश चौहान, अनिकेत कुमार साह, पुनीत कुमार मिश्रा, विजय, छाया देवी नरेंद्र, अरविंद द्विवेदी, प्रकाश सिंह, अभिषेक कुमार, अर्जुन, अनिल कुमार, पवन कुमार मोदी, योगेश सिंह, सुरेन्द्र, रवि, दिलीप चौधरी, ललित मोहन उपाध्याय, मोहित कुमार तिवारी, प्रिंस कुमार, रोहित, अभिषेक, अंकुश, शिवम, मनीष कुमार, अभिमन्यु कुमार, संदीप, संजय कुमार शर्मा, अभिषेक कौशल, कुमार पाल, विष्णु कांत मिश्रा, मनोज कुमार, सूरज कुमार, पवन कुमार, राहुल, सुनील कुमार, धर्मेन्द्र कुमार, निहाल तिवारी, अंकित कुमार, विनय, सनोज पासवान, अरविंद, अवनीश कुमार, संजीव, विवेक कुमार, नीतू चौहान, सोनू, मोहित, शिव बहादुर, सुनील, नवीन कुमार मिश्रा, आदर्श प्रजापति, ब्रिजेश कुमार, धर्मराज सिंह, गौतम राज सिंह, श्याम कुमार वर्मा, अतुल, जय प्रकाश मौर्य जावेद, अवध राज शुक्ला, राकेश, देवेंद्र सिंह, हन्नी, उदय भान यादव, ब्रिज मोहन सिंह, राम नरेश पंडित, आशीष कुमार, मनीष कुमार शर्मा, परवीन, मोनू कुमार रावत, मो. आफ़ताब, सुमन देवी, दीपक भकुमी, अविनाश, रवि शंकर कुमार, राजू राजन, पप्पू कुमार यादव, शुभव कुमार श्रीवास्तव, अजय कुमार पांडेय, सुनील कुमार, आलोक कुमार तिवारी, लाला राम।*

संपादकीय पत्र व्यवहार

कार्यकारी संपादक,
दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे,
दृष्टि पब्लिकेशन्स,
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर,
दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

✸ इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि संपादक या प्रकाशक का दृष्टिकोण भी वही हो। हमारी कोशिश यही रहती है कि विभिन्न विचारधाराओं वाले लेखकों के लेख शामिल करें ताकि पाठकों को किसी विषय पर अलग-अलग दृष्टिकोण मिल सकें।

✸ इस पत्रिका में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये ज़िम्मेदार नहीं है।

✸ हम विश्वास करते हैं कि इस पत्रिका में छपे लेख लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखे गए हैं। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो लेखक को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।

✸ सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।

✸ **© कॉपीराइट:** दृष्टि पब्लिकेशन्स, सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपिकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानान्तरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।

पत्रिका की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों व सुझावों तथा वितरण और विज्ञापन के लिये संपर्क (Whatsapp) करें-
अजय कड़ाकोटी (सी.एफ.ओ.)
(8130392355)

पत्रिका के सब्सक्रिप्शन के लिये संपर्क करें-
9599084248

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक विकास दिव्यकीर्ति द्वारा 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 से प्रकाशित एवं एम.पी. प्रिंटर्स, बी-220, फेज़-2, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित।
संपादक- डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

संपादक की कलम से...

क्योंकि अहंकार में कोई सार नहीं है....

प्रिय पाठको,

अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप अक्सर देखते होंगे कि जहाँ कुछ लोग सफल व शक्तिशाली होने के बावजूद बेहद विनम्र होते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी शक्ति या योग्यता के घमंड में चूर दिखते हैं। थोड़ी-बहुत मात्रा में अपनी सफलताओं या योग्यताओं के प्रति गर्व का भाव होना स्वाभाविक भी है और मनोविज्ञान की दृष्टि से अच्छा भी; पर यही गर्व जब अनियंत्रित और अविवेकी होने लगता है तो घमंड या अहंकार की शक्ल अख्तियार कर लेता है और व्यक्तित्व पर एक धब्बे की तरह छा जाता है। ऐसे व्यक्ति को यह समझाना बहुत ज़रूरी होता है कि अहंकार या घमंड करना बुनियादी तौर पर एक किस्म की मूर्खता है जिससे बचना ही बेहतर है।

अहंकारी व्यक्ति का मनोविज्ञान आत्मकेंद्रित (Egocentric) होता है। वह स्वयं को ब्रह्माण्ड के केंद्र में रखता है और अपने नज़रिये से बाकी हर चीज़ की व्याख्या करता है। 'मैं' का भाव उसका स्थायी भाव बन जाता है। अपनी छोटी-मोटी सफलताओं से उत्साहित होकर वह मान बैठता है कि यह दुनिया उसी की बदौलत चल रही है। हमारे भीतर थोड़ा बहुत गर्व का भाव बने रहना ज़रूरी है, किंतु उतना ही ज़रूरी यह भी है कि हम अपनी लघुता से परिचित रहें। ऐसी इच्छाएँ या सपने न पाल लें जिनका पूरा होना असंभव है। अपनी लघुता को समझते ही व्यक्ति विनम्र होने लगता है और यही विनम्रता उसकी शक्ति बनती है।

अपनी लघुता को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम भौतिक भूगोल या भौतिकी का वह अध्याय पढ़ें जो हमें इस ब्रह्मांड का परिचय देता है। जिन लोगों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, उन्हें लग सकता है कि हमारी पृथ्वी ही अंतिम सत्य है; और सूर्य व चंद्रमा हमें प्रकाश देने के लिए नियम के अनुसार उपस्थित होते हैं। ऐसे लोगों को सूर्य में देवता और चंद्रमा में मामा नज़र आते हैं। खुश रहने के लिए ऐसी कल्पनाएँ काफी सुविधाजनक होती हैं किंतु यदि हम सच के नज़दीक जाएँ तो ये झिलमिलाती हुई सुंदर कल्पनाएँ ढेर हो जाती हैं। तथ्य यह है कि इस ब्रह्मांड का कोई ओर-छोर हमें पता तक नहीं है। अभी तक हम सिर्फ इतना जान पाए हैं कि ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगाएँ हैं और हम इनमें से एक साधारण-सी आकाशगंगा 'मिल्की वे' के निवासी हैं। हर आकाशगंगा की तरह 'मिल्की वे' में भी असंख्य तारे हैं और हम उन तारों में से एक बहुत छोटे से तारे सूर्य की छत्रछाया में रहते हैं। हर तारे के अपने बहुत से ग्रह हैं। सूर्य के भी ज्ञात 8 ग्रह हैं जिनमें से एक अत्यंत छोटा ग्रह हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर लाखों प्रकार के जीव-जंतु रहते हैं जिनमें से एक स्पीशीज़ हमारी है जिसे 'होमो सेपियंस' के नाम से जाना जाता है। हर 100 वर्षों में लगभग सारे होमो सेपियंस या मनुष्य बदल जाते हैं क्योंकि आमतौर पर प्रकृति उन्हें इससे ज़्यादा जीने का मौका नहीं देती। सिर्फ वर्तमान समय में 7 अरब होमो सेपियंस या मनुष्य पृथ्वी पर मौजूद हैं और आज से 100 वर्षों बाद शायद इनमें से एक भी नहीं बचेगा। इन्हीं 7 अरब मनुष्यों में से एक मैं हूँ, इससे ज़्यादा मेरी कोई हैसियत नहीं है। जब यह बात किसी व्यक्ति को समझ आती है तो वह अपनी छोटी-मोटी ताकत पर घमंड करना बंद कर देता है क्योंकि उसे पता रहता है कि अकूत संपत्ति और बेशुमार ताकत हासिल करके भी वह अपनी स्थिति को दशमलव में ही बदल पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं।

अपनी लघुता को समझने का दूसरा तरीका यह है कि हम अपने व्यक्तित्व का मूल्यांकन ईमानदारी से करें। प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक कोडवैल ने बर्ट्रेंड रसेल के साथ हुए अपने प्रसिद्ध विवाद में साबित किया था कि व्यक्तित्व के निर्माण में व्यक्ति की अपनी भूमिका नहीं के बराबर होती है। मनोविज्ञान में भी कई विचारक इस बात पर ज़ोर देते हैं। सरल भाषा में कहें तो हमारे व्यक्तित्व की सभी विशेषताएँ दो ही कारकों पर आधारित होती हैं- पहला यह कि हमें आनुवांशिक रूप से कौन-से गुण हासिल हुए हैं और दूसरा यह कि हमें अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए कैसी परिस्थितियाँ मिली हैं? अगर कोई व्यक्ति लंबा, गोरा या अत्यधिक बुद्धिमान है तो यह मोटे तौर पर उसके आनुवांशिक गुणों की वजह से है जिनमें उसका अपना कोई योगदान नहीं है। इसी प्रकार, अगर किसी व्यक्ति को बचपन से अच्छा माहौल और सुविधाएँ मिली हैं तो स्वाभाविक रूप से उसका व्यक्तित्व बेहतर हो जाएगा किंतु इसमें भी उसका कोई योगदान नहीं है। जो व्यक्ति अध्यात्म की दुनिया में रमते हैं, उनके पास अपनी लघुता को समझने का एक वैकल्पिक रास्ता होता है। ऐसे लोग मानकर चलते हैं कि यह संसार ईश्वर की अभिव्यक्ति है और इसी भावना को अध्यात्म जगत में रहस्यवाद कहा जाता है। सच्चे रहस्यवादियों को इस बात पर तनिक भी संदेह नहीं होता कि इस संसार में ईश्वर की इच्छा के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता है। वे तो यह भी मानते हैं कि उनके पास व्यक्तित्व के नाम पर जो कुछ भी है, वह खुद ईश्वर का दिया हुआ है और ईश्वर जिस क्षण चाहे, उनसे सब कुछ छीन सकता है।

इस चर्चा का सार यह नहीं है कि व्यक्ति को आत्मविश्वास या आत्मगौरव के भाव से वंचित हो जाना चाहिए। अपने व्यक्तित्व के सकारात्मक पक्षों के प्रति गौरव-बोध का होना ज़रूरी है क्योंकि उसी से हमारा आत्मविश्वास, हमारी सांसारिक सफलता आदि तय होती है। सवाल सिर्फ इतना है कि हम अपने गौरव बोध को कितनी छूट दें? क्या हम उन संयोगों या तुक्कों के लिए भी गर्व की भावना से भरे रहें जिनके होने में हमारी कोई भूमिका नहीं है? क्या हम अपने गौरव बोध को इतना अनियंत्रित हो जाने दें कि वह दूसरों के आत्मगौरव को कुचलता रहे? बेहतर यही है कि हम अपने गौरव को दूसरों के आत्मगौरव के साथ समन्वय की स्थिति में लाएँ। खुद को घमंड में चूर होने से रोकें। अपनी लघुता का अहसास किसी-न-किसी मात्रा में बनाए रखें। इसी मानसिकता से व्यक्ति और समाज का सहसंबंध सुखद और सकारात्मक हो सकता है।

शुभकामनाओं सहित,

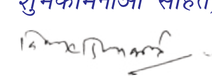

(विकास दिव्यकीर्ति)

दृष्टि The Vision

अब घर बैठे कीजिये आई.ए.एस. की तैयारी क्योंकि हम आ रहे हैं आपके घर

आई.ए.एस. प्रिलिम्स ऑनलाइन कोर्स
(IAS Prelims Online Course)

मोड : ऑनलाइन / पेन ड्राइव

सिविल सेवा परीक्षा में हिंदी माध्यम के कम परिणाम की बड़ी वजह यह है कि प्रिलिम्स में ही बहुत कम विद्यार्थी सफल हो पाते हैं। यह कोर्स इसलिये बनाया गया है ताकि दिल्ली न आ सकने वाले विद्यार्थी अपने घर पर रहकर ही आसानी से सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों से पढ़ सकें और प्रिलिम्स परीक्षा की चुनौती को तोड़ सकें।

यह कोर्स ऑनलाइन मोड (ऐप) के अलावा पेन ड्राइव में भी उपलब्ध है। यदि आप इंटरनेट नेटवर्क की कमी या किसी अन्य कारण से यह कोर्स मोबाइल फोन की बजाय लैपटॉप/कंप्यूटर पर करना चाहते हैं तो कृपया ऐप के होम पेज पर जाकर पेनड्राइव कोर्स की टैब पर क्लिक करें।

एडमिशन प्रारंभ

कक्षाओं की गुणवत्ता को परखने के लिये डेमो वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल Drishti IAS की प्लेलिस्ट Online Courses में देखें

ऑनलाइन कोर्स से जुड़ी हर जानकारी के लिये हमारी वेबसाइट www.drishtiias.com या Drishti Learning App पर FAQs पेज देखें

इस कोर्स से संबंधित किसी भी अतिरिक्त जानकारी के लिये 9311406442 नंबर पर सीधे बात या मैसेज करें

IAS प्रिलिम्स ऑनलाइन कोर्स की विशेषताएँ

1. 500+ घंटे की सामान्य अध्ययन की कक्षाएँ।
2. 120+ घंटे की सीसैट की कक्षाएँ।
3. प्रत्येक कक्षा को 3 बार देखने की सुविधा ताकि आप रिवीज़न भी कर सकें।
4. कक्षाओं में डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल। इमेज, वीडियो आदि की मदद से कठिन विषय समझाने की शैली।
5. हर क्लास के अंत में उस टॉपिक से IAS में पूछे गए और अन्य संभावित प्रश्नों का अभ्यास।
6. स्टेट-ऑफ-द-आर्ट कैमरा और साउंड क्वालिटी जो क्लास के अनुभव को एकदम वास्तविक जैसा बनाती है।
7. प्रिलिम्स के ठीक पहले करेंट अफेयर्स की 30 ऑनलाइन कक्षाएँ (निशुल्क)।
8. ऑनलाइन प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज़ (25+5 टेस्ट) की निशुल्क सुविधा।
9. क्विक बुक सीरीज़ की 8 पुस्तकें निशुल्क, जिनके अलावा कोई और स्टडी मैटीरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं।
10. इस कोर्स को करने के बाद अगर आप दृष्टि की किसी भी शाखा में सामान्य अध्ययन (फाउंडेशन कोर्स) करते हैं तो आपकी ऑनलाइन कोर्स की फीस की 50% राशि की छूट दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिये अपने एंड्रॉयड फोन पर आज ही इंस्टॉल करें

Drishti Learning App

दृष्टि आई.ए.एस. (दिल्ली) :
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
☎ 87501 87501

दृष्टि आई.ए.एस. (प्रयागराज) :
ताशकंद मार्ग, निकट पत्रिका चौराहा, सिविल लाइन्स, प्रयागराज
☎ 87501 87501

टॉपर से बातचीत

डॉ. रवि शंकर

UP PSC-2018 परीक्षा में 30वें रैंक पर चयनित

टॉपर का परिचय

नामः डॉ. रवि शंकर

पिता का नामः श्री राम धन मिश्र

माता का नामः श्रीमती विमला देवी

जन्म-तिथिः 01/08/1988

शैक्षिक योग्यताएँः हाईस्कूल- यू.पी. बोर्ड-48%

इंटरमीडिएट- यू.पी. बोर्ड-67%

बी.ए.- इलाहाबाद विश्वविद्यालय-64%

एम.ए.- इलाहाबाद विश्वविद्यालय-65%

पी.एच.डी. (Ph.D)- इलाहाबाद विश्वविद्यालय

JRF- संस्कृत

पूर्व चयनः उप-निरीक्षक- रेल सुरक्षा बल

आदर्श व्यक्तित्वः स्वामी विवेकानन्द

व्यक्तित्व के सकारात्मक पक्षः परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लेना

व्यक्तित्व के नकारात्मक पक्षः भावुकता

रुचियाँः दोस्तों के साथ बातें करना, शतरंज व बैडमिंटन खेलना, कविताएँ सुनना व पढ़ना।

परिणाम से संबंधित कुछ जानकारियाँ

परीक्षा का नामः UP-PSC-2018

अनुक्रमांकः 119431

रैंकः 30th

परीक्षा का माध्यमः हिंदी

प्रयास संख्याः 1

दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडेः सिविल सेवा परीक्षा में उच्च रैंक पर चयनित होने पर आपको 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' की ओर से हार्दिक बधाई। चयनित होकर आपको कैसा लग रहा है?

डॉ. रवि शंकरः जी धन्यवाद! काफी अच्छा महसूस हो रहा है।

दृष्टिः क्या इस परीक्षा में सफल होना ही आपके जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य था? यदि नहीं, तो आगे आपकी निगाह किन उद्देश्यों पर लगी है?

डॉ. रविः सर्वोच्च लक्ष्य समाज सेवा है और उसके लिये सिविल सेवा को लक्ष्य बनाया।

दृष्टिः सिविल सेवाओं में ऐसा क्या है कि लाखों युवा इनकी ओर आकर्षित होते हैं? आपके लिये इन सेवाओं में जाने का क्या आकर्षण था?

डॉ. रविः सामाजिक प्रतिष्ठा, बेहतर कॅरियर विकल्प व राष्ट्र सेवा में प्रत्यक्ष भागीदारी होने के नाते, सिविल सेवा युवाओं को आकर्षित करती है। मेरे लिये भी उक्त कारण प्रमुख रहे।

दृष्टिः अक्सर कहा जाता है कि एक-डेढ़ वर्ष तक कठोर मेहनत करने के बाद भी इस परीक्षा की तैयारी संतोषजनक तरीके से पूरी नहीं हो पाती। क्या यह सच है? क्या आप अपनी तैयारी से संतुष्ट थे एवं सफलता के प्रति आशावान थे?

डॉ. रविः मुझे लगता है कि इस परीक्षा की तैयारी के लिये 1-2 वर्ष पर्याप्त हैं। हाँ, सफलता मिलने में अधिक समय अवश्य लग जाते हैं। मैं अपनी तैयारी से संतुष्ट था एवं सफलता मिलेगी ऐसी आशा थी।

दृष्टिः यूँ तो कोई भी सफलता कई कारकों पर निर्भर होती है, पर हर सफल व्यक्ति के पास कुछ विशेष सूत्र होते हैं। आपकी सफलता के मूल में कौन-से सूत्र रहे हैं?

डॉ. रविः चरैवेति-चरैवेति।

दृष्टिः आपकी सफलता में निस्संदेह आपके साथ-साथ कुछ अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं का भी योगदान रहा होगा। अपनी योग्यता और परिश्रम के अलावा आप अपनी सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे?

डॉ. रविः पूज्य नानाजी, माताजी, पिताजी, परिवारजनों के साथ-साथ मित्रों ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने में अपना योगदान दिया है।

दृष्टिः आपका वैकल्पिक विषय क्या था? क्या आपने इसकी पढ़ाई स्नातक या आगे के स्तर पर की थी? यदि नहीं, तो इसके चयन का आधार क्या था?

डॉ. रविः मेरा वैकल्पिक विषय रक्षा अध्ययन था, चूँकि मैं उप-निरीक्षक/रेल सुरक्षा बल में वर्ष 2013 से कार्यरत हूँ इसलिये इस विषय के प्रति सहज झुकाव था। रक्षा अध्ययन की औपचारिक (स्नातक) पढ़ाई मैंने कभी नहीं की।

दृष्टिः कई लोग कहते हैं कि कुछ वैकल्पिक विषय दूसरे विषयों की तुलना में छोटे, आसान व अधिक अंकदायी होते हैं और इसीलिये वे ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं। आपकी राय में क्या यह बात ठीक है? क्या आपने वैकल्पिक विषय के चयन में उसकी लोकप्रियता को भी आधार बनाया था?

डॉ. रविः मुझे लगता है कि विषय का चुनाव अपनी रुचि, क्षमता एवं सफलता की दर को देखकर किया जाना चाहिये। मैंने अपने वैकल्पिक विषय का चुनाव इसी आधार पर किया।

दृष्टिः प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के विस्तृत पाठ्यक्रम को देखते हुए इसकी तैयारी के लिये आपने क्या रणनीति अपनाई? कुछ विशेष खंडों पर अधिक

अब घर बैठे कीजिये आई.ए.एस. की तैयारी क्योंकि हम आ रहे हैं आपके घर

एथिक्स (जी.एस. पेपर-4)

द्वारा- डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

मोड : ऑनलाइन / पेन ड्राइव

कोर्स की प्रमुख विशेषताएँ

- क्लासरूम में रिकॉर्ड की गई कक्षाएँ। शानदार वीडियो क्वालिटी के कारण बिल्कुल क्लास में होने जैसा अनुभव।
- IAS के साथ-साथ UPPCS मेन्स के लिये पूर्णत: सटीक। MPPSC और RAS मेन्स में भी सहायक।
- कुल 70 कक्षाएँ। प्रत्येक कक्षा लगभग 2:30 घंटों की।
- प्रतिदिन 2 कक्षाएँ। इसी वर्ष मुख्य परीक्षा में बैठना हो तो पूरा बैच सिर्फ 35 दिनों में पूरा करने की सुविधा।
- मूल्यांकन की सुविधा के साथ 6 क्लास टेस्ट।
- क्लास नोट्स तथा क्लास टेस्ट की बुकलेट्स आपके पते पर भेजे जाने की सुविधा निशुल्क।
- संशय निवारण के लिये विशेषज्ञ टीम से बातचीत की सुविधा।

निबंध

द्वारा- डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

मोड : ऑनलाइन / पेन ड्राइव

कोर्स की प्रमुख विशेषताएँ

- क्लासरूम में रिकॉर्ड की गई कक्षाएँ। शानदार वीडियो क्वालिटी के कारण बिल्कुल क्लास में होने जैसा अनुभव।
- IAS के साथ-साथ UPPCS मेन्स के लिये भी उपयोगी। स्कूल, कॉलेज की परीक्षाओं में भी लाभदायक।
- कुल 13 कक्षाएँ। प्रत्येक कक्षा लगभग 2+ घंटों की।
- विगत वर्षों में IAS तथा PCS परीक्षाओं में पूछे गए और भविष्य में संभावित निबंधों पर व्यापक चर्चा व प्रारूप-निर्माण।
- मूल्यांकन की सुविधा के साथ 10 फुल टेस्ट देने की सुविधा।
- परीक्षा में अभी तक पूछे गए प्रश्नों की सूची और बहुत से उद्धरणों (quotations) का संग्रह भेजा जाएगा।
- संशय निवारण के लिये विशेषज्ञ टीम से बातचीत की सुविधा।

किसी भी अतिरिक्त जानकारी के लिये 9311406442 नंबर पर सीधे बात या मैसेज करें

कोर्स का लाभ उठाने के लिये आज ही अपने एंड्रॉयड फोन पर इंस्टॉल करें

Drishti Learning App

लेख खंड

शोधपरक, सारगर्भित और परीक्षोन्मुखी लेखों का संग्रह

12 **राजनीतिक लेख**

- एक राष्ट्र, एक चुनाव : क्या, क्यों और कैसे?

–अंकित 'ममता' त्यागी

15 **स्वास्थ्य संबंधी लेख**

- कोविड-19 वैक्सीन : क्यों, किसे और कैसे?

–शशि भूषण (विवेक राही)

19 **ऑडियो लेख**

- पश्चिमी घाट की जैव-विविधता

–दिपाली तायडे

एक राष्ट्र, एक चुनाव : क्या, क्यों और कैसे?

अंकित 'ममता' त्यागी

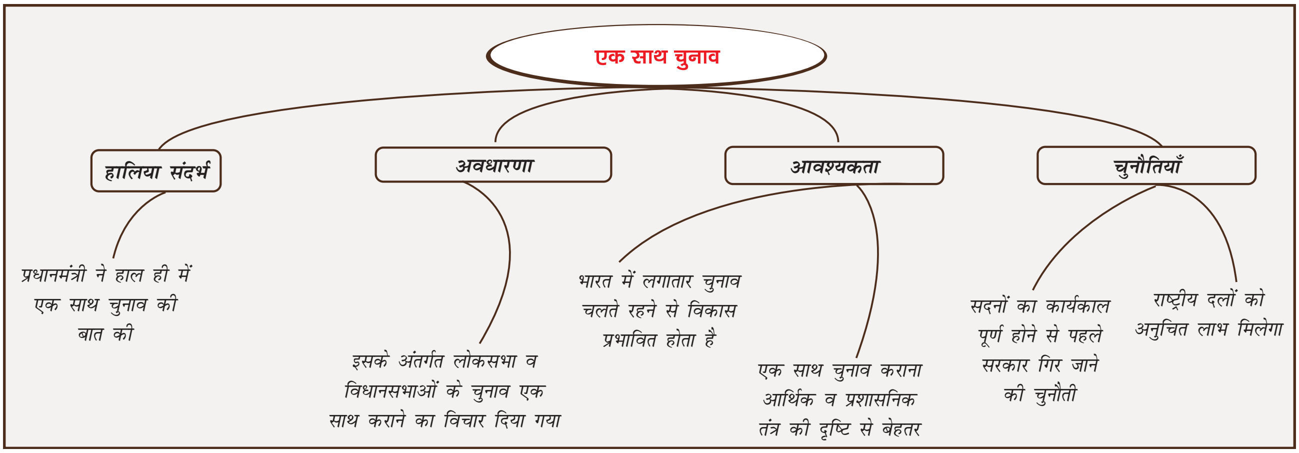

नवंबर 2020 की शुरुआत में दुनिया भर की नज़रें अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर थीं। हालाँकि इस बात पर कम ही लोगों का ध्यान गया कि 3 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हेतु मतदान के साथ अमेरिकी कॉन्ग्रेस के उच्च सदन सीनेट व निम्न सदन हाउस ऑफ रिप्रेज़ेंटेटिव्स के सदस्यों के चुनाव हेतु भी मतदान किया गया। इतना ही नहीं, अमेरिका के 11 राज्यों में राज्य गवर्नर व कॉन्ग्रेस के चुनावों हेतु भी मतदान किया गया। उल्लेखनीय है कि अमेरिका में इसी प्रकार हर दूसरे वर्ष फेडरल कॉन्ग्रेस तथा विभिन्न राज्यों के गवर्नर व कॉन्ग्रेस और हर चौथे वर्ष इन सभी के साथ राष्ट्रपति पद के चुनाव हेतु भी मतदान एक ही दिन संपन्न करा लिया जाता है। इस प्रकार अमेरिका कमोबेश 'एक साथ चुनाव' (Simultaneous Elections) प्रारूप का अनुकरण करता है। भारत में भी बीते लगभग एक दशक से ऐसे ही मॉडल पर लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराते हुए 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की दिशा में बढ़ने की मांग की जाती रही है। यह इसलिये भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान सरकार भी 2014 में अपने प्रथम कार्यकाल की शुरुआत से ही इस दिशा में आम राजनीतिक-प्रशासनिक सहमति बनाने की दिशा में प्रयासरत है। गत 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण देते हुए पुनः भारत में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की उपयोगिता को रेखांकित किया। प्रस्तुत लेख में हम 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा को समझते हुए इसकी आवश्यकता, कार्यान्वयन व व्यवहार्यता तथा इससे जुड़ी चुनौतियों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे।

एक राष्ट्र, एक चुनाव : अवधारणा

एक लोकतांत्रिक राजव्यवस्था के मूलभूत आधार के रूप में भारत का संविधान विभिन्न महत्त्वपूर्ण संस्थाओं, यथा- राष्ट्रपति; उपराष्ट्रपति; संसद के दोनों सदनों; राज्य विधानमंडल का गठन स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से एक निर्धारित कार्यकाल हेतु किये जाने का प्रावधान करता है। उपर्युक्त में से संसद के निचले सदन (लोकसभा) तथा राज्यों की विधानसभाओं हेतु चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से कराए जाते हैं। इसके अलावा, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं हेतु भी सामान्यतः प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर चुनाव कराए जाते हैं। इसका अर्थ है कि भारत में कोई भी वयस्क सामान्य रूप से लोकसभा व विधानसभा सदस्यों तथा स्थानीय निकायों में अपने प्रतिनिधि के चुनाव हेतु प्रत्येक 5 वर्ष में मतदान करता है। लोकसभा व विधानसभाओं के चुनावों का प्रशासन व संचालन निर्वाचन आयोग के रूप में एक संघीय संस्था द्वारा तथा स्थानीय चुनावों का आयोजन 'राज्य निर्वाचन आयोग' द्वारा कराया जाता है। चूँकि देश में राज्य चुनाव आयोगों की संख्या बहुत अधिक है व ये सभी विविध चुनावी प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, अतः इन चुनावों को अन्य चुनावों के साथ एकीकृत करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। इसलिये जब 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' अथवा 'एक साथ चुनाव' (Simaltaneous Elections) की बात की जाती है तो उसका तात्पर्य देश के निर्वाचन चक्र को इस तरह संरचित करने से होता है जिससे लोकसभा व राज्य विधानसभाओं हेतु एक ही दिन चुनाव कराए जा सकें। इस स्थिति में मतदाता एक ही दिन व एक ही समय पर लोकसभा और विधानसभा दोनों का सदस्य चुनने हेतु मतदान कर सकेगा। उल्लेखनीय है कि 1951-52 में पहली लोकसभा के चुनाव से लेकर 1967 में चौथी लोकसभा के चुनाव तक देश में इसी तरह मतदान हुआ था, हालाँकि 1968 व 1969 में विभिन्न विधानसभाओं के समय-पूर्व विघटन और फिर 1971 में लोकसभा के समय-पूर्व विघटन से यह चक्र बाधित हो गया।

भारत में चुनाव से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा की जाए तो संविधान के अनुच्छेद 83(2) के अंतर्गत लोकसभा का कार्यकाल पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष तक निर्धारित किया गया है, यदि उसे यह अवधि पूर्ण होने से पहले ही भंग न कर दिया जाए। अनुच्छेद 172(1) के अंतर्गत राज्य विधानसभाओं का भी सामान्य कार्यकाल पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष तक निर्धारित किया गया है, यदि उन्हें यह अवधि पूर्ण होने से पहले ही भंग न कर दिया जाए। संविधान में आपातकालीन स्थिति में सदनों का कार्यकाल 1

कोविड-19 वैक्सीन : क्यों, किसे और कैसे?

शशि भूषण (विवेक राही)

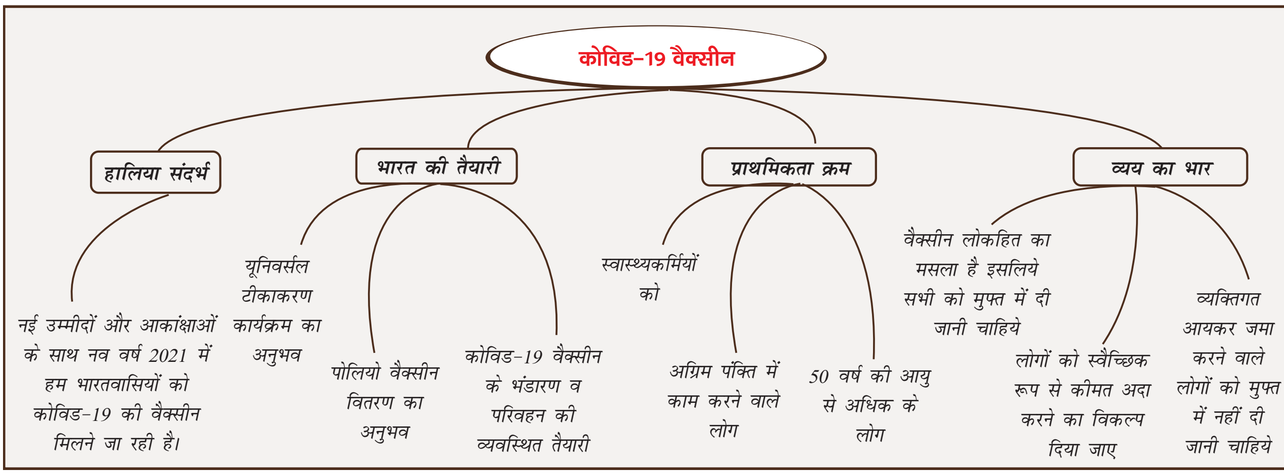

कोविड-19 महामारी ने संपूर्ण मानव जाति की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बड़ी बाधाएँ खड़ी कर दी हैं। पिछला एक वर्ष भय, आशंका, तनाव और पीड़ा में गुज़र गया। एक तरफ आर्थिक हालात खराब होते चले गए तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ विद्यमान हैं। इस महामारी ने न जाने कितनी ज़िंदगियाँ लील ली और जाने कितनों को आर्थिक रूप से विपन्न बना दिया। जीवन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जो इससे प्रभावित न हुआ हो। मन में तो इस तरह की आशंकाएँ भी जन्मीं कि क्या मानवजाति को इस महामारी के साथ ही जीना सीखना पड़ेगा, क्या इसका कोई समाधान नहीं होगा? किंतु जैसा कि कहा गया है, हर रात की एक सुबह होती है, वैसे ही इस महामारी का भी वैज्ञानिकों ने वैक्सीन के रूप में समाधान खोज निकाला। इस वैक्सीन की खोज ने न केवल महामारी से निजात पाना सुनिश्चित किया है बल्कि मानव जाति की श्रेष्ठता को पुनर्स्थापित भी किया है।

नई उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ नव वर्ष 2021 में हम भारतवासियों को कोविड-19 की वैक्सीन मिलने जा रही है। अपने भागीरथ प्रयास से वैक्सीन का निर्माण कर वैज्ञानिकों ने अपना कार्य तो बखूबी अंजाम दे दिया है, अब बारी सरकार व आमजन की है। विशेषज्ञों के अनुसार, कोविड-19 महामारी को लेकर भारत के संदर्भ में सबसे बड़ी चुनौती होगी वैक्सीन का वितरण। सरकार व आमजन के सहयोग से यदि भारत ने वितरण कार्य प्रभावी तौर पर कर लिया तो इस महामारी का खात्मा संभव है। हालाँकि यह कतई आसान काम नहीं होगा। 130 करोड़ की आबादी के लिये 2.5 अरब से ज़्यादा डोज़ का प्रबंधन, वितरण ढाँचा और निगरानी तंत्र स्थापित करना, टीकाकरण का व्ययभार, लाभार्थियों को चिह्नित करना, लोगों को जागरूक करना इत्यादि कई ऐसी चुनौतियाँ हैं जिनसे पार पाना होगा।

वैक्सीन ज़रूरी क्यों है?

वर्ष 2020 की शुरुआत में जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया तभी से सबके मन में यह सवाल उठा कि आखिर इस वायरस का इलाज क्या है? डब्ल्यू.एच.ओ. की तरफ से मास्क लगाने, साबुन से बार-बार हाथ धुलने या सेनिटाइज़र का इस्तेमाल करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने जैसे उपाय बताए गए जो कि वायरस के प्रसार से बचाव संबंधी थे न कि इलाज। शुरुआती दौर में हाइड्रोक्लोरोक्वाइन व कुछ अन्य दवाओं के इस्तेमाल की बात की गई, फिर प्लाज़्मा थेरेपी का प्रयोग किया, किंतु ये सब वायरस से निपटने में एक हद तक ही कारगर साबित हुए। जल्द ही पूरी दुनिया में डब्ल्यू.एच.ओ. के मार्गदर्शन में यह सहमति बन गई कि कोविड-19 वायरस से सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन से निपटा जा सकता है। किंतु वैक्सीन बनाना इतना सरल कार्य तो है नहीं। यहाँ, सरल नहीं है कहने का अर्थ है कि यह अनुसंधान पर निर्भर समयसाध्य प्रक्रिया है। चूँकि सभी देशों को यह पता था कि वैक्सीन ही एकमात्र इलाज है और वैक्सीन तैयार करना एक समयसाध्य काम है तो लगभग सभी सरकारों ने लॉकडाउन का रास्ता अपनाया। जैसे-जैसे सरकारों की इस वायरस से बचाव संबंधी तैयारियों ने गति पकड़ी, वैसे-वैसे विभिन्न तरह के प्रतिबंध लगाकर व बचाव संबंधी उपायों के अपनाने के निर्देश के साथ लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से घटाया गया ताकि सामान्य जनजीवन की बहाली संभव हो सके। साथ ही वैक्सीन निर्माण की गतिविधियों ने ज़ोर पकड़ना भी शुरू कर दिया।

वैक्सीन तैयार होने की प्रक्रिया में सामान्यत: छ: चरण होते हैं- खोजपरक (Exploratory) चरण, प्री क्लीनिकल चरण, क्लीनिकल चरण, विनियामक समीक्षा व अनुमोदन चरण, विनिर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण चरण। इन चरणों को पूरा करने में कम-से-कम एक साल का वक्त लग जाता है। किंतु हमें स्वास्थ्य क्षेत्र के अनुसंधानकर्त्ताओं और विशेषज्ञों के प्रति शुक्रगुज़ार होना चाहिये कि उन्होंने एक वर्ष से भी कम समय में वैक्सीन तैयार कर ली है और अब कई देशों में यह लोगों को दी जाने लगी है।

पश्चिमी घाट की जैव-विविधता

दिपाली तायडे

(ऑडियो आर्टिकल शृंखला दृष्टि के यूट्यूब चैनल 'Drishti IAS' पर प्रसारित की जाती है जिसमें महत्त्वपूर्ण विषयों पर अंग्रेज़ी अखबारों और पत्रिकाओं में छपे लेखों का सार प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत ऑडियो आर्टिकल Down to Earth में प्रकाशित लेख, "Writing on the Wall : Infrastructure Projects are Destroying Western Ghats" और Livemint में छपी खबर "Conservation Outlook of Western Ghats Grim, Says Report" के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं।)

बीते दिनों आईयूसीएन यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) ने 'वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 3' रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में 252 प्राकृतिक विश्व धरोहरों के संरक्षण के लिये उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई। इसमें 2014 और 2017 की रिपोर्ट के आधार पर हुए काम और मौजूदा स्थिति का ज़िक्र किया गया है तथा जैव-विविधता के अहम क्षेत्र कहे जाने वाले पश्चिमी घाट की पर्वतमालाओं के संरक्षण को लेकर गहरी चिंता जताई गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पश्चिमी घाट पर जनसंख्या के दबाव, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन का खतरा है। आईयूसीएन की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी घाट की पर्वतशृंखला का संरक्षण परिदृश्य गंभीर चिंता का विषय है। रिपोर्ट के मुताबिक, ''पश्चिमी घाट के संदर्भ में आंतरिक और बाहरी जनसंख्या दबाव को देखते हुए इतनी जैव-विविधता होना असाधारण है।'' इसमें कहा गया है कि नई सड़कों के निर्माण, मौजूदा सड़कों को चौड़ा करने, बिजली उत्पादन जैसे विकास कार्यों के दबाव से भी यहाँ खतरा बना रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि "पूरे क्षेत्र में गतिविधियाँ चला रहे विभिन्न हितधारकों की बड़ी संख्या को देखते हुए राजनीतिक रूप से पूरे पश्चिमी घाट का संरक्षण और प्रबंधन बहुत ही कठिन है।" ऐसे में पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिये और अधिक गंभीरता से उपाय करने की ज़रूरत जान पड़ती है।

पश्चिमी घाट के बारे में

पश्चिमी घाट महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर ताप्ती नदी से शुरू होकर दक्षिण में तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैला है। लगभग 1600 किलोमीटर क्षेत्र में फैले पश्चिमी घाट का विस्तार 6 राज्यों- गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक है। पश्चिमी घाट का कुल क्षेत्रफल तकरीबन 1.60 लाख वर्ग किलोमीटर है।

प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है। जिनमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, काली नदी और पेरियार आदि प्रमुख हैं। इस क्षेत्र का लगभग 30 फीसद भाग वनाच्छादित है और यहाँ उष्णकटिबंधीय नमी वाले सदाबहार वन और नमी वाले पतझड़ी वन शामिल हैं। पश्चिमी घाट के ऊपरी हिस्से में पाए जाने वाले शोला नामक घास के प्राकृतिक मैदान इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता हैं।

पश्चिमी घाट, भारत के सबसे ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक है, साथ ही यह भारतीय प्रायद्वीप की जलवायु को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित भी करता है। पश्चिमी घाट की पर्वतीय शृंखला के वन भारतीय मानसून की स्थिति को प्रभावित करते हैं।

पश्चिमी भारत की प्रमुख जैव-विविधता

पश्चिमी घाट पर्वतीय शृंखला को विश्व में जैव-विविधता के 8 सर्वाधिक संपन्न क्षेत्रों में से एक माना जाता है। इसकी समृद्ध जैव-विविधता के कारण यूनेस्को ने 2012 में इसे प्राकृतिक वैश्विक धरोहर स्थल का दर्जा दिया था। पश्चिमी घाट की गिनती विश्व के जैव-विविधता के उन प्रमुख केंद्रों में होती है जिन्हें हॉट-स्पॉट के रूप में जाना जाता है। जैव-विविधता हॉट-स्पॉट उस जैव भौगालिक क्षेत्र को कहते हैं जहाँ ऐसे विविध प्रकार के जीव बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, जिन पर संकट मंडरा रहा है।

पश्चिमी घाट में फिलहाल लगभग 5000 प्रजातियों के पुष्पी पादप, 139 स्तनधारी प्रजातियाँ, 508 पक्षी प्रजातियाँ और 179 उभयचरों (एम्फीबियन) का आवास स्थल है। यहाँ की पर्वत शृंखलाएँ लगभग 325 संकटग्रस्त प्रजातियों की भी आश्रय स्थल हैं। पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से काफी संवेदनशील क्षेत्र के रूप में देखा जाता है जिसमें कई प्रजातियाँ लुप्त होने की कगार पर हैं। पर्यावास बदलने, अधिक दोहन होने, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन ऐसे प्रमुख कारण हैं जिनसे जैव-विविधता को नुकसान पहुँच रहा है। इसके अलावा भी पश्चिमी घाट की जैव-विविधता के सामने कई तरह की चुनौतियाँ मौजूद हैं।

पश्चिमी घाट की प्रमुख पारिस्थितिकीय समस्याएँ

पश्चिमी घाट क्षेत्र की प्रमुख पारिस्थितिकीय समस्याओं में जनसंख्या और उद्योगों का दबाव शामिल हैं। मानवीय गतिविधियों के बढ़ने से इस क्षेत्र की जैव-विविधता गहरे तौर पर प्रभावित हुई है। पश्चिमी घाट में होने वाली पर्यटन गतिविधियों से भी इस क्षेत्र और यहाँ की वनस्पति पर दबाव बढ़ा है। नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत वन भमि का डूब क्षेत्र में आना और वन भूमि पर अतिक्रमण भी एक बड़ी समस्या है। इसी तरह खनन कार्य, चाय, कॉफी, रबड़, यूकेलिप्टस और फसली बागान भी इस क्षेत्र की जैव-विविधता को प्रभावित करते हैं।

रेल और सड़क जैसी बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ भी इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर दबाव डालती हैं। इनके अलावा भू-क्षरण और भू-स्खलन जैसे कई प्राकृतिक और मानवीय कारणों से भी पश्चिमी घाट की जैव-विविधता प्रभावित हुई है। इन क्षेत्रों में भू-संचालन, भूमि उप-विभाजन, दरार और मिट्टी की कटाई से भूस्खलन का खतरा लगातार बना रहता है। इस तरह की स्थितियाँ केरल के त्रिशूर और कन्नूर ज़िलों में खास तौर

करेंट अफेयर्स

(21 नवंबर-20 दिसंबर, 2020 तक कवरेज)

अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम 21-25

- अल-नीनो और भारत में सूखे का पैटर्न ★★★ 22
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 ★★★ 23
- G20 सम्मेलन, 2020 ★★★ 25

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम 26-32

- राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति ★★★ 26
- राजनीतिक दलों के प्रतीक चिह्न ★★★ 27
- गैर-कानूनी धर्मांतरण पर उत्तर प्रदेश सरकार का अध्यादेश ★★★ 28
- विज़न 2035 : भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी ★★★ 29
- जम्मू-कश्मीर का रोशनी अधिनियम ★★ 30
- स्वास्थ्य क्षेत्र में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें ★★ 31
- सुपर-स्पेशलिटी मेडिकल पाठ्यक्रमों में आरक्षण ★★ 31
- संविधान दिवस ★★ 32

आर्थिक घटनाक्रम 33-39

- निजी क्षेत्र के बैंकों की कॉर्पोरेट संरचना ★★★ 33
- NIIF में कैपिटल इन्फ्यूज़न को कैबिनेट की मंज़ूरी ★★★ 33
- एसेट क्वालिटी एवं क्रेडिट चैनल पर RBI का वर्किंग पेपर ★★★ 34
- केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड ★★ 35
- लॉटरी, जुआ और सट्टेबाज़ी पर कर संबंधी नियम ★★ 36
- पेट्रोलियम बोर्ड का नया टैरिफ ढाँचा ★★ 37
- नेगेटिव यील्ड बॉण्ड ★★ 38
- नगर निगम बॉण्ड ★★ 39

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 40-47

- अमेरिका की करेंसी वॉच लिस्ट में भारत ★★★ 40
- विशेष चिंता वाले देशों की सूची ★★★ 40
- भारत-बहरीन संबंध ★★★ 41
- भारत-स्विट्ज़रलैंड संबंध ★★★ 43
- भारत-उज़्बेकिस्तान आभासी शिखर सम्मेलन ★★★ 43
- भारत-वियतनाम वार्त्ता ★★★ 45
- भारत-बांग्लादेश शिखर सम्मेलन ★★★ 46

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 48-51

- CMS-01 उपग्रह का प्रक्षेपण ★★★ 48
- IRNSS को IMO की मान्यता ★★★ 49
- चीन के क्वांटम कंप्यूटर का प्रोटोटाइप ★★★ 50
- क्वांटम कुंजी-वितरण की सहायता से संचार ★★ 51
- नैरो बैंड-इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क ★★ 51

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 52-58

- भारत में वायु प्रदूषण की बदलती प्रवृत्ति ★★★ 52
- वैश्विक जलवायु की स्थिति रिपोर्ट (अनंतिम) ★★★ 53
- उत्सर्जन गैप रिपोर्ट-2020 : UNEP ★★★ 55
- जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक-2021 ★★ 56
- बाघ संरक्षण के लिये पुरस्कार ★★ 57
- यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ: UNEP ★★ 58
- इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल ★★ 58

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन 59-63

- चीन की 'वाटर बम' की रणनीति ★★★ 59
- उत्तर-पूर्वी मानसून वर्षा में गिरावट ★★★ 60
- चरम जलवायु घटनाओं का प्रथम मानचित्रण ★★ 62
- माउंट एवरेस्ट की नई ऊँचाई ★ 63

सामाजिक मुद्दे 64-71

- मानव विकास रिपोर्ट: UNDP ★★★ 64
- राष्ट्रीय पोषण मिशन पर रिपोर्ट ★★★ 65
- विश्व मलेरिया रिपोर्ट-2020 ★★★ 67
- निमोनिया एवं डायरिया प्रगति रिपोर्ट-2020 ★★★ 68
- स्टेप अप फॉर टीबी 2020 रिपोर्ट ★★★ 69
- मानवाधिकार दिवस ★★ 70

कला एवं संस्कृति 72-74

- ग्वालियर एवं ओरछा ★★★ 72
- सिंधु घाटी सभ्यता का आहार ★★★ 72
- हम्पी में अवस्थित रथ मंदिर ★★★ 73
- गुरु नानक जयंती ★★ 74

आंतरिक सुरक्षा 75-77

- भारत में कट्टरता की स्थिति ★★★ 75
- राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता केंद्र ★★ 76
- आपराधिक वित्तियन और क्रिप्टोकरेंसी ★★ 76

1 अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम

अल-नीनो और भारत में सूखे का पैटर्न

चर्चा में क्यों?

भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के हालिया एक अध्ययन के अनुसार, भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान सूखे का एकमात्र कारण अल-नीनो नहीं है।

प्रमुख बिंदु

- अल-नीनो पेरू तट के पास पूर्वी प्रशांत महासागर के सतही जल का **स्थानीय उष्मन** है जो वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण को प्रभावित करता है। अल-नीनो को स्पेनी भाषा में **'शिशु क्राइस्ट'** के रूप में भी जाना जाता है।
- अल-नीनो जून और सितंबर के मध्य भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के विफल होने का सामान्य कारण माना जाता है।

अध्ययन का निष्कर्ष

- अध्ययन में पाया गया कि पिछली सदी में भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान सूखे की कुल घटनाओं में से 43% के लिये **उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र के वायुमंडलीय विक्षोभों** को उत्तरदायी माना जा सकता है। भारत में सूखे की ये घटनाएँ उन वर्षों के दौरान भी घटित हुईं जब **अल-नीनो** का प्रभाव नहीं था।
- अध्ययन में सूखे के दो प्रकार के पैटर्न का पता चला है। अल-नीनो वाले वर्षों के दौरान जून के मध्य से ही वर्षा में कमी शुरू हो जाती है और यह कमी पूरे मानसून काल में जारी रहती है। जबकि अल-नीनो रहित वर्ष में मानसून के दौरान सामान्य वर्षा होती है लेकिन अगस्त में अचानक और तेज़ी से गिरावट देखी गई है।
- अगस्त माह के दौरान बारिश में कमी का कारण मध्य अक्षांशों में एक **असामान्य वायुमंडलीय विक्षोभ** का बनना है। यह विक्षोभ ऊपरी वायुमंडल की उन पवनों के कारण उत्पन्न होता है जो असामान्य रूप से ठंडे उत्तरी अटलांटिक जल निकायों के ऊपर चक्रवातीय परिसंचरण के साथ अंत:क्रिया करते हैं।

अल-नीनो 'लिटिल ब्रदर'

अटलांटिक-नीनो को अल-नीनो के 'लिटिल ब्रदर' रूप में भी जाता है। अटलांटिक-नीनो के समय पूर्वी भूमध्यरेखीय बेसिन का तापमान औसत समुद्री सतही तापमान (SST) से अधिक और पूर्वी-मध्य भूमध्यरेखीय बेसिन में व्यापार हवाएँ कमज़ोर रहती हैं। अल-नीनो का चरम प्रभाव शीतकाल में देखने को मिलता है, वहीं अटलांटिक-नीनो ग्रीष्मकाल में अपने चरम पर पहुँचता है। अल-नीनो का जलवायु पर प्रभाव वैश्विक रहता है जबकि अटलांटिक-नीनो स्थानीय घटना है। अटलांटिक महासागर में अल-नीनो के 'लिटिल ब्रदर' पर वैज्ञानिकों ने बहुत जानकारी प्राप्त की है, लेकिन अभी तक बहुत कुछ अज्ञात है।

- इन चक्रवातीय परिसंचरण के परिणामस्वरूप वायुराशियों की **'रॉस्बी तरंग'** उत्तरी अटलांटिक से तिब्बत के पठार की ओर बढ़ती है और अगस्त के मध्य में भारतीय उपमहाद्वीप से टकराती है। ये तरंगें मानसून को प्रभावित करती हैं तथा सूखे जैसी स्थिति को जन्म देती हैं।

अल-नीनो की पहचान

- **सामुद्रिक नीनो सूचकांक (ONI):** उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अल-नीनो (ऊष्ण) और ला-नीना (शीत) घटनाओं की पहचान करने के लिये 'राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन' (NOAA) द्वारा **ओशनिक नीनो इंडेक्स (ONI)** का उपयोग किया जाता है। यदि तीन महीने की अवधि में औसत सामुद्रिक तापमान (SST) में सामान्य से **+0.5°C** विसंगति हो तो इस समय अल-नीनो वर्ष जबकि SST में **-0.5°C** की विसंगति हो तो इस समय को ला-नीना की घटना के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- **दक्षिणी दोलन सूचकांक (SOI):** दक्षिणी दोलन से आशय प्रशांत और इंडो-ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्रों के बीच वायुदाब के संतुलन के लिये वायुराशी का **पूर्व से पश्चिम** की ओर गतिशील होना है। यह विशिष्ट पवन प्रतिरूप है जो अल-नीनो की घटना के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे SOI द्वारा मापा जाता है। अल-नीनो एक **महासागरीय परिघटना** है, जबकि दक्षिणी दोलन **वायुमंडलीय परिघटना** है। इन्हें संयुक्त रूप में **ENSO (अल नीनो-दक्षिणी दोलन)** के रूप में जाना जाता है। SOI प्रशांत महासागर में अल-नीनो या ला-नीना घटनाओं के विकास और तीव्रता को बताता है। SOI का मान लगातार **नकारात्मक** (-8 से नीचे रहे) रहे तो अल-नीनो घटना को दर्शाता है और यदि इसका मान **सकारात्मक** रहे (+8 से ऊपर हो) तो यह ला-नीना घटना को बताता है।

अल-नीनो का वैश्विक प्रभाव

- अल-नीनो और ला-नीना की घटनाएँ न केवल समुद्र के तापमान को प्रभावित करती हैं बल्कि इनसे **स्थलमंडलीय वर्षा प्रतिरूप** भी व्यापक स्तर पर प्रभावित होता है। ENSO घटनाओं की चक्रीय आवृत्ति देखने को मिलती है, जिसमें विश्व के विभिन्न भागों पर इनका प्रभाव अलग-अलग समय में अलग-अलग रूप में देखने को मिलता है।
- अल-नीनो एक वैश्विक घटना है और इसका प्रभाव क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। स्थानीय तौर पर प्रशांत क्षेत्र में मत्स्य उत्पादन से लेकर दुनिया भर के अधिकांश मध्य अक्षांशीय हिस्सों में बाढ़, सूखा, वनाग्नि, तूफान या वर्षा आदि के रूप में इसका असर सामने आता है। पूरे भारत में, आमतौर पर अल-नीनो के समय सूखा जबकि ला-नीना के समय अच्छा मानसून रहता है।

2 संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति ★★★

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के राष्ट्रपति ने अपने पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को क्षमा करने के लिये संविधान के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है।

प्रमुख बिंदु

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों के विपरीत भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करना होता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को संघीय अपराधों से संबंधित अपराधों को क्षमा करने या सज़ा की प्रकृति को बदलने का संवैधानिक अधिकार है।

- क्षमादान एक व्यापक कार्यकारी और विवेकाधीन शक्ति है, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति के लिये जवाबदेह नहीं है, और अपने आदेश के कारण बताने के लिये बाध्य नहीं है, परंतु इसकी कुछ सीमाएँ हैं।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है।**

अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली

- लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की **अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रायः राज्य का प्रमुख (राष्ट्राध्यक्ष) सरकार (कार्यपालिका) का भी अध्यक्ष होता है।**
- अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में **कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिये विधायिका पर निर्भर नहीं रहती है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है।**
- अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में **कार्यपालिका और विधायिका एक-दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। इस प्रणाली में राज्य का मुखिया तथा सरकार का मुखिया एक ही व्यक्ति होता है।**

- संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि **राष्ट्रपति को यह शक्ति बिना किसी सीमा के दी गई है और इसे कॉन्ग्रेस (विधायिका) द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।**

सीमाएँ

- महाभियोग के मामलों को छोड़कर, अमेरिकी राष्ट्रपति के पास अमेरिका के खिलाफ किये गए अपराधों के लिये दंडविराम और क्षमा करने की शक्ति होगी।
- इसके अलावा, ये शक्तियाँ केवल संघीय अपराधों पर लागू होती हैं, राज्य के खिलाफ अपराधों पर नहीं।
- ऐसे लोग जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा माफ कर दिया गया है, वे व्यक्तिगत रूप से राज्यों के कानूनों के तहत भी कोशिश कर सकते हैं।

भारत में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति

- संविधान के **अनुच्छेद-72** के तहत, राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं जो निम्नलिखित मामलों में किसी अपराध के लिये दोषी करार दिये गए हो–
  - संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के संदर्भ में दिये गए दंड में,
  - सैन्य न्यायालय द्वारा दिये गए दंड में, और
  - यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो।
- राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के दो रूप हैं–
  - विधि के प्रयोग में होने वाली न्यायिक गलती को सुधारने के लिये।
  - यदि राष्ट्रपति दंड का स्वरूप अधिक कड़ा समझता है तो उसका बचाव प्रदान करने के लिये।

सीमाएँ

- **राष्ट्रपति, सरकार से स्वतंत्र होकर क्षमादान की अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता किंतु राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है।**
- उच्चतम न्यायालय (SC) ने कई मामलों में निर्णय दिया है कि राष्ट्रपति को दया याचिका का फैसला करते हुए मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्रवाई करनी है। इनमें वर्ष 1980 में **'मारूराम बनाम भारत संघ'** और वर्ष 1994 में **'धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले'** शामिल हैं।

प्रक्रिया

- राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका को मंत्रिमंडल की सलाह लेने के लिये केंद्रीय गृह मंत्रालय के समक्ष भिजवाया जाता है।
- मंत्रालय याचिका को संबंधित राज्य सरकार को भेजता है, जिसका उत्तर मिलने के बाद मंत्रिपरिषद अपनी सलाह देती है।

पुनर्विचार

- यद्यपि राष्ट्रपति पर मंत्रिमंडल की सलाह बाध्यकारी होती है, **अनुच्छेद 74 (1)** उन्हें मंत्रिमंडल के पुनर्विचार हेतु इसे वापस करने का अधिकार देता है। यदि मंत्रिमंडल किसी भी बदलाव के बिना इसे राष्ट्रपति को भेजता है तो राष्ट्रपति के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता है।
- संविधान के **अनुच्छेद 161** के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त हैं।

राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों के मध्य अंतर

अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का दायरा **अनुच्छेद 161** के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से अधिक है जो निम्नलिखित

3 आर्थिक घटनाक्रम

निजी क्षेत्र के बैंकों की कॉर्पोरेट संरचना ★★★

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व और कॉर्पोरेट ढाँचे** पर मौजूदा दिशा-निर्देशों की समीक्षा के लिये गठित **'आंतरिक कार्य समूह'** (Internal Working Group-IWG) द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश की गई।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस **पाँच सदस्यीय** आंतरिक कार्य-समूह (IWG) का गठन सेंट्रल बोर्ड के निदेशक **पी.के. मोहंती** की अध्यक्षता में किया गया था।
- IWG द्वारा निजी क्षेत्र के बैंकों के लिये स्वामित्व और नियंत्रण, प्रवर्तकों की धारिता, कंपनी के मौजूदा शेयरधारकों के स्वामित्व प्रतिशत में कमी, नियंत्रण और मतदान के अधिकार आदि से संबंधित मौजूदा लाइसेंसिंग और विनियामक दिशा-निर्देशों की समीक्षा की गई है।

समूह के लिये संदर्भ की शर्तें (Terms of Reference)

- भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व और नियंत्रण से संबंधित मौजूदा लाइसेंसिंग दिशा-निर्देशों और नियमों की समीक्षा करना।
- प्रवर्तकों/प्रमोटर्स की शेयरधारिता से संबंधित नियमों तथा उनकी शेयरधारिता घटाने की समय-सीमा की समीक्षा करना।
- बैंकिंग लाइसेंस के लिये आवेदन करने और इससे संबंधित मुद्दों पर व्यक्तियों तथा संस्थाओं को आवश्यक पात्रता मानदंडों की जाँच और समीक्षा करना।
- **'नॉन-ऑपरेटिव फाइनेंसियल होल्डिंग कंपनी'** (Non-Operative Financial Holding Company-NOFHC) में शेयरधारिता से संबंधित नियमों का अध्ययन करना और सभी बैंकों के लिये एकसमान विनियमन को लागू करने से संबंधित सुझाव देना।
- NOFHC, एक प्रकार की **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी** (NBFC) होती है। इस प्रकार की NBFC में प्रमोटर्स को एक नया बैंक स्थापित करने की अनुमति दी जा सकती है।
- बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े किसी भी अन्य सार्थक मुद्दे की पहचान करना और उससे संबंधित सिफारिशें करना।

समिति की प्रमुख सिफारिशें

- वर्तमान में प्रवर्तकों/प्रमोटर्स के लिये निजी क्षेत्र के बैंकों में अधिकतम शेयरधारिता की सीमा **बैंकों की पेड-अप वोटिंग इक्विटी पूंजी का 15% है, इसे मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 26% किया जा सकता** है।
- गैर-प्रवर्तक शेयरधारकों के लिये अधिकतम शेयरधारिता की सीमा बैंक के पेड-अप वोटिंग इक्विटी पूंजी के 15% की एक समान कैप निर्धारित की जा सकती है।
- बैंकों के प्रवर्तकों के रूप में बड़े कॉर्पोरेट/औद्योगिक घरानों के प्रवेश के लिये **'बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949** में संशोधन किया जाना चाहिये तथा निजी बैंकों के सभी बड़े प्रमोटर्स के समेकित पर्यवेक्षण के लिये मौजूदा तंत्र को मज़बूत किया जाना चाहिये।
- अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाली बड़ी NBFCs जिनकी संपत्ति का आकार ₹50,000 करोड़ या इससे अधिक है, उन्हें परिचालन के 10 वर्ष पूरे करने तथा इस संबंध में निर्दिष्ट अतिरिक्त शर्तों का अनुपालन करने पर बैंकों में रूपांतरण के लिये योग्य माना जा सकता है।
- भुगतान बैंकों को **'लघु वित्त बैंक'** में बदलने के लिये आवश्यक मानदंडों के रूप में 3 वर्ष का अनुभव पर्याप्त है।
- लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक की पूंजी का आकार 6 वर्ष के भीतर **'सार्वभौमिक बैंकों'** की शुरुआत के लिये आवश्यक न्यूनतम प्रचलित एंट्री कैपिटल के समतुल्य नेटवर्थ तक पहुँच जाए या परिचालन को 10 वर्ष पूरे हो जाएँ (जो भी पहले हो), तो उसे सार्वभौमिक बैंक के रूप में मान्यता दी जा सकती है।
- गौरतलब है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दो प्रकार के लाइसेंस जारी किये जाते हैं: **'सार्वभौमिक बैंक लाइसेंस'** (Universal Bank Licence) और **'विभेदित बैंक लाइसेंस'** (Differentiated Bank Licence)। भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक एक विशेष प्रकार के बैंक हैं, जिन्हें कुछ सीमित बैंकिंग क्रियाकलापों की अनुमति है।
- नए बैंकों को लाइसेंस देने के लिये **आवश्यक न्यूनतम प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता को सार्वभौमिक बैंकों के लिये ₹500 करोड़ से बढ़ाकर ₹1,000 करोड़** और **छोटे वित्त बैंकों के लिये ₹200 करोड़ से बढ़ाकर ₹300 करोड़** तक किया जाना चाहिये।
- NOFHC को सार्वभौमिक बैंकिंग के लिये लाइसेंस जारी करने में वरीयता दी जा सकती है। वर्तमान में NOFHC संरचना के अंतर्गत आने वाले ऐसे बैंक, जिनके पास अन्य समूह इकाइयाँ नहीं हैं, उन्हें सार्वभौमिक बैंकिंग प्रणाली से बाहर निकलने की सुविधा देनी चाहिये।

निष्कर्ष

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित इस कार्य-समूह की सिफारिशों को लागू करने से विभिन्न समयावधि में स्थापित बैंकों के लिये बनाए गए नियमों को तर्कसंगत एवं उचित रूप से लागू किया जा सकेगा जिससे बैंकिंग लाइसेंस प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

NIIF में कैपिटल इन्फ्यूज़न को कैबिनेट की मंज़ूरी ★★★

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **'राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष'** (National Investment and Infrastructure Fund-NIIF) द्वारा प्रायोजित

4 अंतर्राष्ट्रीय संबंध

अमेरिका की करेंसी वॉच लिस्ट में भारत ★★★

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारत को पुनः अपनी 'करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट' में शामिल कर लिया है।**

प्रमुख बिंदु

- ज्ञात हो कि **वर्ष 2019 में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारत को इस 'करेंसी मैनिपुलेटर' वॉच लिस्ट से हटा दिया था।**
- **ट्रेजरी विभाग ने वियतनाम और स्विट्ज़रलैंड को 'करेंसी मैनिपुलेटर' के रूप में चिह्नित किया है।**
- **भारत के साथ ही ताइवान और थाईलैंड को भी 'करेंसी मैनिपुलेटर' वॉच लिस्ट में शामिल किया गया है, जबकि सात देश पहले से ही इस सूची में शामिल हैं।**
- इस सूची में शामिल अन्य देश चीन, जापान, कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर और मलेशिया हैं।

करेंसी मैनिपुलेटर

- **यह अमेरिकी सरकार द्वारा उन देशों को दिया जाने वाला एक लेबल है जो जानबूझकर 'अनुचित मुद्रा प्रथाओं' का उपयोग कर डॉलर के मुकाबले अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं ताकि विनिमय दर के माध्यम से 'अनुचित लाभ' प्राप्त किया जा सके।**
- ऐसा माना जाता है कि **विचाराधीन देश अन्य देशों से 'अनुचित लाभ' प्राप्त करने के लिये कृत्रिम रूप से अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर रहा है। मुद्रा के अवमूल्यन के कारण उस देश से निर्यात की लागत काफी कम हो जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप निर्यात में बढ़ोतरी होगी और व्यापार घाटा कम हो जाएगा।**

'करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट'

- **अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा अर्द्धवार्षिक रूप से रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें वह अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में विकास की गति को ट्रैक करता है तथा विदेशी विनिमय दरों का निरीक्षण करता है।**
- **मानदंड:** जो भी देश अमेरिका के 'ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ट्रेंड एनफोर्समेंट एक्ट' (वर्ष 2015) के तहत निर्धारित तीन मानदंडों में से दो को पूरा करता है, उसे 'करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट' में शामिल किया जाता है। इन मापदंडों में शामिल हैं:
    - अमेरिका के साथ 'महत्त्वपूर्ण' द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष-बीते 12 माह की अवधि में कम-से-कम 20 बिलियन डॉलर।
    - 12 माह की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के कम-से-कम 2 प्रतिशत के बराबर चालू खाता अधिशेष।
    - विदेशी मुद्रा बाज़ार में एकपक्षीय-हस्तक्षेप, जब 12 महीने की अवधि में कुल विदेशी मुद्रा की शुद्ध खरीद देश की GDP का कम-से-कम 2 प्रतिशत हो और 12 माह में कम-से-कम छह माह तक लगातार विदेशी मुद्रा की खरीद की जाए।
- **परिणाम:** यद्यपि इस **सूची में शामिल होना किसी भी तरह के दंड अथवा प्रतिबंधों के अधीन नहीं है,** किंतु इसके कारण विदेशी मुद्रा नीतियों के संदर्भ में वैश्विक वित्तीय बाज़ार में देश की छवि को काफी नुकसान पहुँचता है।

भारत की स्थिति

- अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि **भारत और सिंगापुर ने विदेशी मुद्रा बाज़ार में निरंतर और असममित तरीके से हस्तक्षेप किया, किंतु वे 'करेंसी मैनिपुलेटर' के रूप में चिह्नित/लेबल किये जाने हेतु अन्य आवश्यक मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं।**
- रिपोर्ट की माने तो भारत, जिसने बीते कई वर्षों से अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष को बनाए रखा है, ने हाल ही में 20 बिलियन डॉलर की सीमा को पार कर लिया है।
- जून 2020 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय माल व्यापार अधिशेष कुल 22 बिलियन डॉलर पर पहुँच गया है।
- इसके अलावा वर्ष 2019 की दूसरी छमाही में भारत की विदेशी मुद्रा की शुद्ध खरीद में तेज़ी दर्ज की गई थी। इसके पश्चात् महामारी के शुरुआती दौर में वर्ष 2020 की पहली छमाही में भी भारत ने विदेशी मुद्रा की खरीद जारी रखी, जिसके परिणामस्वरूप जून 2020 तक भारत की विदेशी मुद्रा की शुद्ध खरीद 64 बिलियन डॉलर या कुल GDP के 2.4 प्रतिशत तक पहुँच गई थी।
- **विशेषज्ञों की माने तो 'करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट' में शामिल होने के बाद रुपए के मूल्य में अभिमूल्यन (Appreciation) हो सकता है, क्योंकि अब रिज़र्व बैंक हस्तक्षेप करेगा और वह अपनी कुछ विदेशी मुद्रा बेच देगा।**
- **मुद्रा अभिमूल्यन का आशय किसी अन्य मुद्रा के संबंध में एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि से है। यदि किसी देश की मुद्रा किसी अन्य देश की मुद्रा के सापेक्ष अधिक मूल्यवान हो रही है, तो वह मुद्रा अधिक मज़बूत मानी जाती है।**

विशेष चिंता वाले देशों की सूची ★★★

चर्चा में क्यों?

अमेरिकी विदेश विभाग ने हाल ही में **धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाले देशों को 'विशेष चिंता वाले देश' (Countries of Particular Concern- CPC) की सूची में शामिल किया है।**

5 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

CMS-01 उपग्रह का प्रक्षेपण ★★★

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 'ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान' (PSLV-C50) की सहायता से 'सीएमएस-01' (CMS-01) नामक एक संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया** है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि इससे पहले **नवंबर 2020 में इसरो ने भारत के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, EOS-01 के साथ नौ अन्य ग्राहक उपग्रहों (Customer Satellites) को प्रक्षेपित किया** था।
- **CMS-01 एक संचार उपग्रह** है जिसकी परिकल्पना **विस्तारित सी बैंड आवृत्ति स्पेक्ट्रम** में सेवाएँ प्रदान करने के लिये की गई है।
  - सी बैंड, माइक्रोवेव रेंज में 4-8 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के एक हिस्से को संदर्भित करता है।
- इस उपग्रह के **कवरेज क्षेत्र में भारतीय मुख्य भूमि के साथ-साथ अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह** शामिल होंगे।
- इस उपग्रह का जीवन काल (सक्रिय रहने की अवधि) **सात वर्ष** से अधिक होने की संभावना है।

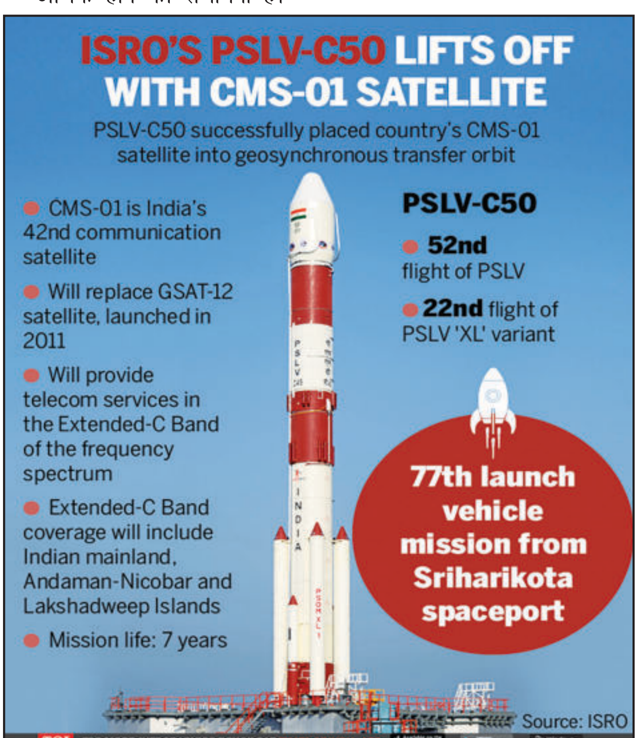

- उपग्रह को पूर्व निर्धारित **उप-भूसमकालिक स्थानांतरण कक्षा** (GTO) में प्रविष्ट कराया गया है। कुछ बदलावों के पश्चात् इसे **भू-समकालिक कक्षा में निर्दिष्ट स्लॉट में स्थापित किया जाएगा।**
- यह **उपग्रह GSAT-12 का स्थान लेगा** और इसकी सेवाओं को बेहतर बनाएगा।
  - GSAT-12 इसरो द्वारा बनाया गया **एक संचार उपग्रह** है जो टेली-एजुकेशन, टेली-मेडिसिन और ग्राम संसाधन केंद्रों (VRC) के लिये विभिन्न संचार सुविधाएँ प्रदान करता है।
  - ग्रामीण क्षेत्रों को अंतरिक्ष आधारित सेवाओं की सीधी पहुँच प्रदान करने के लिये इसरो ने गैर-सरकारी संगठनों/ट्रस्टों और राज्य/केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर 'ग्राम संसाधन केंद्र' (VRC) नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है।

इसरो का अगला प्रक्षेपण

'पीएसएलवी-सी 51' (PSLV-C51)

यह इसरो का **अगला विशेष मिशन** होगा, क्योंकि भारत सरकार द्वारा घोषित अंतरिक्ष सुधार कार्यक्रम के पश्चात् इसके तहत देश का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया जाएगा।

- सरकार द्वारा 'भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्द्धन और प्राधिकरण केंद्र' (IN-SPACe) की स्थापना किये जाने के साथ ही अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिये खोलने की घोषणा की गई थी।
- प्रोत्साहित करने वाली नीतियों और एक अनुकूल नियामक वातावरण के माध्यम से अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी उद्योगों को समर्थन व बढ़ावा देने तथा उनका मार्गदर्शन करने के लिये IN-SPACe को शुरू किया गया है।

पीएसएलवी-सी 51 (PSLV-C51) द्वारा प्रक्षेपित किये जाने वाले उपग्रह

पीएसएलवी-सी 51 के साथ 'पिक्सेल इंडिया' (Pixxel India) के 'आनंद', स्पेस किड्ज़ इंडिया के 'सतीश सैट' (Satish Sat) और कुछ विश्वविद्यालयों के एक संघ से 'यूनिटी सैट (Unity Sat) नामक उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाएगा।

भू-समकालिक कक्षा

- भू-समकालिक कक्षा पृथ्वी के चारों ओर भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर **35,786 किलोमीटर** ऊँचाई पर स्थित वह दीर्घवृत्ताकार कक्षा है जिसमें घूमने वाले कृत्रिम **उपग्रह का आवर्तकाल 1 दिन** अर्थात् पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर होता है।
- उपग्रह का आवर्तकाल, पृथ्वी के घूर्णन काल के ठीक बराबर रखने का परिणाम यह होता है कि पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी प्रेक्षक को किसी दिन के किसी समय पर वह उपग्रह आकाश में ठीक उसी स्थान पर दिखाई देता है जहाँ वह पिछले दिन उसी समय दिखा था।
- **संचार उपग्रहों को सामान्यत: इसी कक्षा में स्थापित किया जाता है।**

6 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

भारत में वायु प्रदूषण की बदलती प्रवृत्ति ★★★

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड** (CPCB) द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार, दक्षिणी और पूर्वी भारत में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि की दर **'सिंधु-गंगा के मैदान'** (IGP) से कहीं अधिक है। इस अध्ययन में पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रदूषण स्तर में शहरी क्षेत्रों के **समान ही वृद्धि** देखने को मिली है।

प्रमुख बिंदु

- यह अध्ययन **'केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड'** (CPCB) और **आईआईटी-दिल्ली द्वारा** संयुक्त रूप से किया गया था तथा जिसके तहत वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2011 तक के आँकड़ों की समीक्षा की गई।
  - हालाँकि वर्तमान में वर्ष 2020 के आँकड़ों को एकत्र करने और उनकी समीक्षा की प्रक्रिया अभी भी जारी है।
- अध्ययन में पहली बार उपग्रह डेटा के आधार पर वायु प्रदूषण के स्तर की **स्थानिक मैपिंग** की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार के लिये **'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम'** (NCAP) के तहत भविष्य की नीतियों के निर्माण हेतु प्रदूषण की स्थानिक मैपिंग महत्त्वपूर्ण होगी।

अध्ययन के परिणाम

- इस अध्ययन के अनुसार, **पूर्वी और दक्षिणी भारत में** PM 2.5 की वृद्धि की दर प्रतिवर्ष 1.6% से अधिक रही, जबकि **'सिंधु-गंगा के मैदान'** में यह प्रतिवर्ष 1.2% से कम ही रही।
  - PM 2.5 ऐसे प्रदूषक कण होते हैं जिनका आकार आमतौर पर 2.5 माइक्रोमीटर या इससे छोटा होता है।
  - गौरतलब है कि वर्ष 2019 में **1 लाख से अधिक** की आबादी वाले देश के **436 नगरों/कस्बों** में **'राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक'** (NAAQS) के तहत PM 2.5 के लिये निर्धारित **40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर (μg/m3)** की सीमा से अधिक पाया गया था।
- देश में **जनसंख्या-भारित मापक** पर 20 वर्ष के लिये PM 2.5 की औसत मात्रा 57.3 μg/m3 पाई गई है, जिसमें वर्ष 2000-09 की अवधि तुलना में वर्ष 2010-19 के बीच अधिक वृद्धि देखी गई है।
  - यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि वर्ष 2019 तक, भारत में **99.5% ज़िले** विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा जारी वायु गुणवत्ता दिशानिर्देशों **(10 μg/m3)** को पूरा नहीं कर सके थे।
- इस अध्ययन के अनुसार, नगरीय-ग्रामीण विभाजन से परे दोनों क्षेत्रों में समान रूप से PM 2.5 के स्तर में वृद्धि देखी गई है।
  - उदाहरण के लिये वर्ष 2001 से वर्ष 2015 के बीच 'राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली' में PM 2.5 के स्तर में 10.9% की वृद्धि देखी गई, परंतु इसी अवधि के दौरान ग्रामीण भारत में भी PM 2.5 के स्तर में 11.9% की वृद्धि देखी गई।

सिंधु-गंगा मैदान में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण

मौसम विज्ञान संबंधी कारक

शीतकाल में उत्तर भारत में **'तापीय व्युत्क्रमण'** और स्थिर वायु की दशा देखने को मिलती है। स्थिर/शांत वायु की दशा में प्रदूषकों का प्रसार बाहरी क्षेत्रों में नहीं हो पाता है। इसी प्रकार तापीय व्युत्क्रमण होने पर प्रदूषकों का सतह के पास संकेंद्रण बढ़ जाता है जिससे दृश्यता कम हो जाती है।

पवन अभिसरण क्षेत्र का निर्माण

सिंधु-गंगा का मैदान एक **'स्थलरुद्ध' (Landlocked)** क्षेत्र है। हिमालय प्रदूषित हवा को उत्तर की ओर जाने से रोकता है, जिसे **'घाटी प्रभाव'** (Valley Effect) के रूप में जाना जाता है। जिससे क्षेत्र में **'निम्न दबाव युक्त गर्त'** का निर्माण होने से आसपास की पवनें अपने साथ प्रदूषक भी लाती हैं।

असंगठित जलोढ़ मृदा

सिंधु-गंगा बेल्ट सतत् **जलोढ़ मृदा जमाव** का सबसे बड़ा क्षेत्र है। जलोढ़ मृदा में असंगठित मृदा कण होते हैं। इस प्रकार वायु-जनित धूल के निर्माण में शुष्क जलोढ़ मृदा का महत्त्वपूर्ण योगदान है।

PM कणों के संगठन मौसमी बदलाव

सिन्धु-गंगा मैदान में मानवजनित स्रोतों का प्रदूषण में प्रमुख योगदान है। आईआईटी-कानपुर के एक अध्ययन के अनुसार, ग्रीष्मकाल के दौरान PM 10 की कुल मात्रा में धूल के कणों का 40 प्रतिशत योगदान रहता है, जबकि सर्दियों में यह मात्र 13 प्रतिशत रहता है।

स्थानिक विश्लेषण

- सामान्यतः जम्मू और कश्मीर (J & K), लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नगालैंड को छोड़कर देश के अन्य सभी राज्यों में परिवेशी PM 2.5 NAAQS के 40 μg/m3 को पार कर जाता है।
- **'सिंधु-गंगा के मैदान' और पश्चिमी शुष्क क्षेत्र** में PM 2.5 का वार्षिक स्तर NAAQS से दोगुना पाया गया।
- पूर्वी भारत में वायु प्रदूषण में सबसे अधिक वृद्धि **ओडिशा और छत्तीसगढ़** में दर्ज की गई है, इसके प्रमुख कारणों में इस क्षेत्र में हो रही **खनन गतिविधियाँ और तापीय कोयला विद्युत संयंत्रों** से होने वाले प्रदूषण आदि शामिल हैं।

7 भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

चीन की 'वाटर बम' की रणनीति ★★★

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत-चीन संबंधों में **वर्ष 1962 के युद्ध** के बाद से सबसे अधिक टकराव देखने को मिला है, जिसने दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में **आधारभूत अवसंरचना** के निर्माण के रणनीतिक महत्त्व को फिर से उजागर किया है। **यारलुंग (ब्रह्मपुत्र) नदी पर चीन** द्वारा निर्मित बड़े बांधों ने भारतीय अधिकारियों और स्थानीय लोगों की चिंता को और अधिक बढ़ा दिया है।

प्रमुख बिंदु

- चीन द्वारा जल-ऊर्जा के दोहन के लिये चलाए जा रहे इन त्वरित कार्यक्रमों ने न केवल हिमालयन क्षेत्र में गंभीर पारिस्थितिक समस्याओं को बढ़ा दिया है अपितु स्थानीय लोगों के समक्ष आजीविका संबंधी अनेक चुनौतियाँ उत्पन्न कर दी हैं।
- चीन द्वारा **'वाटर बम'** की रणनीति न केवल भारत के खिलाफ अपनाई जा रही है अपितु **मेकांग नदी** पर अनेक जलविद्युत योजनाओं का निर्माण करके पूर्व में थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया के खिलाफ भी इस रणनीति को अपनाया गया था। मेकांग नदी को इन देशों की जीवनरेखा माना जाता है।

ब्रह्मपुत्र

- **उद्गम स्थल:** इसे उद्गम स्थल पर सियांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्गम मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत के **चेमायुंगडुंग** (Chemayungdung) ग्लेशियर से है। यह अरुणाचल प्रदेश के सदिया शहर के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है।
- **सहायक नदियाँ:** इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ दिबांग, लोहित, सियांग, बूरही-दिहिंग, तीस्ता और धनसिरी हैं।
- **अनन्य विशेषताएँ:** यह एक बारहमासी नदी है, जो अपनी भौगोलिक एवं विशिष्ट जलवायु परिस्थितियों के कारण अनेक अनन्य विशेषताओं से युक्त है।
- इसमें वर्ष में **दो बार बाढ़** की स्थिति रहती है। पहली, गर्मियों में हिमालयी **हिम के पिघलने** के कारण और **दूसरी मानसून** के प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है।
  - हाल ही में इन बाढ़ों की आवृत्ति बढ़ गई है। जलवायु परिवर्तन तथा आकस्मिक उच्च एवं निम्न प्रवाह के प्रभाव के कारण इन बाढ़ों की विनाशकता बढ़ गई है।
  - यह भारत और बांग्लादेश के निचले राज्यों में जनसंख्या और **खाद्य सुरक्षा** के दृष्टिकोण से चिंता का विषय है।
- नदी की गतिशील भूस्खलन और भूगर्भीय गतिविधियों के कारण प्रायः नदी मार्ग में परिवर्तन देखने को मिलता है।

'वाटर बम' की अवधारणा

- 'वाटर बम' (Water Bomb) की अवधारणा के तहत किसी देश द्वारा अपने पड़ोसी देश पर हमला करने या प्रहार करने के उद्देश्य से अत्यधिक मात्रा में **जल को बांधों में संगृहीत** किया जाता है तथा युद्ध के समय इसे **छोड़ दिया या रोक दिया** जाता है ताकि नदी के बहाव द्वारा निचले क्षेत्रों में व्यापक आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय नुकसान किया जा सके।
- तिब्बत से उद्गमित आठ प्रमुख नदियों (यारलुंग जान्गबो, सालवीन, मेकांग, यांग्त्सी, येलो रिवर, सिंधु, सतलज, इरावदी) पर चीन ने पिछले दो दशकों में 20 से अधिक बांधों का निर्माण किया है और उनमें से कुछ को वास्तव में **'मेगा डेम'** कहा जा सकता है।
- इसके अलावा चीन की तेरहवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार, तिब्बत से उद्गमित नदियों पर चीन और अधिक पनविद्युत परियोजनाओं के निर्माण की योजना बना रहा है। चीनी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, (आधिकारिक आँकड़े उपलब्ध नहीं) चीन इन नदियों पर विभिन्न आकार के **40** और बांधों का निर्माण करेगा।

ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा निर्मित नवीन बांध

- हाल ही में चीनी अधिकारियों ने एक चीनी पनविद्युत कंपनी को ब्रह्मपुत्र नदी (जो तिब्बत में यारलुंग जान्गबो के नाम से जानी जाती है) के **निम्न-प्रवाह क्षेत्र** में प्रथम 'पनविद्युत परियोजना' के निर्माण की अनुमति दे दी है।
- चीनी राज्य के स्वामित्व वाली पनविद्युत कंपनी 'पॉवरचाइना' द्वारा नवीन **'पंचवर्षीय योजना'** (अवधि 2021-2025) के हिस्से के रूप में यारलुंग जान्गबो नदी के अनुप्रवाह में पनविद्युत के दोहन के लिये 'तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र' (TAR) सरकार के साथ एक रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
  - यह पहली बार होगा जब नदी के अनुप्रवाह क्षेत्र का दोहन किया जाएगा। हालाँकि नियोजित परियोजना के स्थान का कहीं भी उल्लेख नहीं है।
- ब्रह्मपुत्र नदी का **'महान अक्षसंघीय वलन'** (ग्रेट बेंड) और **'मेडोग काउंटी'** में यारलुंग जान्गबो नदी पर स्थित 'ग्रैंड कैनियन' क्षेत्र- जहाँ नदी का बहाव बहुत तेज़ है तथा यह अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा में प्रवेश करती है, इस परियोजना के लिये संभावित स्थान हो सकता है।
- अगर ग्रेट बेंड में एक बांध के निर्माण को मंज़ूरी दे दी जाती है, तो इसके स्थान को लेकर (जो नदी के निम्न प्रवाह क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पार स्थित होगा) भारत द्वारा नई चिंताओं को उठाया जाएगा। हालाँकि इस परियोजना में भारत के लिये जल की मात्रा एक प्रमुख मुद्दा नहीं है क्योंकि ये बांध **'रन-ऑफ-द-रिवर'** प्रकार के होने के कारण ब्रह्मपुत्र के प्रवाह को प्रभावित नहीं करेंगे।

8 सामाजिक मुद्दे

मानव विकास रिपोर्ट: UNDP ★★★

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट** (Human Development Report-HDR) 2020 के अनुसार, **मानव विकास सूचकांक (Human Development Index- HDI) में भारत 131वें स्थान पर है।** उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, **भारत इस सूचकांक में 129वें स्थान पर था।**

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2020 की इस रिपोर्ट में **189 देशों को उनके मानव विकास सूचकांक (HDI) की स्थिति के आधार पर रैंकिंग** प्रदान की गई है।
- HDR 2020 में **पृथ्वी पर दबाव-समायोजित मानव विकास सूचकांक** को पेश किया गया है, जो देश के प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन तथा सामग्री के पदचिह्न (Footprint) के आधार पर मानक मानव विकास सूचकांक (HDI) को समायोजित करता है।
- अन्य सूचकांक जो इस रिपोर्ट के ही भाग हैं, इस प्रकार हैं:
  - मानव विकास सूचकांक (HDI),
  - असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक (Inequality adjusted Human Development Index-IHDI),
  - लैंगिक विकास सूचकांक (GDI),
  - लैंगिक असमानता सूचकांक (GII),
  - बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI)

मानव विकास सूचकांक

परिचय: HDI इस बात पर ज़ोर देता है कि किसी देश के विकास का आकलन करने के लिये वहाँ के लोगों तथा उनकी क्षमताओं को अंतिम मानदंड माना जाना चाहिये, न कि केवल आर्थिक विकास को।

मानव विकास तीन बुनियादी आयामों पर आधारित होता है:

- लंबा और स्वस्थ जीवन,
- ज्ञान तक पहुँच,
- जीने का एक सभ्य मानक।

भारत की स्थिति

- **संपूर्ण प्रदर्शन:** वर्ष 2019 के लिये भारत का HDI 0.645 है, जो देश को 'मध्यम मानव विकास' श्रेणी में तथा 189 देशों में 131वें स्थान पर रखता है।
- वर्ष 1990 और 2019 के मध्य भारत का HDI मान 0.429 से बढ़कर 0.645 हो गया है, यानी इसमें 50.3% की वृद्धि हुई है।

Miles to go

Though India improved its absolute value of the Human Development Index (0.645 in 2019 from 0.642 the previous year), it dropped a place in the overall ranking

Country	HDI rank (2019)	Change from 2018
Russia	52	-3
Sri Lanka	72	1
Brazil	84	0
China	85	2
South Africa	114	1
India	**131**	**-2**
Bangladesh	133	1
Nepal	142	1
Pakistan	154	0

- **लंबा और स्वस्थ जीवन:** वर्ष 2019 में भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 69.7 वर्ष थी, जो दक्षिण एशियाई औसत, 69.9 वर्ष की तुलना में थोड़ी कम थी।
- वर्ष 1990 और 2019 के मध्य भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में 11.8 वर्ष की वृद्धि हुई है।
- **ज्ञान तक पहुँच:** वर्ष 2019 में भारत में स्कूली शिक्षा के लिये प्रत्याशित वर्ष 12.2 थे, जबकि बांग्लादेश में 11.2 और पाकिस्तान में 8.3 वर्ष थे।
- वर्ष 1990 और 2019 के बीच स्कूली शिक्षा के प्रत्याशित औसत वर्षों में 3.5 वर्ष की वृद्धि हुई तथा स्कूली शिक्षा के प्रत्याशित अनुमानित वर्षों में 4.5 वर्ष की वृद्धि हुई।
- **जीने का एक सभ्य मानक:** प्रति व्यक्ति के संदर्भ में सकल राष्ट्रीय आय (GNI) में गिरावट के बावजूद वर्ष 2019 में कुछ अन्य देशों की तुलना में भारत का प्रदर्शन बेहतर रहा है।
- वर्ष 1990 और 2019 के मध्य भारत के प्रति व्यक्ति GNI में लगभग 273.9% की वृद्धि हुई है।

वर्ष 2019 में शीर्ष स्थान प्राप्तकर्त्ता देश

नॉर्वे इस सूचकांक में शीर्ष पर है, इसके बाद आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, हॉन्गकॉन्ग और आइसलैंड का स्थान है।

एशियाई क्षेत्र की स्थिति

- वैश्विक सूचकांक में 'बहुत उच्च मानव विकास' के साथ एशियाई देशों के मध्य शीर्ष स्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए सिंगापुर 11वें, सऊदी अरब 40वें और मलेशिया 62वें स्थान पर है।
- शेष देशों में से श्रीलंका (72), थाईलैंड (79), चीन (85), इंडोनेशिया और फिलीपींस (दोनों 107) तथा वियतनाम (117) उच्च मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में हैं।

9 कला एवं संस्कृति

ग्वालियर एवं ओरछा ★★★

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर **ग्वालियर** एवं **ओरछा** को यूनेस्को (UNESCO) ने अपने **'अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम'** (Urban Landscape City Programme) के तहत **'विश्व धरोहर शहरों की सूची'** में शामिल किया है।

वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ प्रोग्राम

- यह यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदित और निगरानी किये गए छह विषयगत कार्यक्रमों में से एक है।
- इसका उद्देश्य **राष्ट्रों को उनकी शहरी विरासत की सुरक्षा और प्रबंधन की चुनौतियों में सहायता करना है।**
- यह कार्यक्रम दो-तरफा प्रक्रिया के साथ संरचित है:
  - शहरी विरासत संरक्षण के लिये एक सैद्धांतिक ढाँचे का विकास।
  - नए दृष्टिकोण एवं योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये राष्ट्रों को तकनीकी सहायता का प्रावधान।

अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम

इसे वर्ष 2011 में यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस में अपनाया गया था। ऐतिहासिक शहरी परिदृश्यों के प्रबंधन के लिये यह कार्यक्रम शहरी विरासत संरक्षण तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लक्ष्यों को एकीकृत करने पर आधारित है।

ग्वालियर

9वीं शताब्दी में स्थापित और **गुर्जर प्रतिहार, तोमर** एवं **सिंधिया** जैसे राजवंशों द्वारा शासित **ग्वालियर** अपने मंदिरों और महलों के लिये काफी प्रसिद्ध है जिसमें जटिल नक्काशीदार **सास-बहू मंदिर** भी शामिल है।

ओरछा

- **16वीं शताब्दी** में **बुंदेला साम्राज्य** की राजधानी **ओरछा** (मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित) भी अपने मंदिरों और महलों के लिये काफी लोकप्रिय है।
- ओरछा के प्रमुख स्थलों में **राजमहल, जहाँगीर महल, रामराजा मंदिर, राय प्रवीण महल** और **लक्ष्मीनारायण मंदिर** आदि शामिल हैं।

अन्य प्रमुख तथ्य

- गौरतलब है कि राजस्थान के गुलाबी शहर **'जयपुर'** को **वर्ष 2019 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल** घोषित किया था। **अहमदाबाद के बाद जयपुर देश का दूसरा ऐसा शहर है।**
- **जयपुर शहर को नगर नियोजन एवं वास्तुकला के क्षेत्र में अनुकरणीय विकास के लिये नामित किया गया था जो मध्यकालीन युग में एक संयोजन तथा विचारों के महत्त्वपूर्ण आदान-प्रदान को प्रदर्शित करता है।**

सिंधु घाटी सभ्यता का आहार ★★★

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **'जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंस'** (Journal of Archaeological Science) में प्रकाशित एक अध्ययन **(शीर्षक: उत्तर-पश्चिमी भारत में सिंधु सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों में चर्बी जैसे अवशेष)** के अनुसार, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के आहार में माँस का प्रभुत्व था, जिसमें गोमाँस व्यापक रूप में शामिल था।

प्रमुख बिंदु

- यह शोध सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तनों पर पाए गए चर्बी के अवशेषों पर आधारित है। इनमें सूअरों, मवेशियों, भैंसों, भेड़ों और बकरियों के माँस की अधिकता मिली।
- प्राचीन उत्तर-पश्चिमी भारत के शहरी और ग्रामीण इलाकों में मिले पुरातन बर्तनों में दूध से बनी कई चीज़ों के अवशेष भी पाए गए हैं।
- अध्ययन से संबंधित यह क्षेत्र वर्तमान में हरियाणा [मसूदपुर, लोहारी राघो, राखीगढ़ी शहर (हिसार), खानक (भिवानी), फरमाना शहर (रोहतक)] और उत्तर प्रदेश [आलमगीरपुर (मेरठ)] के अंतर्गत आता है।

निष्कर्ष

- इस अध्ययन में सिंधु घाटी सभ्यता के ग्रामीण और शहरी बस्तियों से पशु उत्पाद, जैसे कि सूअर का माँस, मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरी के साथ-साथ डेयरी उत्पादों का प्रभुत्व पाया गया है।
- **घरेलू पशुओं में मवेशी/भैंस प्रचुर मात्रा में पाई जाती थीं क्योंकि इस समय की प्राप्त कुल जानवरों की हड्डियों में से 50-60% इन्हीं की हैं और शेष 10% हड्डियाँ भेड़/बकरी से संबंधित हैं।**
- सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मवेशी की हड्डियों का उच्च अनुपात भोजन के रूप में गोमाँस का इस्तेमाल किये जाने की पुष्टि करता है।
- **हड़प्पा में 90% मवेशियों को तब तक जीवित रखा जाता था जब तक कि वे तीन या साढ़े तीन वर्ष के नहीं हो जाते थे। मादा का उपयोग डेयरी उत्पादन के लिये किया जाता था, जबकि नर का इस्तेमाल गाड़ी खींचने के लिये किया जाता था।**
- सिंधु घाटी सभ्यता में भोजन की आदत पर पहले भी कई अध्ययन हुए हैं लेकिन **यह अध्ययन मुख्य रूप से फसलों पर केंद्रित था।**

10 आंतरिक सुरक्षा

भारत में कट्टरता की स्थिति ★★★

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गृह मंत्रालय ने **'भारत में कट्टरता की स्थिति'** पर अपनी तरह के पहले शोध अध्ययन को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- अध्ययन का संचालन 'सेंटर फॉर क्रिमिनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी', दिल्ली के निदेशक **जी.एस. बाजपेई** द्वारा किया जाएगा।
- अध्ययन के माध्यम से कानूनी रूप से **'कट्टरता' को परिभाषित करने का प्रयास किया जाएगा और उसी आधार पर 'गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम'** (UAPA), 1967 में संशोधन किया जाएगा।

अध्ययन की आवश्यकता

- भारत में अभी भी 'कट्टरता' को कानूनी रूप से परिभाषित किया जाना शेष है, जिसके कारण प्रायः पुलिस और प्रशासन द्वारा इस स्थिति का दुरुपयोग किया जाता है।
- इसलिये भारतीय कानूनों में 'कट्टरता' से परिभाषित किया जाना और उस परिभाषा के आधार पर UAPA जैसे कानूनों में **संशोधन किया** जाना आवश्यक है।
- ध्यातव्य है कि स्थानीय आबादी को व्यवस्थित तरीके से 'कट्टरता' के प्रभावित करके राज्य की सुरक्षा के समक्ष बड़ी चुनौती पैदा की जा सकती है।

क्या होती है 'कट्टरता'?

- वैश्विक स्तर पर 'कट्टरता' की कोई **सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा मौजूद नहीं** है, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इसे अलग-अलग संदर्भों में अलग-अलग ढंग से परिभाषित किया जाता है।
- संक्षेप में हम कट्टरता को समाज में अतिवादी ढंग से कट्टरपंथी परिवर्तन लाने के विचार को आगे बढ़ाने और/अथवा उसका समर्थन करने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जिसके लिये आवश्यकता पड़ने पर **अलोकतांत्रिक माध्यमों** का प्रयोग किया जाता है और जो किसी देश की लोकतांत्रिक कानून व्यवस्था के लिये **खतरा पैदा** कर सकता है।

भारतीय संदर्भ में 'कट्टरता' के प्रकार

- **राइट विंग अतिवाद:** यह 'कट्टरता' का वह रूप है जिसे प्रायः हिंसक माध्यमों से नस्लीय, जातीय या छद्म राष्ट्रीय पहचान की रक्षा करने की विशेषता के रूप में परिभाषित किया जाता है और यह राज्य के अल्पसंख्यकों, प्रवासियों और वामपंथी राजनीतिक समूहों के प्रति कट्टर शत्रुता से भी जुड़ा है।
- **राजनीतिक-धार्मिक अतिवाद:** 'कट्टरता' का यह स्वरूप धर्म की राजनीतिक व्याख्या और हिंसक माध्यमों से धार्मिक पहचान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इससे प्रभावित लोग यह मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, विदेश नीति और सामाजिक बहस आदि के कारण उनकी धार्मिक पहचान खतरे में है।
- **लेफ्ट विंग अतिवाद:** 'कट्टरता' का यह स्वरूप मुख्य रूप से पूंजीवादी विरोधी मांगों पर ध्यान केंद्रित करता है और **सामाजिक विषमताओं** के लिये उत्तरदायी राजनीतिक प्रणाली में परिवर्तन की बात करता है, और यह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये **हिंसक साधनों** का भी समर्थन करता है। इसमें अराजकतावादी, माओवादी और मार्क्सवादी-लेनिनवादी समूह शामिल हैं जो अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिये हिंसा का उपयोग करते हैं।

कट्टरता के प्रमुख कारक

- **व्यक्तिगत-मनोवैज्ञानिक कारक:** इसमें शिकायतें और भावनाएँ, जैसे- अलगाव या बहिष्कार, क्रोध एवं हताशा, अन्याय की मज़बूत भावना आदि शामिल हैं।
- **सामाजिक-आर्थिक कारक:** इसमें सामाजिक बहिष्कार, हाशिये पर होना, भेदभाव, सीमित शिक्षा या रोज़गार आदि शामिल हैं।
- **राजनीतिक कारक:** इसमें गैर-भागीदारी वाली राजनीतिक प्रणालियाँ- जहाँ सुशासन और नागरिक समाज के सम्मान में कमी पाई है, शामिल हैं।
- **सोशल मीडिया:** ये समान विचारधारा वाले चरमपंथी लोगों को एक साथ जुड़ने, आभासी भागीदारी करने और एक साथ प्रतिध्वनित होने का अवसर प्रदान करता है, जिससे कट्टरता प्रक्रिया का तेज़ी से प्रसार होता है।

भारत में कट्टरता की स्थिति

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट में केरल और कर्नाटक में इस्लामिक स्टेट (IS) और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों के सदस्यों की उपस्थिति को लेकर चिंता ज़ाहिर की गई थी।
    - रिपोर्ट में कहा गया था कि इस्लामिक स्टेट के **भारतीय सहयोगी (हिंद विलायाह)** में 180 से 200 के बीच सदस्य हैं। हालाँकि सितंबर माह में गृह राज्य ने संसद को सूचित किया था कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी आँकड़े तथ्यात्मक रूप से सही नहीं हैं।
- सरकार के निरंतर हस्तक्षेप के बावजूद भारत के कई राज्यों में वामपंथी अतिवाद की समस्या को अब तक समाप्त नहीं किया जा सका है। वामपंथी अतिवाद से प्रभावित ज़िलों में लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, इसके बावजूद भारत में नक्सलवाद की समस्या प्रशासन के लिये बड़ी चुनौती बनी हुई है।
- लगातार बढ़ती मॉब लिंचिंग की घटनाएँ, लोगों के मन में धर्म-विशेष के प्रति पैदा होती घृणा और नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे व गौरी लंकेश जैसे मानवाधिकार कार्यकर्त्ताओं की हत्या के मामले राइट विंग अतिवाद की ओर इशारा करते हैं।

फैक्टशीट

महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट, सर्वेक्षण, शोध तथा सूचकांकों पर आधारित

मानव स्वतंत्रता सूचकांक, 2020 (Human Freedom Index, 2020)

- मानव स्वतंत्रता सूचकांक, 2020 दुनिया भर के विभिन्न देशों को नागरिक, आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है।
- यह सूचकांक अमेरिकी थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट और कैनेडियन फ्रेज़र इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित किया गया है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, 2008 के बाद से दुनिया भर में व्यक्तिगत स्वतंत्रता में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है।

भारत का प्रदर्शन

- इस सूचकांक में भारत को 162 देशों में से 111वें स्थान पर रखा गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में भारत 94वें स्थान पर था।
- वर्ष 2020 के सूचकांक में भारत, चीन और बांग्लादेश से आगे है जो क्रमश: 129 और 139वें स्थान पर हैं।
- भारत का व्यक्तिगत स्वतंत्रता स्कोर 10 में से 6.30 है, जबकि आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर 6.56 है। भारत का समग्र मानव स्वतंत्रता स्कोर 6.43 है।

वैश्विक प्रदर्शन

- इस सूचकांक में पहले तीन स्थान पर क्रमश: न्यूज़ीलैंड, स्विट्ज़रलैंड और हॉन्गकॉन्ग हैं।
- हालाँकि, वर्ष 2019 और 2020 में चीन के 'आक्रामक हस्तक्षेप' के कारण हॉन्गकॉन्ग की रैंक में गिरावट की उम्मीद है।
- युद्धग्रस्त सीरिया सूचकांक में अंतिम स्थान पर है।
- रिपोर्ट के अनुसार, हालाँकि स्वतंत्रता और समृद्धि के बीच एक मज़बूत तथा सकारात्मक संबंध है, लेकिन दुनिया भर में स्वतंत्रता असमान रूप से वितरित है।

अन्य संबंधित सूचकांकों में भारत का प्रदर्शन

- 'फ्रीडम हाउस' द्वारा अक्तूबर में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार, इंटरनेट की स्वतंत्रता के मामले में भारत में वर्ष 2019-20 में गिरावट दर्ज की गई जो लगातार पिछले तीन वर्षों से जारी है।
- सितंबर में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, 2020 के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में भारत 26 स्थानों की गिरावट के साथ अब 105वें स्थान पर है।
- अप्रैल 2020 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार, प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भारत दो स्थानों की गिरावट के साथ अब 180 देशों की सूची में 142वें स्थान पर है।

मानव विकास सूचकांक, 2020 (Human Development Index, 2020)

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार, समग्र रूप से मानव विकास के मामले में भारत पिछले वर्ष की तुलना में 189 देशों की सूची में दो स्थानों की गिरावट के साथ 131वें स्थान पर आ गया है।
- मानव विकास सूचकांक वर्ष 1990 के बाद से ही संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक मानव विकास के संदर्भ में विभिन्न आयामों में किसी भी देश द्वारा की गई प्रगति का मापक है।

भारत की स्थिति

- दुनिया के कुल गरीब लोगों में से 28% (364 मिलियन) लोग अभी भी भारत से हैं।
- वर्ष 1990 और 2018 के बीच, भारत के एचडीआई मान में 50 प्रतिशत (0.431 से 0.647 तक) की वृद्धि हुई। इस संदर्भ में भारत मध्यम मानव विकास समूह के देशों के औसत (0.634) से ऊपर होने के साथ ही अन्य दक्षिण एशियाई देशों के औसत (0.642) से भी ऊपर है।
- पिछले तीन दशकों में, भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में 11.6 वर्ष की वृद्धि हुई, जबकि स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों में 3.5 वर्ष की वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति आय में भी 250 गुना को बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
- भारत जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में दक्षिण एशियाई देशों के औसत की तुलना में बहुत मामूली अंतर (0.829 Vs 0.828) से आगे है। वर्ष 2018 के जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स के अनुसार भारत 122वें (162 में से) स्थान पर था।

वैश्विक परिदृश्य

- इस सूचकांक में नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड और आयरलैंड शीर्ष तीन स्थानों पर काबिज हैं।
- वैश्विक स्तर पर लगभग 1.3 बिलियन लोग गरीब हैं।
- इन गरीबों में से लगभग 661 मिलियन लोग एशिया और प्रशांत क्षेत्र में रहते हैं।
- दक्षिण एशिया में दुनिया के 41% गरीब लोग रहते हैं।

विभिन्न क्षेत्रों में भारत का प्रदर्शन

- स्वास्थ्य (जीवन प्रत्याशा)-69.7 वर्ष
- शिक्षा (औसत स्कूली शिक्षा का वर्ष)-12.2 वर्ष
- आय/संसाधनों की संरचना (प्रति व्यक्ति आय)-6681

जिस्ट

उपयोगी पत्र-पत्रिकाओं के लेखों का सार

खंड संयोजन- निधि सिंह

संपूर्ण योजना (अंग्रेज़ी तथा हिंदी) का सार

भारतीय समाज

संपूर्ण कुरुक्षेत्र (अंग्रेज़ी तथा हिंदी) का सार

डिजिटल भारत

राजव्यवस्था एवं समाज

- भारत का पोषण एजेंडा
- प्रजनन अधिकार आवश्यक हैं
- मशीन-होल
- अपराधों की रिपोर्टिंग: भारत को महिलाओं के लिये सुरक्षित बनाना
- हिरासत में दी जाने वाली यातना
- दिव्यांग कैदियों के अधिकार

अर्थव्यवस्था

- बैंकों का निजीकरण
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अर्थव्यवस्था का विकास
- भारत में निर्यातोन्मुखी विकास के लिये राज्य स्तर पर नीतिगत बदलाव

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

- स्पर्म फ्रीजिंग और आईवीएफ प्रौद्योगिकी
- रोगाणुरोधी प्रतिरोध बनाम तकनीक
- जैव-प्रौद्योगिकी

पर्यावरण

- ब्राउन सेक्टर की बजाय ग्रीन सेक्टर को प्राथमिकता देना
- जलवायु परिवर्तन के संबंध में भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान
- समुद्री संरक्षण का 2020 का लक्ष्य

अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा शासन व्यवस्था

- भारत-वियतनाम
- भारत और खाड़ी देश

संपूर्ण योजना (अंग्रेज़ी तथा हिंदी) का सार

भारतीय समाज

परिचय

- राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों के माध्यम से भारत के संविधान में उन सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का निर्धारण किया गया है जिनके अंतर्गत नागरिक अच्छा जीवन बिता सकते हैं। इन सिद्धांतों के लोककल्याणकारी राज्य के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की बात भी कही गई है।
- संविधान के भाग-4 के अनुच्छेद 38, 41, 46 और 47 इस संदर्भ में विशेष रूप से प्रासंगिक हैं। अनुच्छेद 38 में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह जनता के कल्याण को बढ़ावा देने के लिये सामाजिक व्यवस्था कायम करे। अनुच्छेद 41 का संबंध कुछ स्थितियों में काम के अधिकार, शिक्षा के अधिकार और लोक सहायता पाने के अधिकार से है।
- अनुच्छेद 46 का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अन्य कमज़ोर तबकों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 47 में राज्य को यह ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि वह जनता के पोषण और जीवन स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयास करेगा तथा जनता के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाएगा।

सीमांत तथा वंचित वर्गों का कल्याण

संदर्भ

सीमांत (मार्जिनलाइज़्ड) समूह व्यक्ति या वर्ग-विशेष का वह समूह है जो विभिन्न कारणवश सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर हाशिये पर होने के कारण समाज की मुख्यधारा से जुड़ने से वंचित रह जाता है। जिसमें मुख्यत: अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, वृद्धजन, दिव्यांगजन, घुमंतू-अर्द्धघुमंतू, ट्रांसजेंडर एवं भिक्षावृत्ति में संलग्न समूह वर्ग की बड़ी संख्या आती है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

'सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय' मुख्य रूप से दो विभागों में विभाजित है-

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
- दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग।
- **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग:** सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को मुख्यत: देश के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लक्ष्य समूह के सशक्तीकरण का कार्य सौंपा गया है। इसका उद्देश्य एक ऐसे समावेशी समाज का निर्माण करना है जिसमें लक्ष्य समूहों के सदस्य अपनी उन्नति और विकास के लिये उपयुक्त सहायता प्राप्त करके सक्रिय, सुरक्षित और गरिमामय जीवन व्यतीत कर सकें। इस विभाग के लक्ष्य समूह हैं: अनुसचित जातियाँ, अन्य पिछड़ा वर्ग, वरिष्ठ नागरिक, मद्यपान तथा नशीले पदार्थ दुरुपयोग के पीड़ित, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, भिखारी, विमुक्त तथा घुमन्तू जनजातियाँ (डीएनटी), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी)।
- **दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग:** दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को दिव्यांगता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से देखने, नीतिगत मामलों पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने और हितधारकों, संगठनों, राज्य सरकारों या संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के बीच और अधिक समन्वय करने के लिये एक नोडल विभाग के तौर पर कार्य करने हेतु 12 मई, 2012 को, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में से बनाया गया था। दिनांक 14 मई, 2016 की अधिसूचना के अनुसार, विभाग का दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग नाम से पुन: नामकरण किया गया है। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का मुख्य उद्देश्य है, एक ऐसे समावेशी समाज का निर्माण करना जिसमें उपयोगी, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने के लिये दिव्यांगजनों को उन्नति और विकास हेतु समान अवसर उपलब्ध हों।
- कक्षा 9 और 10 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की पात्रता को संशोधित कर वर्ष 2017 में ₹2 लाख प्रतिवर्ष से बढ़ाकर ₹2.5 लाख प्रतिवर्ष किया गया, साथ ही छात्रवृत्ति की दरों में भी 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई। वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रतिबद्ध उत्तरदायित्व विषय को समाप्त कर दिया गया और केंद्र तथा राज्य के मध्य 60:40 का अनुपात रखा गया। पूर्वोत्तर राज्यों के मामलों में यह अनुपात 90:10 है। वर्ष 2018-19 में पात्रता के लिये वार्षिक पारिवारिक आय की उच्चतम सीमा को ₹4.5 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख कर दिया गया है।
- एससी और ओबीसी छात्रों के लिये नि:शुल्क कोचिंग योजना के तहत रोज़गार और उच्चतर शिक्षा, दोनों के लिये प्रतियोगिता परीक्षा हेतु स्कीम के अंतर्गत 2009-14 के दौरान कुल ₹13.10 करोड़ जारी किये गए जो 2014-19 की अवधि से बढ़कर 48.33 करोड़ हो गए।
- ओबीसी/ईबीसी और डीएनटी के लिये मैट्रिक-पूर्व एवं मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-19 के दौरान शैक्षिक स्थानों के संबंध में 6 करोड़ (लगभग) लाभार्थियों को कवर किया गया है। ओबीसी छात्रों के लिये राष्ट्रीय फेलोशिप योजना में वर्ष 2014-19 के दौरान शैक्षिक उत्थान के लिये 5200 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई है। अनुसूचित जातियों के सामाजिक सशक्तीकरण के लिये प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 1000 एससी बहुल गाँवों के एकता विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये वर्ष 2009-10 में शुरू की गई थी।

संपूर्ण कुरुक्षेत्र (अंग्रेज़ी तथा हिंदी) का सार

डिजिटल भारत

परिचय

भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी जोड़कर देखा जा रहा है। आज एक तरफ डिजिटल लेनदेन में काफी तेज़ी आई है तो दूसरी तरफ भूमि रिकॉर्डों का डिजिटलीकरण हो रहा है; फसल बीमा कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड सहित प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी योजनाओं में दावों के निपटारे के लिये रिमोट सेंसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा मॉडलिंग टूल्स का प्रयोग होने लगा है।

डिजिटल इंडिया : नए भारत की आकांक्षा

परिचय

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, 'यह भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसमें भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिणत करने की परिकल्पना निहित है।

डिजिटल इंडिया के स्तंभ

- **ब्रॉडबैंड हाईवे:** राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के दायरे में 2,00,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को ग्रामीण परियोजना के लिये ब्रॉडबैंड के तहत लाया जा रहा है। शहरी परियोजना के लिये ब्रॉडबैंड के तहत मंत्रालय का उद्देश्य सेवा वितरण और संचार अवसंरचना के लिये वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटरों का उपयोग करना है।
- **मोबाइल कनेक्टिविटी के लिये सार्वभौमिक पहुँच:** इस स्तंभ के तहत डिजिटल कवरेज को पाटने के उद्देश्य से मंत्रालय का लक्ष्य 50,000 से अधिक गाँवों को जोड़ना है जहाँ मोबाइल कवरेज नहीं है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के एक भाग के रूप में मंत्रालय उन गाँवों को मोबाइल कवरेज प्रदान कर रहा है जो इससे अछूते रह गए हैं।
- **पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम:** पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों के लिये सार्वजनिक इंटरनेट तक पहुँच को संभव बनाने के लिये बुनियादी ढाँचा स्थापित करना है। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम मुख्य रूप से दो घटकों पर केंद्रित है जिसमें सीएससी और डाकघरों को बहु-सेवा केंद्रों के रूप में परिवर्तित किया जाना शामिल है।
- **ई-गवर्नेंस : प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन में सुधार:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी विभागों के वर्कफ्लो में परिवर्तन लाना है जिससे सरकारी प्रक्रियाएँ कुशल एवं सक्षम बनें और नागरिकों को इन प्रक्रियाओं की जानकारी मिलती रहे।
- **ई-क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी:** इस स्तंभ के तहत डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने 44 मिशन मोड कार्यक्रमों की पहचान की है जिन्हें केंद्रीय, राज्य और एकीकृत परियोजनाओं के तहत वर्गीकृत किया गया है। प्रमुख फोकस क्षेत्रों में बैंकिंग, आयकर, परिवहन, वाणिज्यिक कार, वित्तीय समावेशन आदि शामिल हैं। इस स्तंभ का उद्देश्य विभिन्न परियोजनाओं, जैसे- शिक्षा के लिये प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य के लिये प्रौद्योगिकी, किसानों के लिये प्रौद्योगिकी, सुरक्षा के लिये प्रौद्योगिकी, न्याय के लिये प्रौद्योगिकी, वित्तीय समावेशन के लिये प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा के लिये प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन लाने के लिये टेक्नोलॉजी का लाभ उठाना है।
- **सभी के लिये सूचना:** इस स्तंभ का उद्देश्य भारतवासियों के उपयोग, पुन: उपयोग और पुनर्वितरण के लिये लाइन मंत्रालयों द्वारा उत्पन्न विश्वसनीय आँकड़ों की पारदर्शिता और उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण:** इस स्तंभ के अंतर्गत आने वाले प्रमुख फोकस क्षेत्रों में (एफएबीएस) फैब्लेस डिज़ाइन, सेटटॉप बॉक्स, वीसेट, मोबाइल फोन, उपभोक्ता एवं मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट एनर्जी मीटर, स्मार्ट कार्ड और माइक्रो एटीएम शामिल हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स को मज़बूती प्रदान करने के लिये स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमी कंडक्टर्स (एसपीईसीएस), बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (पीएलआई) और मॉडिफाइड स्पेशन इंसेंटिव पैकेज स्कीम (एम-एसआइपीएस) जैसी महत्त्वपूर्ण नीतियाँ शामिल हैं।
- **नौकरियों के लिये आईटी:** डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के इस स्तंभ के तहत बड़े पैमाने पर बीपीओ की स्थापना और आईटी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट बीपीओ योजना की स्थापना बीपीओ उद्योग को टियर-1 शहरों से पूर्वोत्तर राज्यों तक ले जाने के लिये की गई है।
- **अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम:** इस स्तंभ के अंतर्गत आने वाली प्रमुख परियोजनाओं में मास मैसेजिंग के लिये आईटी प्लेटफॉर्म, ई-ग्रीटिंग्स की क्राउड सोर्सिंग, सरकारी कार्यालयों में बायोमैट्रिक उपस्थिति, सभी विश्वविद्यालयों में वाई-फाई, सरकार की सुरक्षित आंतरिक ई-मेल, सरकारी मेल का डिज़ाइन मानकीकरण, सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट, स्कूली किताबों का ई-बुक में बदलाव, एसएमएस आधारित मौसम की जानकारी/आपदा अलर्ट और खोए-पाए बच्चों के लिये राष्ट्रीय पोर्टल।

चुनौतियाँ

- **तकनीकी चुनौतियाँ:** अलग-अलग राज्यों में विभिन्न नेटवर्क, इंटरफेस/प्लेटफॉर्म का एकीकरण और संरेखण डिजिटल इंडिया के कार्यान्वयन में एक बड़ी चुनौती रही है। कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा समाधानों, गोपनीयता, सुरक्षा और बहु-सेवा संपर्क में पारस्परिकता जैसी चुनौतियों

राजव्यवस्था एवं समाज

भारत का पोषण एजेंडा

संदर्भ

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (एनएफएचएस-5) के पहले चरण के निष्कर्षों के आधार पर 22 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिये आँकड़े जारी किये हैं। 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुछ प्रमुख राज्य, जैसे- तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश शामिल नहीं हैं।

चिंताजनक निष्कर्ष

- 22 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में से 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गंभीर कुपोषण के मामलों में वृद्धि हुई है (2015-16 में आयोजित एनएफएचएस-4 की तुलना में)। छह राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में केरल और कर्नाटक केवल दो बड़े राज्य हैं जहाँ इन मामलों में कुछ गिरावट आई है। 22 में से 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पाँच वर्ष से कम आयु के कम वज़न वाले (Underweight) बच्चों का प्रतिशत भी बढ़ा है।
- बच्चों के साथ-साथ वयस्क महिलाओं में एनीमिया का स्तर अधिकांश राज्यों में बढ़ा है, केवल चार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बच्चों में एनीमिया में कमी देखी गई है (उनमें से सभी छोटे राज्य हैं- लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और मेघालय)।
- कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वयस्क कुपोषण जैसे अन्य संकेतकों के प्रसार में भी वृद्धि हुई है, 18.5 किलोग्राम/वर्ग मी. से कम बॉडी मास इंडेक्स वाले वयस्कों को कुपोषित माना जाता है। चिंता की बात यह भी है कि अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बच्चों और वयस्कों में अधिक वज़न/मोटापे की प्रवृत्ति में वृद्धि देखी जा रही है, जिससे एक बार फिर से गुणवत्ता और मात्रा दोनों दृष्टि से भारत में आहार की अपर्याप्तता पर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है।
- ये आँकड़े एनएफएचएस-4 के आंकड़ों की तुलना में 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 13 में बाल्यावस्था की स्टंटिंग (उम्र के अनुसार लंबाई कम होना) में वृद्धि दर्शाते हैं। शेष नौ राज्यों में, पाँच राज्यों में इस पाँच साल की अवधि में 1 प्रतिशत बिंदु (पीपी) से कम सुधार हुआ है। सिक्किम (7.3 पीपी), मणिपुर (5.5 पीपी), बिहार (5.4 पीपी) और असम (1.1 पीपीपी) चार राज्य हैं जिनमें कुछ सुधार हुआ है, हालाँकि यह सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से कम है।
- 2005-06 (एनएफएचएस-3) और 2015-16 (एनएफएचएस-4) के बीच पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग (उम्र के अनुसार कम लंबाई) 48% से घटकर 38% हो गई अर्थात् 10 प्रतिशत बिंदु की गिरावट आई, जो एक वर्ष में औसतन 1 प्रतिशत बिंदु थी। हालाँकि यह सुधार सही दिशा में था, लेकिन इसे बहुत धीमी गति का माना गया। 2017 में शुरू किये गए प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक, पोषण अभियान का उद्देश्य बाल्यावस्था की स्टंटिंग में प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत कमी का लक्ष्य प्राप्त करना है।
- एनएफएचएस-5 के इन प्रारंभिक परिणामों से यह संकेत मिलता है कि 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान देश में बाल्यावस्था की स्टंटिंग के मामलों में वृद्धि की संभावना है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और सार्वजनिक कार्यक्रमों, जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS) और मध्याह्न भोजन में कुछ विस्तार ने पूर्ण गरीबी में कमी लाने के साथ-साथ पोषण संकेतकों में पिछले सुधारों में भी योगदान दिया है।
- हाल ही में किये गए फील्ड सर्वेक्षण, जैसे कि 'हंगर वॉच' पहले से ही, खासकर गरीब और कमज़ोर परिवारों में खाद्य असुरक्षा और खाद्य पदार्थों की खपत में भारी गिरावट दर्शा रहे हैं। 11 राज्यों में किये गए हंगर वॉच सर्वे में, दो-तिहाई उत्तरदाताओं ने बताया कि लॉकडाउन से पहले की तुलना में सितंबर-अक्तूबर में उनके आहार की गुणवत्ता और मात्रा में गिरावट आ गई थी। इसे देखते हुए कुपोषण के मुद्दे का समाधान करने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
- खाद्य पदार्थों के उत्पादन और उपलब्धता के माध्यम से कृषि और पोषण दोनों के बीच संबंध तथा कृषि में आजीविका का सृजन भी महत्त्वपूर्ण है। कुपोषण के मूल निर्धारक- घरेलू खाद्य सुरक्षा, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच और लैंगिक समानता को अब अनदेखा नहीं किया जा सकता है। एक रोज़गार केंद्रित विकास रणनीति अनिवार्य है जिसमें सभी के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य और सामाजिक सुरक्षा के लिये बुनियादी सेवाओं का प्रावधान शामिल है। ***Source : The Hindu***

हिरासत में दी जाने वाली यातना

संदर्भ

हाल ही में उच्चतम न्यायालय की तीन जजों की बेंच ने आदेश दिया कि पुलिस स्टेशनों और अन्य जाँच एजेंसियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएँ। हालाँकि, इन स्थलों पर हिरासत में दी जाने वाली यातना को कम करने के लिये यह एक महत्त्वपूर्ण कदम है, लेकिन यह तभी सार्थक प्रभाव डाल सकता है जब यातना के लिये दंड से मुक्ति को समाप्त करने के लिये लंबे समय से लंबित सुधारों के साथ-साथ पुलिस हिंसा की संस्कृति में परिवर्तन किया जाए।

प्रमुख बिंदु

- वर्तमान निर्णय के दृष्टिकोण में पूर्व निर्णयों की तुलना में एक उल्लेखनीय अंतर दिखता है। इसमें पुलिस स्टेशनों के उन क्षेत्रों को सूचीबद्ध करके अधिक सावधानी दिखाई गई है, जहाँ यह सुनिश्चित करने के लिये कैमरे लगाए जाने चाहिये कि सभी स्थान कैमरों की नज़र में रहें।

अर्थव्यवस्था

बैंकों का निजीकरण

संदर्भ

सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों के निजीकरण को लेकर चर्चा है। वित्तीय वर्ष (वित्त) 2020-21 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI Bank) के निजीकरण की बात की गई है। 2020-21 में ₹2.1 ट्रिलियन के विनिवेश लक्ष्य में से ₹90 बिलियन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में सरकार की हिस्सेदारी की बिक्री और आईडीबीआई बैंक के निजीकरण से आने थे।

बैंकों का प्रदर्शन

निजी बैंकों के मुकाबले पीएसबी का प्रदर्शन अच्छा नहीं

- प्रदर्शन में विचलन पिछले एक दशक, 2010-20 में, अर्थात् वैश्विक वित्तीय संकट (Global Financial Crisis-GFC) के बाद हुआ है। 2010 में, सकल एनपीए/सकल ऋण अनुपात पीएसबी में 2.3% और निजी बैंकों में 3% था। मार्च 2020 तक, स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई: उक्त अनुपात क्रमशः 11.3% और 4.2% हो गया। इस बदलाव को 2007-08 के वैश्विक वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए पीएसबी द्वारा ऋण दिये जाने में उछाल के रूप में देखा जा सकता है।
- वैश्विक वित्तीय संकट से पहले ऋण देने में उछाल बुनियादी ढाँचे (बिजली और दूरसंचार) और संबंधित क्षेत्रों, अर्थात् खनन, लोहा और इस्पात, वस्त्र और विमानन क्षेत्र को उधार देने का परिणाम था। इन पाँच क्षेत्रों को दिये गए ऋणों का हिस्सा पीएसबी के कुल ऋणों में 29% और निजी बैंकों में 14% था। इन क्षेत्रों में ज़्यादातर निवेश निजी निवेश था और यह 2004-08 के आर्थिक उछाल के लिये ज़िम्मेदार था।
- वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, कॉरपोरेट्स का नकदी प्रवाह प्रत्याशित की तुलना में बहुत कम हो गया और यह एनपीए में वृद्धि में परिलक्षित हुआ, जैसा कि 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है। इस समस्या का एक प्रमुख कारण आर्थिक वातावरण में अप्रत्याशित परिवर्तन था। प्रबंधन के नियंत्रण से परे निम्नलिखित अन्य कारकों ने योगदान दिया:
  - खनन क्षेत्र न्यायालय के प्रतिकूल निर्णयों से प्रभावित था।
  - इस्पात क्षेत्र चीन द्वारा डंपिंग और विश्वसनीय ईंधन लिंकेज की अनुपस्थिति से प्रभावित था।
  - विद्युत परियोजनाओं और सड़कों को भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंज़ूरी में देरी का सामना करना पड़ा।
  - 2जी लाइसेंस रद्द होने से दूरसंचार क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

पीएसबी को लगातार पूंजी प्रदान करने में सरकार असमर्थता

- रेटिंग एजेंसी, मूडीज का अनुमान है कि पीएसबी को अगले दो वर्षों में लगभग ₹2 लाख करोड़ की पूंजी की आवश्यकता होगी, या अगले दो वर्षों में से प्रत्येक वर्ष लगभग ₹1 लाख करोड़ की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि ₹50,000 करोड़ की इक्विटी पूंजी की आवश्यकता होगी, जिसमें से लगभग आधा या ₹25,000 करोड़ सरकार से आने हैं। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में पीएसबी के पुनर्पूंजीकरण के लिये ₹20,000 करोड़ पहले ही आवंटित कर दिये हैं।
- 2010 से सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ₹4 ट्रिलियने से अधिक की राशि प्रदान की है। इस राशि का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिये किया जा सकता था। वे इस तथ्य को अनदेखा करते हैं कि निजी बैंकों को बचाने के लिये हर देश की सरकारों ने कदम उठाए हैं।
- 2008 और 2009 में यूनाइटेड किंगडम (यूके) सरकार को रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड को बचाने के लिये £45 बिलियन (₹4,50,000 करोड़) की राशि देनी पड़ी थी। यह राशि उदारीकरण की शुरुआत के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिये भारत द्वारा खर्च की गई कुल राशि के बराबर है।
- ब्रिटेन में विकर्स आयोग (Vickers Commission) ने अनुमान लगाया कि वित्तीय संकट से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 19% से 163% की लागत आती है, जिसकी माध्यिका लागत (Median Cost) 63% है (विकर्स आयोग 2011)। ये निजी बैंकिंग प्रणालियों द्वारा लगाई गई लागतें हैं।
- आयोग ने कहा कि यदि बैंकिंग संकट 20 वर्षों में एक बार हुआ, तो इसकी वार्षिक लागत जीडीपी की 3% होगी। इसलिये संकट को रोकने के लिये हर साल जीडीपी का 3% खर्च करना उचित है। उदारीकरण के बाद के लगभग 25 वर्षों में भारत की संचयी पुनर्पूंजीकरण लागत जीडीपी के 3% से थोड़ा अधिक होगी।

बैंकों का निजीकरण 'कैसे'?

- एक विकल्प यह है कि भारत में किसी निजी संस्था को इनकी नियंत्रक हिस्सेदारी बेची जाए। वित्तीय क्षेत्र के भीतर ऐसी अधिक इकाइयाँ नहीं हैं जिनके पास पीएसबी खरीदने के लिये वित्तीय संसाधन हैं। कई प्रमुख निजी बैंकों के पास अपने स्वयं के शाखा नेटवर्क बहुत बड़े हैं और अपनी पहुँच बढ़ाने के लिये उन्हें पीएसबी खरीदने की आवश्यकता नहीं है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के एक आंतरिक कार्य समूह (Internal Working Group, IWG) ने एक हालिया रिपोर्ट में कॉरपोरेट कंपनियों द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश करने की संभावना जताई है। इनमें कॉरपोरेट घराने शामिल हैं जो पहले से ही गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के मालिक हैं। हालाँकि, कॉरपोरेट घरानों का प्रवेश परस्पर संबद्ध ऋणों (Interconnected Lending) सहित हितों का होगा।
- दूसरी संभावना यह है कि सरकार पीएसबी में अपना इक्विटी शेयर 50% से नीचे जाने दे। यह सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री या नई पूंजी प्रदान करके हो सकता है, यह नई पूंजी सरकार अपने खजाने से नहीं देगी। यह पी. जे. नायक समिति (नायक 2014) द्वारा अनुशंसित एक्सिस बैंक मॉडल है।
- पीएसबी में सरकार की हिस्सेदारी 50% से कम करने से उन्हें कार्यकारी छूट संबंधी बाधाओं के साथ-साथ केंद्रीय सतर्कता आयोग के दायरे में आने से भी मुक्ति मिलेगी। सरकार स्वयं को एक निष्क्रिय मालिक की

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्पर्म फ्रीजिंग और आईवीएफ प्रौद्योगिकी

संदर्भ

अनेक विलुप्तप्राय प्रजातियों को विलुप्त होने से बचने के लिये कैप्टिव प्रजनन (Captive Breeding) का उपयोग किया जाता हैं। हाल में प्रकाशित आर्थिक और आनुवंशिक मॉडलिंग से पता चलता है कि कैसे आनुवंशिक सामग्री को फ्रीज करना व असिस्टेड रिप्रोडक्शन का उपयोग कैप्टिव प्रजनन कार्यक्रम के लिये आवश्यक सहायता-उपकरण प्रदान कर सकता है।

कैप्टिव प्रजनन

- कैप्टिव प्रजनन कार्यक्रमों को आनुवंशिक विविधता से संबंधित महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियाँ कुछ सबसे लंबे समय तक चलने वाले और अच्छे संसाधनों वाले कैप्टिव प्रजनन कार्यक्रमों, जैसे कि विशाल पांडा और तस्मानियन डेविल्स में भी आमतौर पर देखने को मिलती हैं।
- कैप्टिव प्रजनन की एक पीढ़ी के बाद भी जीन समाप्त हो जाते हैं और कैप्टिविटी में रहने एवं प्रजनन करने वाले जानवरों में कुछ ही पीढ़ियों में पालतू जानवरों जैसे लक्षण और कैप्टिविटी के साथ अनुकूलन के लक्षण दिखने लगते हैं।
- कुछ कैप्टिव प्रोग्राम्स की छोटी कैप्टिव कॉलोनियों में इनब्रीडिंग डिप्रेशन अपरिहार्य है। कैप्टिव प्रजनन वाले जानवरों में जंगली जीनों का समाप्त होना उन्हें वापस जंगल में छोड़ने के लिये उनकी समग्र फिटनेस को प्रभावित करता है।

बायोबैंकिंग क्या है?

- बायोबैंकिंग का अर्थ विलुप्तप्राय प्रजातियों की विभिन्न जीवित कोशिकाओं, विशेष रूप से शुक्राणु, अंडे और भ्रूण सहित लैंगिक कोशिकाओं का अत्यंत निम्न तापमान पर भंडारण है। जमे हुए (Frozen) नमूनों को विलुप्तप्राय प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिये लंबे समय तक रखा जा सकता है या संरक्षण आनुवंशिक प्रबंधन में उपयोग के लिये सामान्य तापमान पर लाया जा सकता है।
- बड़े वाणिज्यिक बायोमेडिकल बायोबैंक नियमित रूप से कैंसर और अन्य चिकित्सा अनुसंधान के लिये कोशिकाओं का भंडारण करते हैं। बायोबैंकिंग का उपयोग बड़े पैमाने पर फसलों और लुप्तप्राय पौधों के बीजों का भंडारण करने के लिये तथा पशुपालन में पशुओं की दुर्लभ या मूल्यवान नस्लों का भंडारण करने के लिये किया जाता है।
- बायोबैंक का उपयोग संरक्षण के लिये भी किया जाता है, उदाहरण के लिये सैन डिएगो के फ्रोज़न ज़ू (Frozen Zoo), यूके के फ्रोज़न आर्क और ऑस्ट्रेलिया के फ्रोज़न ज़ू में दुनिया की कुछ सबसे विलुप्तप्राय प्रजातियों के फ्रोज़न नमूनों का भंडारण किया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- कैप्टिव प्रजनन की आर्थिक लागतों पर वास्तविक डेटा का उपयोग करते हुए हमने कनाडा और उत्तरी अमेरिका की मूल प्रजाति के ओरेगन स्पॉटेड फ्रॉग (राना प्रेटिओसा) के लिये मॉडल तैयार किये, जो किसी भी आकार की कैप्टिव आबादी के लिये कार्यक्रम की लागत और आनुवंशिक विविधता के नुकसान का पूर्वानुमान लगाते हैं।
- ओरेगन स्पॉटेड फ्रॉग मॉडल के लिये परिणाम आश्चर्यजनक थे। बायोबैंकिंग ने इनब्रीडिंग की दर को अत्यंत धीमा कर दिया और इसके लिये बहुत कम जीवित मेंढकों की आवश्यकता पड़ी। सामान्य कैप्टिव प्रजनन स्थितियों में आनुवंशिक लक्ष्य को पूरा करने के लिये 1,800 से अधिक जीवित मेंढकों की आवश्यकता थी। बायोबैंकिंग का उपयोग करके आवश्यक जीवित मेंढकों की इस संख्या को घटाकर 58 कर दिया गया।
- बायोबैंक का उपयोग करके प्रजनन के लिये 121,000 डॉलर की लागत आएगी, इसके बाद उसी अवधि में कुल लागत लगभग 20 मिलियन डॉलर आएगी। इस प्रकार कैप्टिव प्रजनन की तुलना में बायोबैंकिंग की सहायता से प्रजनन में कुल लागत में 26 गुना कम हो जाएगी।

कैप्टिव प्रजनन का एक नया युग?

- बायोबैंकिंग दृष्टिकोण में निवेश कैप्टिव प्रजनन संस्थानों को उन जानवरों को बनाए रखने की अनुमति दे सकता है जो जंगली आबादी के समान अधिक चुस्त-दुरुस्त हों।
- कैप्टिव प्रजनन कार्यक्रम उन आनुवंशिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं जो अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं और ऐसे जानवर पैदा कर सकते हैं जो वापस जंगलों में छोड़ने के लिये अधिक अनुकूल हों।
- लागत काफी कम होने से संस्थानों को कई और प्रजातियाँ रखना आसान होगा। उपर्युक्त प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान में निवेश के साथ यह दृष्टिकोण उभयचरों तक सीमित नहीं होगा और किसी भी प्रजाति के लिये काम कर सकता है।
- बायोबैंकिंग की क्षमता बढ़ाने से ऐसी अनेक प्रजातियों के कैप्टिव प्रजनन के एक नए युग की शुरुआत हो सकती है जिन्हें ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है।

Source : Down to Earth

रोगाणुरोधी प्रतिरोध बनाम तकनीक

संदर्भ

- बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के शोधकर्त्ताओं द्वारा हाल ही में एक अध्ययन किया गया जिसमें उन्होंने वाराणसी के पाँच घाटों पर गंगा के पानी की जाँच की, इसमें पाया गया कि गंगा में एंटीबायोटिक और धातु-प्रतिरोधी बैक्टीरिया मौजूद हैं।

पर्यावरण

ब्राउन सेक्टर की बजाय ग्रीन सेक्टर को प्राथमिकता देना

संदर्भ

- भारत ने पेरिस समझौते के पाँच साल पूरा होने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से आयोजित 'वर्चुअल जलवायु-आकांक्षा शिखर सम्मेलन (Virtual Climate Ambition Summit)' में ज़ोर देते हुए कहा कि वह उत्सर्जन में कटौती करने के संबंध में न केवल अपने राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने बल्कि लक्ष्य से भी अधिक कटौती करने की दिशा में बढ़ रहा है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उल्लिखित प्रदर्शन मुख्य रूप से 2005 के स्तर से उत्सर्जन की तीव्रता में 21% की कमी (अनुमानित लक्ष्य 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद का 33% और 35% के बीच है) और नवीकरणीय ऊर्जा तथा उच्च वनावरण के जुड़वाँ स्तंभों पर आधारित है।

प्रमुख बिंदु

- यूएनईपी की एमिशन गैप रिपोर्ट-2020 में भारत को जी20 के उन नौ सदस्य देशों में शामिल किया गया है, जो कोविड-19 से पहले के अनुमानों के आधार पर पेरिस समझौते के तहत अपनी बिना शर्त वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिये सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। गौरतलब है कि जी20 समूह कुल मिलाकर ग्रीन हाउस गैसों के 78% उत्सर्जन के लिये ज़िम्मेदार हैं।
- महामारी से कुछ समय के लिये वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में हुई कमी ने सभी देशों को अपने विकास संबंधी अनुमानों की समीक्षा करने का अवसर दिया है।
- इस घटना ने सभी देशों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मंदी से निकालने के लिये असाधारण राजकोषीय प्रोत्साहन देने के लिये प्रेरित किया है- वैश्विक स्तर पर 12 ट्रिलियन डॉलर के राजकोषीय प्रोत्साहन अनुमान है- जिससे हरित विकास की संभावना बढ़ रही है।
- इस शिखर सम्मेलन में, भारत के प्रधानमंत्री ने वनों के विस्तार की बात को स्वीकार किया, जो कि पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय वचनबद्धता के अनुसार, 2030 तक 2.5 बिलियन से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य के कार्बन सिंक के रूप में काम करेगा।

आगे की राह

- कुल नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य के भीतर 100 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के लिये, जो अभी 36 गीगावाट है, इसमें अत्यंत तेज़ी लाने की आवश्यकता है, इसके लिये छतों पर सौर ऊर्जा उपकरणों की स्थापना को बढ़ावा देना होगा।
- परिवहन से संबंधित उत्सर्जन, जो कुल उत्सर्जन के प्रमुख घटक हैं, महामारी के अनलॉक चरण में तेज़ी से बढ़े हैं, क्योंकि लोग निजी वाहनों को पसंद कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे को राज्यों से बहुत कम समर्थन मिला जो शहरों में साइकिल से चलने और पैदल चलने की व्यवस्था करने में विफल रहे।
- जलवायु आपदाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर कृषि बीमा पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। 2021 में ग्लासगो में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में देशों के मिलने के लिये एक वर्ष बचा है, इसमें भारत को भविष्य के उत्सर्जन पर ध्यान केंद्रित करने और ऐसे हरित निवेशों की योजना बनाने की आवश्यकता है जो वैश्विक जलवायु वित्तपोषण की शर्तों का पालन करते हों।

Source : The Hindu

जलवायु परिवर्तन के संबंध में भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान

संदर्भ

- हम इस वर्ष पेरिस समझौते की पाँचवी वर्षगाँठ मना रहे हैं, 2030 के लिये भारत की वचनबद्धताओं- जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) कहा जाता है- को एक स्पष्ट रणनीति के साथ प्राप्त किया जा सकता है।
- इसके लिये कई उपाय किये जा रहे हैं और योजनाएँ चल रही हैं; जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा (आरईएन) का 2022 तक 175 गीगावाट और 2027 तक 450 गीगावाट का लक्ष्य, ऊर्जा की कम खपत वाले उपकरण, जैसे- एलईडी बल्ब, स्टार रेटिंग वाले रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, उद्योगों और बिजली जनरेटरों के लिये योजनाएँ आदि।

अपनाये जा सकने वाले प्रमुख उपाय

- भविष्य में कार्बन के निम्न उत्सर्जन की ओर बदलाव में नवीकरणीय ऊर्जा की अधिक हिस्सेदारी, जीवाश्म ईंधन आधारित कुशल बिजली संयंत्र, बिजली के प्रेषण और वितरण में हानियों में कमी, विद्युत वाहन, कुशल सार्वजनिक परिवहन, कुशल और कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहन, पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले और महँगे बिजली संयंत्रों को बंद करना, डीज़ल जनरेटर या कैप्टिव पावर प्लांट को कम करने के लिये विश्वसनीय बिजली आपूर्ति प्रदान करना शामिल होगा।
- राज्यों को क्षमता संवर्द्धन के साथ-साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्त और तकनीकी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। दूसरे, कुछ मौजूदा विनियामक उपाय, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा की प्रत्येक श्रेणी के लिये निर्धारित नवीकरणीय खरीद दायित्व (Renewable Purchase Obligations, RPO) में लचीलापन लाने के लिये कुछ नियमों में बदलाव करना पड़ सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत-वियतनाम

संदर्भ

भारत साझा रणनीतिक सरोकारों और साझा हितों को ध्यान में रखते हुए वियतनाम को एक भरोसेमंद मित्र देश के रूप में देखता है। दोनों देश पोत-निर्माण, समुद्री सतह और उपसतह में क्षमताओं, जैसे- रक्षा सहयोग के कई क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं।

प्रमुख बिंदु

- भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 27 नवंबर को अपने वियतनामी समकक्ष जनरल न्गो जुआन लिच (General Ngo Xuan Lich) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये बातचीत में वियतनाम को सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण में भारत की मदद का आश्वासन दिया, जिसमें समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, क्योंकि दोनों देश नए संयुक्त विज़न की दिशा में काम कर रहे हैं।
- वियतनाम भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और ध्रुव हेलीकॉप्टरों के अलावा ब्रह्मोस जैसे कई सैन्य उपकरण खरीदने का इच्छुक है। दक्षिण चीन सागर में वियतनाम का चीन के साथ सीमा विवाद है और भारत-रूस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल ब्रह्मोस को हासिल करने में हनोई की दिलचस्पी को लेकर भारत उसके साथ बातचीत कर रहा है।
- उपरोक्त सिद्धांत दोनों देशों को बहुत करीब लाए हैं, जिसमें चार स्तंभ हैं। पहला स्तंभ राजनयिक-राजनीतिक है जिसमें महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर घनिष्ठ समन्वय की परिकल्पना की गई है। दोनों देश विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मंचों पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं।
- दूसरा स्तंभ पारस्परिक लाभ के लिये व्यापार और आर्थिक संबंध हैं, जिनमें विशेष रूप से आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद पिछले वर्षों में काफी सुधार हुआ है। भारत को पता है कि वियतनाम दक्षिण-पूर्व एशिया में बड़ी राजनीतिक स्थिरता और अच्छे आर्थिक विकास के कारण एक संभावित क्षेत्रीय शक्ति है। इसकी औसत 7% वार्षिक आर्थिक वृद्धि बहुत आकर्षक है। महामारी के दौरान भी, इसकी आर्थिक वृद्धि 3% रही जो सराहनीय है, जबकि अन्य देश नकारात्मक वृद्धि दर्ज कर रहे हैं।
- तीसरा स्तंभ रक्षा आयाम है। वियतनाम अपने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण में रुचि रखता है, जबकि भारत रणनीतिक क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिये अपने दक्षिण-पूर्व एशियाई दोस्तों की रक्षा क्षमताओं को पर्याप्त रूप से विकसित करने में रुचि रखता है और इसमें वियतनाम सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि उसने चीन की दादागीरी का हमेशा विरोध किया है। रक्षा संबंधों में क्षमता निर्माण, साझा सुरक्षा चिंताओं से निपटने, कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास में सहयोग शामिल हैं। इसके अलावा, लोगों के बीच संपर्क, जो काफी पुराने हैं, समय के साथ मज़बूत हुए हैं।
- चौथा स्तंभ चीन का कारक है जिसका भारत और वियतनाम के अपने-अपने रणनीतिक परिकलनों में भारी महत्त्व है। दोनों देशों ने चीन के साथ युद्ध लड़े थे और दोनों का उसके साथ सीमा विवाद है। चीन ने अपनी रणनीतिक योजना के चीन तहत भारत और वियतनाम दोनों के लिये दबाव बिंदु बनाए हैं। यह दोनों देशों के क्षेत्रों में आक्रामक रूप से अतिक्रमण कर रहा है। इसलिये दोनों देशों के लिये चीन को उसकी आक्रामक कार्रवाइयों से रोकने के लिये निकट आना स्वाभाविक है।
- यद्यपि रक्षा सहयोग 2016 में दोनों देशों द्वारा शुरू की गई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के सबसे महत्त्वपूर्ण स्तंभों में से एक रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंध बहुत पहले स्थापित हो गए थे। भारत ने 1956 में ही हनोई में महावाणिज्य दूतावास की स्थापना की थी। वियतनाम ने 1972 में अपने राजनयिक मिशन की स्थापना की थी। भारत-अमेरिका संबंधों को दाँव पर लगाते हुए वियतनाम में अमेरिका के हस्तक्षेप के विरोध में उसके साथ खड़ा रहा था। यह संबंध तब और मज़बूत हुआ जब भारत ने 1990 के दशक के प्रारंभ में दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ आर्थिक एकीकरण और राजनीतिक सहयोग के विशिष्ट उद्देश्य से अपनी 'पूर्व की ओर देखो नीति (लुक ईस्ट पॉलिसी)' की शुरुआत की।

आगे की राह

- दोनों देशों की वायुसेनाओं के पायलटों के संयुक्त प्रशिक्षण और संयुक्त राष्ट्र के असाइनमेंट पर तैनाती के लिये बलों का प्रशिक्षण एक और फोकस क्षेत्र है। 27 नवंबर को रक्षा मंत्रियों ने रक्षा उद्योग के क्षमता-संवर्द्धन, प्रशिक्षण में सहयोग और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सहयोग पर भी चर्चा की।
- भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय व्यापार में पिछले कुछ वर्षों में निरंतर वृद्धि हुई है। दोनों देशों ने 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एक नए व्यापार लक्ष्य पर सहमति व्यक्त की है। वियतनाम से भारत को निर्यात की जाने वाली पाँच प्रमुख वस्तुएँ मोबाइल फोन और पुर्जे, मशीनरी, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, प्राकृतिक रबर, रसायन और कॉफी थीं। भारत से आयातित सबसे बड़े उत्पाद माँस और मत्स्य उत्पाद, मक्का, इस्पात, फार्मास्यूटिकल्स, कपास और मशीनरी थे। हालाँकि भारत आरसीईपी में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन इससे दोनों देशों के बीच व्यापार के विकास में अड़चन आने की संभावना नहीं है।
- हाल की बैठक में, दोनों देशों ने संकेत दिया कि अब वे अगले वर्ष एक संयुक्त विज़न स्टेटमेंट की आशा कर रहे हैं, क्योंकि मई 2015 को हस्ताक्षरित पाँच साल की अवधि के लिये '2015-2020 का संयुक्त विज़न स्टेटमेंट' 2020 में समाप्त हो रहा है। इससे पता चलता है कि दोनों देश संबंधों के प्रगाढ़ करने के लिये प्रतिबद्ध हैं। सुरक्षा वातावरण

क्लासिक पुस्तकें

प्रसिद्ध पुस्तकों पर संक्षिप्त चर्चा एवं उपयोगी उद्धरण

-पुरुषोत्तम 'प्रतीक'

प्रिय विद्यार्थियो, पिछले कुछ अंकों से हमने क्लासिक पुस्तकों की एक श्रृंखला प्रारंभ की है। सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में प्रसिद्ध पुस्तकों तथा विचारकों को संदर्भ सहित उद्धृत करना आपके उत्तर एवं निबंध को प्रभावी बनाता है। आपको इन पुस्तकों की मूल अवधारणाओं से परिचित होते हुए संबंधित उद्धरणों को आत्मसात् करना चाहिये तथा नियमित लेखन में इनका अभ्यास करना चाहिये।

पेडेगॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड : पाउलो फ्रेरे

प्रसिद्ध ब्राज़ीलियन शिक्षाशास्त्री पाउलो फ्रेरे द्वारा लिखी गई पुस्तक 'पेडेगॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड' शोषक तथा शोषित वर्ग की शिक्षा व्यवस्था को दो अलग नज़रिये से मूल्यांकित करती है और पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था से हटकर उनके लिये अलग-अलग शिक्षा प्रणालियों की बात करती है। शोषक तथा शोषित के द्वैत में फ्रेरे शोषण से मुक्ति के लिये शोषित वर्ग की ज़िम्मेदारी को लेकर स्पष्ट हैं। वे मुक्ति के लिये शोषक से कोई उम्मीद नहीं रखते। वे लिखते हैं, "चूँकि उत्पीड़कों का अस्तित्व ही उत्पीड़न और प्रभुत्व पर निर्भर करता है, इसलिये वे इसे कभी त्याग नहीं सकते बल्कि कायम रखने का हरसंभव प्रयास करते हैं। और इस उत्पीड़न के क्रम में न केवल उत्पीड़ित बल्कि उत्पीड़क का भी अमानुषीकरण हो जाता है। किंतु मानव होना सभ्यता का गुणधर्म है इसलिये इन दोनों वर्गों का मानुषीकरण आवश्यक है। अब चूँकि उत्पीड़क अपने प्रभुत्व को त्याग सकने की अक्षमता के कारण मनुष्य हो नहीं सकते इसलिये उत्पीड़ितों की यह ऐतिहासिक ज़िम्मेदारी है कि वे न केवल अपना बल्कि उत्पीड़कों का भी मानुषीकरण करें और उन्हें अमानुष की स्थिति से मुक्त करें। और यह केवल शिक्षा के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि शिक्षा केवल ज्ञान या सूचनाओं का आदान-प्रदान नहीं है बल्कि यह सामाजिक रूपांतरण की बुनियाद भी है, अतः इस उत्पीड़न की अमानुषिक सामाजिक व्यवस्था को केवल शिक्षा के माध्यम से ही बदला जा सकता है। इस सामाजिक परिवर्तन के लिये शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप क्या हो, इस पर आगे फ्रेरे विस्तार में बात करते हैं। वे इस पर बात करते हैं कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में क्या खामियाँ हैं और उत्पीड़ितों के लिये शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिये जिससे वे इस उत्पीड़न की प्रकृति को पहचान सकें और इसके प्रति विद्रोह कर सकें, इससे मुक्त हो सकें। फ्रेरे की यह किताब केवल शिक्षाशास्त्र के दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि उत्पीड़न के सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक विश्लेषण की दृष्टि से भी अनुपम है।

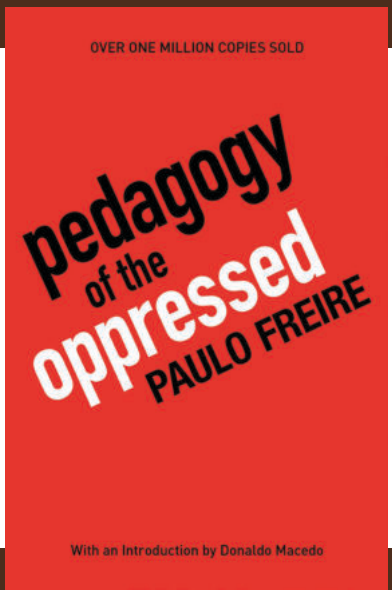

फ्रेरे ने इस किताब को चार अध्यायों में बाँटा है। पहले अध्याय में मूल रूप से यह समझाने की कोशिश की गई है कि शिक्षाशास्त्र क्यों आवश्यक है। मानव जाति की केंद्रीय समस्या को मानुषीकरण की पहचान के रूप में वर्णित करते हुए फ्रेरे कहते हैं कि हर कोई मनुष्य होने के लिये प्रयास करता है, क्योंकि यह मानव सभ्यता का स्वभाव है लेकिन उत्पीड़न इस यात्रा में लोगों को मनुष्य होने से बाधित करता है, इन पड़ावों को अमानुषीकरण कहा जाता है। अन्याय, शोषण और उत्पीड़न के कारण व्यक्ति वस्तु बन जाता है एवं उसका अमानुषीकरण हो जाता है। यह शिक्षा ही है जिससे खोई हुई मानवता को पुनः प्राप्त किया जा सकता है और उत्पीड़ित समुदाय अपनी वस्तुस्थिति को समझकर उत्पीड़न से मुक्त हो सकता है। फ्रेरे लिखते हैं, "मनुष्य का कर्त्तव्य मनुष्य बनना ही है। इस कर्तव्य का निरंतर निषेध किया जाता है, लेकिन इसके निषेध से इसकी अभिपुष्टि ही होती है।"

उत्पीड़न से मुक्ति के लिये फ्रेरे उत्पीड़न के स्वरूपों को समझना अनिवार्य मानते हैं। उनके अनुसार, बिना यह समझे कि मैं उत्पीड़ित हूँ, कोई मुक्ति के लिये प्रयास ही नहीं कर सकता। और यदि केवल बाह्य दबावों से व्यक्ति शोषण से मुक्ति के लिये क्रांति करेगा तो उसमें आत्मविश्वास कभी नहीं आ सकता। फ्रेरे के अनुसार उत्पीड़कों ने शोषण के इतने बारीक जाल बुने हैं और ऐसी संरचना बनाई है तथा वही समाज की आदर्श संरचना मालूम होती है और उससे निकल पाने के बारे में सोच पाना मुश्किल होता है। फ्रेरे लिखते हैं, "हिंसा का आरंभ वे करते हैं, जो उत्पीड़न करते हैं, शोषण करते हैं, जो दूसरों को मनुष्य नहीं मानते; इसका आरंभ वे नहीं करते जो उत्पीड़ित हैं, शोषित हैं, जिन्हें मनुष्य नहीं माना जाता। लेकिन उत्पीड़कों के लिये उत्पीड़ित ही, जब वे उत्पीड़कों द्वारा की गई हिंसा का विरोध करते हैं, 'हिंसक', 'बर्बर', 'दुष्ट' या 'क्रूर' होते हैं। उत्पीड़क लोग उत्पीड़ितों को 'उत्पीड़ित' कभी नहीं कहते, बल्कि इस आधार पर कि वे उनके देशवासी हैं या नहीं, उन्हें 'वे लोग' या 'अंधी और ईर्ष्यालु जनता या 'वहशी

PCS विशेष

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

80वाँ अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन

- हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने संविधान दिवस (26 नवंबर) के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केवड़िया (गुजरात) में 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन (All India Presiding Officers Conference) के समापन सत्र को संबोधित किया है।
- इस सम्मेलन की शुरुआत वर्ष 1921 में हुई थी और इस वर्ष इसका शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है।
- वर्ष 2020 के लिये इस सम्मेलन की थीम 'विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सामंजस्यपूर्ण समन्वय: एक जीवंत लोकतंत्र की कुंजी है'।
- यह राज्य के सभी तीन स्तंभों (विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका) के बीच समन्वय की आवश्यकता पर ज़ोर देता है अर्थात् उन्हें संविधान के अनुसार निर्देशित होने का सुझाव देता है जो सदाचार के लिये अपनी भूमिका का उल्लेख करता है।

अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस

- भ्रष्टाचार के उन्मूलन एवं इसे कम करने के लिये आवश्यक उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस (International Anti-Corruption Day) का आयोजन किया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्तूबर, 2003 को 'भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन' को अपनाया था।
- यह कन्वेंशन दिसंबर 2005 में लागू हुआ था।

12वाँ 'गृह' (GRIHA) शिखर सम्मेलन

- हाल ही में 12वें 'गृह' (Green Rating for Integrated Habitat Assessment-GRIHA) शिखर सम्मेलन का वर्चुअल आयोजन किया गया।
- इस सम्मेलन की थीम 'रिजुवनेटिंग रिजिलिअंट हैबिटैट्स' (Rejuvenating Resilient Habitats) है।
- इस सम्मेलन का उद्देश्य नवीन प्रौद्योगिकियों और समाधानों पर विचार-विमर्श करने के लिये एक मंच के रूप में कार्य करना है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने 'शाश्वत' (SHASHWAT) नामक एक पत्रिका और '30 स्टोरीज बियॉन्ड बिल्डिंग्स' (30 Stories Beyond Buildings) नामक पुस्तक का विमोचन किया।
- एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिये ग्रीन रेटिंग अर्थात् गृह (GRIHA) किसी भी संपूर्ण भवन निर्माण के लिये भारत की राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली है। गृह (GRIHA) को भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) में प्रस्तुत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित स्वैच्छिक योगदान (INDC) में भारत की स्वयं की ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रणाली के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।
- इसकी परिकल्पना 'द एनर्जी एंड रिसोर्सेज़ इंस्टीट्यूट' (TERI) द्वारा की गई थी तथा इसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया था।
- इसका उद्देश्य ग्रीन बिल्डिंग्स के लिये डिज़ाइन तैयार करने तथा इमारतों के 'ग्रीननेस' का मूल्यांकन करने में मदद करना है।
- इस प्रणाली को नई इमारतों (जो अभी स्थापना के चरण में हैं) के डिज़ाइन में सहायता करने तथा उनके मूल्यांकन के लिये विकसित किया गया है।
- एक इमारत का मूल्यांकन उसके पूरे जीवन चक्र के पूर्वानुमानित प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है।
- मूल्यांकन के लिये प्रयुक्त मानक हैं:- साइट/स्थल का चयन और योजना, संसाधनों का संरक्षण और कुशल उपयोग, भवन संचालन और रखरखाव, नवाचार की स्थिति।

मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020

- हाल ही में 'मानव स्वतंत्रता सूचकांक-2020' (Human Freedom Index-2020) जारी किया गया जो नागरिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की विश्वव्यापी रैंकिंग से संबंधित है।
- इस सूचकांक को अमेरिकी थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट (Cato Institute) और कनाडा के फ्रेज़र इंस्टीट्यूट (Fraser Institute) द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है।
- इस सूचकांक में, वर्ष 2008 से वर्ष 2018 तक की अवधि में 162 देशों की व्यक्तिगत, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता संबंधी 76 संकेतकों के आधार पर रैंकिंग की गई है।
- इस सूचकांक में 162 देशों की सूची में भारत को 111वें स्थान पर रखा गया है। जबकि वर्ष 2019 में भारत 94वें स्थान पर था।
- इस सूचकांक में भारत चीन (129वाँ) और बांग्लादेश (139वाँ) से आगे है। वहीं इस सूचकांक में न्यूज़ीलैंड, स्विट्ज़रलैंड एवं हॉन्गकॉन्ग क्रमशः पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। युद्धग्रस्त सीरिया को इस सूचकांक की सूची में अंतिम स्थान दिया गया है।

मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा

- हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने छात्रों को अपनी मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु रोडमैप तैयार करने के लिये एक कार्य दल (Task Force) का गठन किया है जिसके अध्यक्ष उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे हैं।

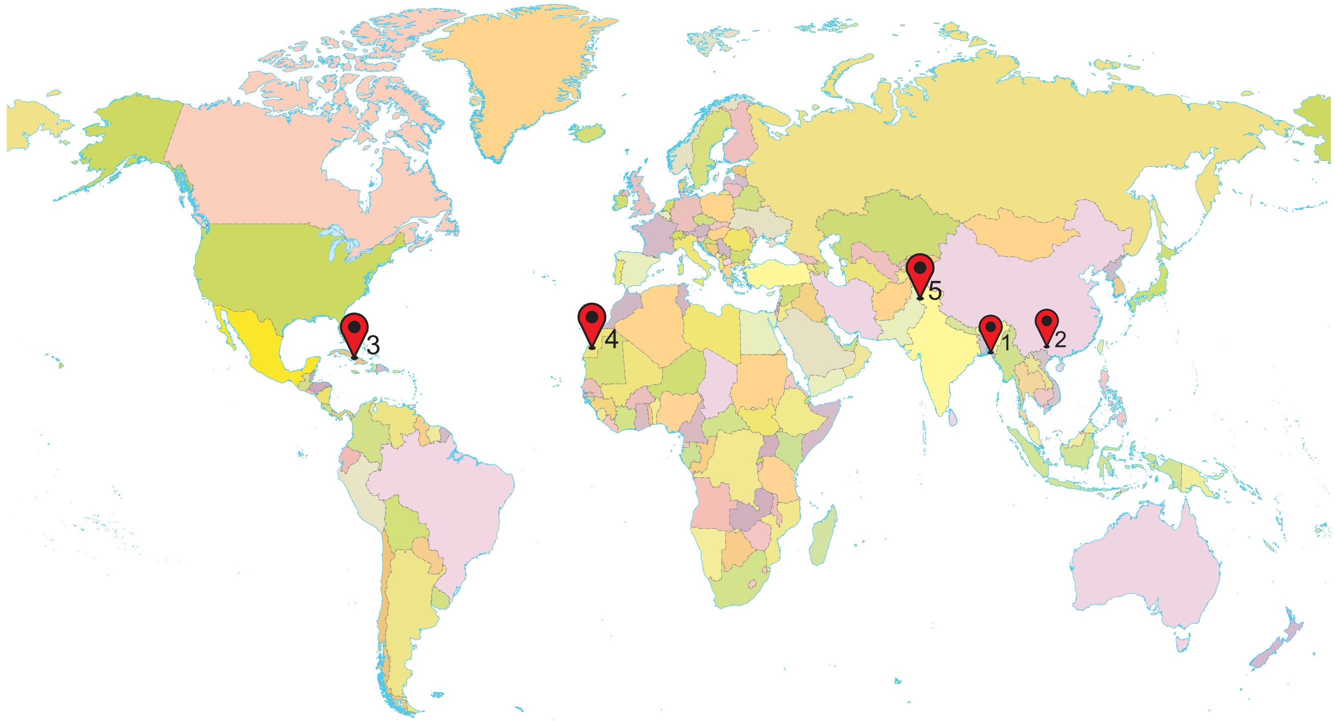

मानचित्र–1 (विश्व)

प्रश्न

1. उस द्वीप का नाम बताइये जहाँ बांग्लादेश ने रोहिंग्या शरणार्थियों को भेजा है।
2. उस देश का नाम बताइये जो दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो दूरदर्शी शुरू कर रहा है।
3. उस देश का नाम बताइये जहाँ सैन इसिड्रो मूवमेंट (MSI) चल रहा है।
4. अफ्रीका के उस विवादित क्षेत्र का नाम बताइये जिसे शांति समझौते के तहत अमेरिका द्वारा मान्यता दी गई है।
5. उस क्षेत्र का नाम बताइये जहाँ आज़ाद पट्टन जलविद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है।

(इस मानचित्र के उत्तर पेज-135 पर देखें)

से सीखें

रेखांकित स्थानों को पहचानते हैं?

मानचित्र-2 (भारत)

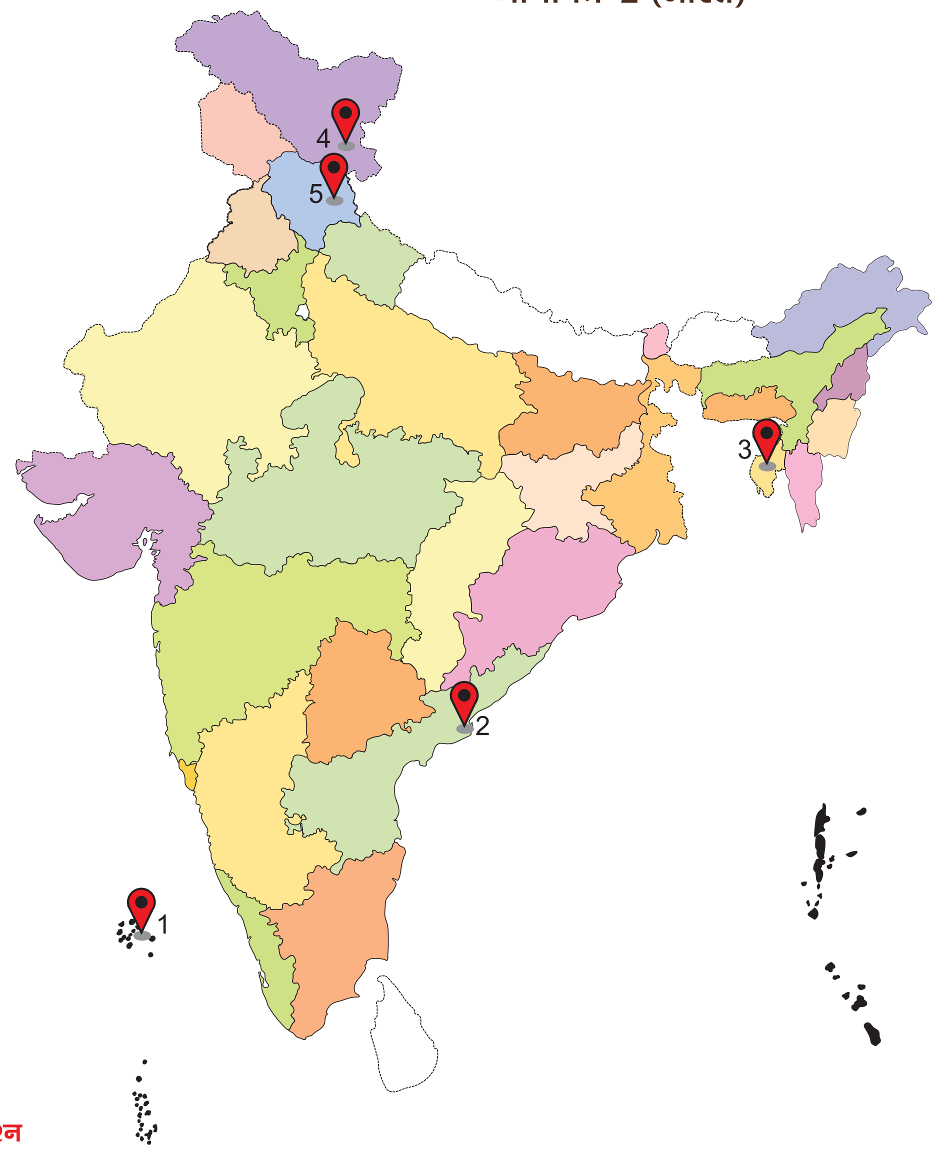

प्रश्न

1. उस केंद्रशासित प्रदेश का नाम बताइये जिसे हाल ही में भागीदारी गारंटी प्रणाली (PGS) के तहत जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है।
2. एशिया के सबसे गहरे अपतटीय गैस क्षेत्र का नाम बताइये जहाँ हाल ही में उत्पादन की घोषणा की गई है।
3. उस राज्य का नाम बताइये जहाँ ब्रू जनजाति ने हाल ही में विरोध प्रदर्शन किया है।
4. भारत के 42वें रामसर स्थल का नाम बताइये जिसे हाल ही में मान्यता दी गई है।
5. उस क्षेत्र का नाम बताइये जहाँ पहली बार हिमालयन सीरो को देखा गया था।

(इस मानचित्र के उत्तर पेज-135 पर देखें)

निबंध खंड

सत्य हमेशा सुंदर नहीं होता और न ही सुंदर शब्द सत्य होते हैं

(निबंध प्रतियोगिता-65 में प्रथम पुरस्कार के लिये चयनित)

-प्रभाष पाठक

बृहदारण्यक उपनिषद (2/5/11) में ईश्वर से प्रार्थना की गई है- 'असतो मा सद्गमय', अर्थात् मुझे असत्य से सत्य की ओर प्रवृत्त करो। इस उपनिषद के अनुसार धर्म और सत्य सभी प्राणियों के पोषक हैं और स्वयं मानव भी सभी प्राणियों के लिये पोषक है। शांडिल्य उपनिषद में सत्य के विषय में कहा गया है कि 'सत्यम नाम मनोवाक्कायकर्मभि सर्वभूतहितं यथार्थ ममभिभाषणम्' अर्थात् मन से, वचन से, कर्म से प्राणिमात्र की हित भावना से यथार्थ और श्रेयस्कर उपाय ही सत्य है। तथ्यों को सही रूप में अन्य के लाभ के लिये प्रस्तुत किया जाना सत्य है। सत्य का पालन करने से परिणाम मधुर और मंगलमय होता है। इतना ज्ञात होने के बावजूद भी यह भी उतना ही सत्य है कि सत्य हमेशा सुंदर नहीं होता और न ही सुंदर शब्द सत्य होते हैं। लाओत्सू का यह कथन सभी कालों के लिये सार्वभौमिक तथ्य है।

सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जीवनी से हम सभी को सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है, परंतु उनकी तरह सत्य के मार्ग पर चलने से सामने आने वाली बाधाओं का सामना कोई व्यक्ति नहीं करना चाहता। वास्तव में सत्य की पहचान करना आसान नहीं होता। इसका कारण यह है कि सत्य ऊपरी तौर पर आकर्षक नहीं होता और न ही इसे सुंदर शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। इसी कारण सत्य हमेशा सुंदर नहीं होता। बहुत बार व्यक्ति इतना भ्रमित हो जाता है कि वह सत्य की पहचान ही नहीं कर पाता। उदाहरण के लिये आजकल बड़ी-बड़ी कंपनियाँ लोगों को सुंदर शब्दों में व्यक्त और प्रदर्शित अपने उत्पाद को खरीदने के लिये प्रलोभित करती हैं। साथ ही, कम दाम में उत्पाद उपलब्ध कराने का दावा करती है जबकि संबंधित उत्पाद की गुणवत्ता विज्ञापन के अनुरूप न होने के कारण उपभोक्ता ठगा महसूस करता है।

कहा जाता है कि सत्य समझना, सत्य सुनना और सत्य आचरण करना कठिन ज़रूर है पर यह अभ्यास से सरल हो जाता है। परंतु आज में हम जीवन के सभी क्षेत्रों में पाते हैं कि अधिकांश लोग सत्य के नाम पर असत्य का अनुसरण कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि अनादि काल से हमें सुंदर शब्दों में पिरोया गया असत्य सत्य की तरह प्रतीत होता आया है। इसलिये हम सुंदर शब्दों में पिरोये गए असत्य को भी सत्य मानने के अभ्यस्त हो गए हैं। सांसारिक माया या भ्रम के कारण सुंदर सत्य प्रतीत होता है और हम बाहरी आकर्षण तथा सापेक्षिक सुंदरता के पीछे भागते रहते हैं।

सत्य शब्द सत् और तत् धातु से मिलकर बना है जिसका अर्थ है यह भी और वह भी। इससे स्पष्ट है कि सत्य पूर्ण रूप से एकतरफा नहीं होता। जिस प्रकार यह जगत सांसारिक लोगों के लिये सत्य है, वहीं यह आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोगों के लिये असत्य। यहाँ प्रश्न यह है कि सत्य सुंदर क्यों नहीं होता? क्योंकि सत्य का मार्ग कठिन और संकरा होता है। यह तलवार की धार की तरह तेज़ होता है। आधुनिक संसार के आदर्श महात्मा गांधी ने अपना संपूर्ण जीवन ही सत्य के साथ प्रयोग करने में समर्पित कर दिया था। उनके सभी कर्म सत्य की ओर ही लक्षित थे। गांधीजी 'सत्य के साथ मेरे प्रयोग' नामक आत्मकथा में लिखते हैं कि हर किसी घटना को देखने के दो रूप हो सकते हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन-सा मार्ग चुनते हैं क्योंकि सत्य कठोर होता है। सत्य मार्ग का अनुसरण करना कठिन होता है इसलिये यह सुंदर नहीं होता। झूठ आसान है जिसे सुंदर शब्दों में कहा जा सकता है। झूठ हमेशा अपनी ओर आकर्षित करता है; जैसे स्वर्ण मृग एक छलावा था जो सुंदर और सत्य प्रतीत होने के कारण माता सीता के हरण का कारण बना। असत्य में अजीब आकर्षण शक्ति होती है जो हमारे विवेक और धैर्य को समाप्त कर देता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर विज्ञापन की तीव्रता हमें उत्पाद के विषय में सत्य-असत्य को जानने का अवसर दिए बिना उसके क्रय की मनोवृत्ति को प्रेरित करती है। सत्य हमेशा सुंदर नहीं होता, यह हम दिन-प्रतिदिन पारिवारिक जीवन में भी अनुभव करते हैं। हम अपने परिजनों द्वारा की गई गलतियों तथा गलत कार्य को भी जल्दी स्वीकार नहीं करते क्योंकि वह सत्य तो होता है परंतु सुंदर नहीं लगता। हम स्वयं की गलतियों पर भी तब तक पर्दा डालने की कोशिश करते हैं जब तक कि सत्य उजागर न हो जाए।

चूँकि सत्य का अर्थ है यथार्थता, अर्थात् जो तथ्य जैसा है उसे वैसा ही मानना, स्वीकार करना और निभाना। 'सत्ये सर्व प्रतिष्ठितम' के अनुसार सब कुछ सत्य में है। सत्यनिष्ठ व्यक्ति अपने किसी भी स्वार्थ की सिद्धि में असत्य का सहारा नहीं लेता पर आज यह संख्या उंगलियों पर गिने जाने तक सीमित हो गई है। स्वार्थी चाटुकार अपनी कुत्सित कामना पूर्ति के लिये सुंदर शब्दों में ही दूसरों की मिथ्या प्रशंसा करके व्यक्ति और समाज को उकसाते रहते हैं। चाटुकारिता बड़ी मीठी लगती है तथा एक बार जब चाटुकारों की मिथ्या प्रशंसा सुनने का अभ्यास हो जाता है तब उसके जाल से निकलना कठिन हो जाता है। चाटुकारिता बड़े सुंदर शब्दों में की जाती है जो वास्तव में सत्य नहीं होती पर चाटुकार इसे सत्य प्रतीति कराते रहते हैं। आश्चर्य तो तब होता है जब लोग जानते हुए भी चाटुकारों से दूर नहीं हो पाते जबकि वे जानते हैं कि चाटुकार सुंदर शब्दों में जो कह रहा है वह असत्य है, परंतु असत्य को सुनने में उन्हें आनंद आता है इसलिये वही उनके लिये सत्य हो जाता है।

निबंध प्रतियोगिता

प्रिय पाठको,

इस प्रतियोगिता के अंतर्गत निबंध का एक विषय दिया जाता है। आप इस विषय पर अधिकतम 1500 शब्दों में निबंध टाइप कराकर निर्धारित तिथि तक हमें भेज सकते हैं। आपके प्रोत्साहन के लिये 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' की तरफ से पुरस्कार का प्रावधान भी किया गया है जिसके अंतर्गत **प्रथम तीन विजेताओं को क्रमशः एक साल, 9 महीने एवं 6 महीने तक 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' पत्रिका निःशुल्क भेजी जाएगी।**

प्रतियोगिता के संबंध में महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ इस प्रकार हैं–

निबंध प्रतियोगिता क्रमांक-67

विषयः भारतीय कृषकों की समस्याएँ एवं उनके समाधान की राह।

प्रतियोगिता के नियमः

1. निबंध अधिकतम 1500 शब्दों में ही होना चाहिये।
2. निबंध मुद्रित (टाइप) कराकर ही भेजें। यदि ई-मेल द्वारा निबंध भेज रहे हैं तो वर्ड फॉर्मेट में भेजें। ध्यान रखें कि हस्तलिखित निबंध स्वीकार नहीं किये जाएंगे। पिछली प्रतियोगिताओं में देखने में आया है कि कुछ प्रतिभागियों के विचार तो अच्छे होते हैं परंतु उनमें शाब्दिक अशुद्धियाँ प्रचुर मात्रा में होती हैं। आपसे निवेदन है कि इसका ध्यान रखें। निबंधों के मूल्यांकन में इसका भी ध्यान रखा जाता है।
3. निबंध की प्रविष्टि दिये गए पते पर रजिस्टर्ड डाक या ई-मेल द्वारा ही भेजें। प्रविष्टि भेजने का पता है– कार्यकारी संपादक, दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 तथा ई-मेल आईडी है– purushottam@groupdrishti.com। लिफाफे के ऊपर 'निबंध प्रतियोगिता के लिये प्रविष्टि' ज़रूर लिखें।
4. निबंध की भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होनी चाहिये।
5. अपनी प्रविष्टि के साथ इसी पृष्ठ पर दिये गए फॉर्म में अपना व्यक्तिगत परिचय लिखकर अवश्य भेजें। ध्यान रखें कि इस फॉर्म के बिना भेजे गए किसी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
6. आपकी प्रविष्टि ***20 फरवरी, 2021*** तक पहुँच जानी चाहिये। उसके बाद पहुँचने वाली प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रतियोगिता का परिणाम ***अप्रैल*** अंक में प्रकाशित होगा।
7. आपके विचार मौलिक होने चाहिये। किसी भी रूप में पूर्व-प्रकाशित व पुरस्कृत निबंधों पर विचार नहीं किया जाएगा।
8. निबंध के परिणाम के संबंध में सर्वाधिकार 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' के पास सुरक्षित हैं। पुरस्कार विजेताओं के नाम पत्रिका के आगामी अंक में प्रकाशित किये जाएंगे। प्रतियोगिता के परिणाम के संदर्भ में किसी भी किस्म का पत्राचार अथवा टेलीफोन न करें।

नोटः जो प्रतिभागी निबंध प्रतियोगिता हेतु प्रथम, द्वितीय और तृतीय में से कोई भी पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं उनकी प्रविष्टियों पर उस अंक से लेकर अगले एक वर्ष के अंक तक कोई विचार नहीं किया जाएगा। आप हमें डाक के अतिरिक्त ई-मेल द्वारा भी निबंध भेज सकते हैं। ई-मेल आई डी ऊपर दिये गए नियमों में उल्लिखित है। कृपया निबंध भेजने में इस बात का ध्यान रखें कि आप डाक या ई-मेल में से एक माध्यम से ही निबंध भेजें। दोनों माध्यमों से भेजने पर निबंध पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

निबंध प्रतियोगिता क्रमांक-65 के सभी विजेताओं को ढेरों बधाइयाँ, प्रथम तीन विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं– प्रथम पुरस्कार– प्रभाष पाठक, (पटना, बिहार) द्वितीय पुरस्कार– सुनीति गुप्ता, (मुरैना, मध्यप्रदेश), तृतीय पुरस्कार– नीरज कुमार वर्मा (प्रयागराज, उत्तर प्रदेश)।

निबंध प्रतियोगिता का फॉर्म

(कृपया इस फॉर्म को फाड़कर अपने निबंध के साथ संलग्न करें। मूल फॉर्म ही भेजें, फोटोकॉपी नहीं।)

प्रतिभागी का नाम .... मोबाइल नंबर ....

पत्राचार हेतु पता ....

....

ई-मेल पता ....

माइंड मैप

सामान्य अध्ययन के टॉपिक्स पर सटीक व बिंदुवार सामग्री

1857 का विद्रोह

परिचय

- विद्रोह की शुरुआत सर्वप्रथम 29 मार्च, 1857 को सिपाही मंगल पांडे द्वारा, बैरकपुर में गाय की चर्बी वाले कारतूस को दाँत से काटने से मना करने के पश्चात् उन्हें 8 अप्रैल, 1857 को दी गई फाँसी से होती है।
- मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इंफैन्ट्री (BNT) के सैनिक थे।
- विद्रोह का वास्तविक आरंभ 10 मई, 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 N.I. की क्रांति से हुआ था।
- इस विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पार्मस्टेन (लिबरल) थे।

प्रमुख कारण

- **राजनीतिक कारण :** लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी का व्यपगत का सिद्धांत।
- **प्रशासनिक कारण :** कंपनी प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं में सम्मिलित नहीं होने देना तथा उच्च पदों पर भारतीयों को हटाकर ब्रिटिश लोगों की नियुक्ति आदि।
- **सामाजिक-धार्मिक कारण :** भारतीयों के साथ अमानुषिक व्यवहार, काले गोरे का भेद, भारतीयों को ईसाई धर्म अपनाने के लिये मजबूर करना आदि।
- **आर्थिक कारण :** ब्रिटिश की भू-राजस्व नीतियाँ, खासकर रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त एवं महालवाड़ी आदि द्वारा किसानों का शोषण।
- **अन्य कारण :** सिपाहियों के मध्य व्याप्त असंतोष एवं बाहरी घटनाओं, खासकर प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध (1838-42), पंजाब युद्ध (1845-49) तथा क्रीमिया युद्ध (1845-56), आदि में अंग्रेज़ों की हुई हार।

असफलता के कारण

- सभी वर्गों, खासकर बड़े ज़मींदारों एवं तालुकेदारों तथा शिक्षित भारतीयों का विद्रोह के प्रति नकारात्मक रुख एवं इनका विद्रोह में शामिल न होना।
- विद्रोहियों के मध्य एक संगठित एवं एकबद्ध विचारधारा का अभाव।
- देशी राजाओं द्वारा विद्रोह को दबाने में अंग्रेज़ों का साथ देना।
- विद्रोह का पूरे भारत में प्रसारित न होना, खासकर भारत के दक्षिण-पूर्व हिस्से एवं पंजाब आदि हिस्से विद्रोह से अछूते रहे।

असफलता के कारण

- आधुनिक शस्त्रास्त्रों, जैसे- लंबी दूरी तक मार करने वाली बंदूकों एवं तोपों का अभाव।
- रेल, परिवहन, डाक तथा तार आदि पर ब्रिटिशों का अधिकार होना।

विद्रोह का विस्तार

विद्रोह का विस्तार तथा दमनकर्त्ता

प्रमुख केंद्र	नेतृत्वकर्त्ता	दमनकर्त्ता
दिल्ली	बहादुरशाह द्वितीय (प्रतीकात्मक), बख्त खाँ (वास्तविक)	निकलसन एवं हडसन
लखनऊ (हेनरी लॉरेंस की हत्या)	बेगम हजरत महल	कैंपबेल
कानपुर	नाना साहब,तात्या टोपे	कैंपबेल
झाँसी	रानी लक्ष्मीबाई	ह्यूरोज
इलाहाबाद	लियाकत अली	कर्नल नील
बिहार (जगदीशपुर)	कुँवर सिंह	विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर
बरेली	खान बहादुर खाँ	कैंपबेल
फैज़ाबाद	मौलवी अहमदुल्ला	कैंपबेल
फतेहपुर	अज़ीमुल्ला	जनरल रेनर्ड

प्रमुख मत

- **वी.डी. सावरकर :** भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम।
- **डिज़रायली :** राष्ट्रीय विद्रोह।
- **सर जॉन लॉरेन्स एवं सीले :** पूर्णतया सिपाही विद्रोह।
- **टी.आर. होम्स :** बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध।
- **बिपिन चंद्र :** विदेशी शासन से राष्ट्र की मुक्ति।
- **जवाहरलाल नेहरू :** यह सिपाही विद्रोह नहीं बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये भारतीय जनता का एक संगठित संग्राम था।
- **सर जेम्स आउट्रम :** मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम।
- **विलियम हॉवर्ड रसेल :** यह स्वतंत्रता संघर्ष नहीं बल्कि एक धार्मिक युद्ध था।

करेंट अफेयर्स से जुड़े

संभावित प्रश्न-उत्तर

(मुख्य परीक्षा के लिये)

खंड संयोजन- शशि भूषण (विवेक राही)

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

विश्व इतिहास

प्रश्नः उपनिवेशवाद के संदर्भ में, पश्चिमी शक्तियों द्वारा एशियाई तथा अफ्रीकी देशों पर आसानी से प्रभुत्व स्थापित करने के पीछे के कारणों को उल्लिखित कीजिये।

उत्तरः उपनिवेशवाद को 'एक शक्ति द्वारा किसी आश्रित क्षेत्र या नियंत्रण' के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उपनिवेशवाद वह स्थिति है जब एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को अपने अधीन कर लेता है तथा उसकी आबादी का दमन व शोषण करता है और प्रायः अपनी भाषा एवं सांस्कृतिक मूल्यों को वहाँ की जनता पर थोपता है। वर्ष 1914 तक विश्व के अधिकांश देश कभी न कभी यूरोपीयों द्वारा उपनिवेशित रहे थे।

एशियाई और अफ्रीकी देशों पर आसानी से आधिपत्य कायम करने के अनेक कारण हैं, जैसे-

- एशिया और अफ्रीका की साम्राज्यवादी विजय को आसान बनाने के पीछे सबसे महत्त्वपूर्ण कारण यह था कि विश्व के इस हिस्से तक औद्योगिक क्रांति नहीं पहुँच पाई थी। 19वीं शताब्दी में पश्चिमी देशों में होने वाले उत्पादन के तरीकों की तुलना में एशियाई और अफ्रीकी तरीके पिछड़े हुए थे।
- इसके साथ ही, औद्योगिक क्रांति से पश्चिमी देशों को प्राप्त हुए ज्ञान का इन दोनों महादेशों में अभाव था, जिसके कारण वे यूरोप की सशस्त्र सेना व शक्ति के सामने सैन्य दृष्टि से असमर्थ थे।
- यद्यपि मध्यकालीन युग में एशिया और अफ्रीका में शक्तिशाली साम्राज्य मौजूद थे, लेकिन 19वीं सदी में यहाँ की सरकारें अत्यधिक कमज़ोर थीं। 19वीं शताब्दी में भी शासन की प्राचीन पद्धति का ही अनुपालन किया जा रहा था, जबकि उसकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी थी।
- आधुनिक अर्थों में मज़बूत राष्ट्र-राज्य की भावना प्रबल नहीं हो पाई थी। जनता अभी भी सामंतवादी युग की तरह ही स्थानीय राजकुमारों या जनजातीय प्रमुखों के प्रति वफादार थी। ये शासक जनता की भलाई की परवाह बहुत कम करते थे।
- अफ्रीका में राज्यों के बीच तथा राज्यों के भीतर टकराव होते रहते थे। शासक अकसर अपने शत्रुओं को पराजित करने के लिये यूरोपीय लोगों की सहायता लेते थे।
- इसके अतिरिक्त विनिर्माण, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय वित्त जैसे मामलों में यूरोप का आर्थिक वर्चस्व था तथा 19वीं सदी में समुद्र पर उनके निर्विवादित प्रभुत्व जैसे कारणों ने भी यूरोप को एशिया तथा अफ्रीका पर प्रभुत्व करने में मदद की।

भौतिक भूगोल

प्रश्नः भूमि एवं जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन मानव विपत्तियों को प्रबल रूप से कम कर देगा। स्पष्ट कीजिये।

उत्तरः पृथ्वी पर संसाधन सीमित हैं परंतु दिन-प्रतिदिन बढ़ती आबादी के कारण संसाधनों की पूर्ति सभी के लिये मुश्किल हो रही है। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट-2016 के अनुसार हम पृथ्वी के मौजूदा संसाधन का डेढ़ गुना तेज़ी से उपभोग कर रहे हैं। यानी जो संसाधन 12 महीने में उपभोग होने चाहिये, वे 8 महीने में ही उपभोग हो रहे हैं। इसके कारण खनिज संसाधन, खाद्य पदार्थ, पेयजल इत्यादि की कमी हो रही है। पर्यावरण की हानि, फ्लोरा-फौना का तेज़ी से विनाश हो रहा है। यदि हमने अपनी आवश्यकता का उचित प्रबंधन नहीं किया तो जल्द ही हमारे सामने अस्तित्व बचाने की समस्या खड़ी हो जाएगी। इस कारण इस समस्या से निपटने हेतु बेहतर प्रयास की आवश्यकता है। भूमि एवं जल का प्रभावी इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकता है।

भूमि मानव ही नहीं वरन् इस पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जीवों की प्राथमिक आवश्यकता है। इस कारण इसके प्रभावी प्रबंधन से निम्नलिखित मानव विपत्तियों का समाधान संभव है-

- बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण तथा अवसंरचना की मांग के कारण कृषि भूमि की कमी होती जा रही है, जो खाद्य सुरक्षा हेतु समस्या बन सकती है। उपलब्ध डाटा एवं भूमि के मानचित्रण (Mapping) के माध्यम से बेहतर नियोजन किया जा सकता है, जो शहरीकरण, उद्योग एवं कृषि की आवश्यकता की पूर्ति कर सके।
- उपलब्ध भूमि के संपूर्ण डाटा की आवश्यकता, जिसके लिये जीपीएस एवं जीआईएस तकनीक का सहारा लिया जा सकता है। इससे भूमि की उपलब्धता एवं उसके उपभोग की प्राथमिकता तय की जा सकती है।
- कृषि हेतु सामुदायिक कृषि, कृषि वानिकी, चरागाह, नदियों एवं नहरों के किनारे वृक्षारोपण, पशुपालन आदि पर्यावरण के साथ ही रोज़गार संबंधी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं।
- स्मार्ट शहर के माध्यम से नगरीय जनसंख्या हेतु बेहतर आवास, जल-मल प्रबंधन तथा बेहतर यातायात को सुनिश्चित किया जा सकता है।
- मानव के अस्तित्व हेतु जंगल एवं प्राणियों का अस्तित्व भी आवश्यक है। वनारोपण के 33 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति, साथ ही विभिन्न प्राणियों की सुरक्षा हेतु उनके आवासों में उनका संरक्षण प्रभावी भूमि प्रबंधन के द्वारा ही संभव है।

कहा जाता है कि 'जल ही जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं' जो जल के उचित प्रबंधन की महत्ता को व्यक्त करता है, क्योंकि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल की लगभग 2.5 प्रतिशत मात्रा ही पीने योग्य है। इस कारण इस अनमोल संपदा का प्रभावी प्रबंधन आवश्यक है।

- कृषि (ड्रिप सिंचाई प्रणाली), उद्योग तथा मानव उपयोग हेतु जल की उचित मात्रा के आवंटन द्वारा इसके दुरुपयोग को रोका जा सकता है।
- कृषि की उचित तकनीक, क्षेत्र एवं जल की उपलब्धता के अनुकूल फसल आदि कृषि में जल के प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित कर सकते हैं।

भारतीय इतिहास

टारगेट प्रिलिम्स 2021: पहली कड़ी

प्रिय अभ्यर्थियो,

टारगेट प्रिलिम्स की पहली कड़ी में भारतीय इतिहास से संबंधित पाठ्य-सामग्री को संकलित किया गया है। ध्यातव्य है कि संघ लोक सेवा आयोग तथा विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में इतिहास खंड से काफी प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है। इसलिये प्रारंभिक परीक्षा में सफलता के लिये यह खंड विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

इस खंड में भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत तथा आधुनिक भारत के इतिहास को क्रमबद्ध रूप से संकलित किया गया है। इस बात पर भी विशेष बल दिया गया है कि परीक्षाओं में उनके महत्त्व के अनुसार विभिन्न खंडों पर सामग्री हो। उदाहरण के लिये, चूँकि आधुनिक भारत से अधिक प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है, इसलिये इस खंड पर अधिक बल दिया गया है।

सामग्री को तैयार करते समय इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम को उससे संबद्ध संकल्पनाओं के साथ प्रस्तुत किया जाए ताकि सहजतापूर्वक संपूर्ण इतिहास की तैयारी हो जाए। फिर काल-विशेष के अनुसार ही राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक विश्लेषण पर बल दिया गया है। उदाहरण के लिये, जहाँ संगमकालीन समाज पर विशेष बल दिया गया है, वहीं मुगलों के प्रशासन पर विस्तृत चर्चा की गई है। अतः संपूर्ण इतिहास की तार्किक समझ तथा कम समय में रिवीज़न के लिये यह सामग्री अत्यंत उपयोगी है।

प्राचीन भारत का इतिहास

प्रागैतिहासिक काल
- लिखित साक्ष्य अनुपलब्ध
- पुरातात्त्विक साक्ष्य उपलब्ध

पाषाणकाल

आद्य ऐतिहासिक काल
- लिखित साक्ष्य उपलब्ध
- किंतु लिपि गूढ़ एवं अस्पष्ट

सैंधव सभ्यता

ऐतिहासिक काल
- पुरातात्त्विक एवं साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध
- लगभग 600 ई. पू. के बाद का काल
- प्राचीनतम लिखित साक्ष्य अशोक के अभिलेख

पुरापाषाण काल
(5 लाख-10 हज़ार ई. पू.)

मध्यपाषाण काल
(10 हज़ार-8 हज़ार ई. पू.)

नवपाषाण काल
(लगभग 8000 ई. पू.)

निम्न
(5,000,00–50,000 ई. पू.)
- उत्तर-पश्चिम में सोहन नदी या पेबुल-चॉपर चापिंग संस्कृति और दक्षिण भारत की हेण्डएक्सक्लीवर तथा भीमबेटका बेलन घाटी इत्यादि।

मध्य
(50,000–40,000 ई. पू.)
- बेतवा घाटी, सोन घाटी, कृष्णा घाटी, बेलन घाटी तथा नेवासा आदि।

उच्च
(40,000–10,000 ई. पू.)
- बेलन घाटी, रेनीगुंटा, सोन घाटी तथा सिंहभूम आदि।

- उद्‌भव ताम्रपाषाण काल में
- इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं
- यह एक नगरीय सभ्यता थी

आरंभिक हड़प्पा सभ्यता
(3500–2350 ई. पू.)

परिपक्व हड़प्पा सभ्यता
(2350–1750 ई. पू.)

उत्तर हड़प्पा सभ्यता
(1750 ई. पू. से आगे)

प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत

प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत

पुरातात्त्विक स्रोत

- अभिलेख
- स्मारक एवं भवन
- सिक्के
- मूर्तियाँ
- चित्रकला
- मुहरें

साहित्यिक स्रोत

भारतीय साहित्य

धार्मिक साहित्य

ब्राह्मण साहित्य

वेद
- ऋग्वेद
- यजुर्वेद
- सामवेद
- अथर्ववेद

ब्राह्मण ग्रंथ
- ऐतरेय
- कौशीतकी
- गोपथ आदि।

आरण्यक
- तैत्तिरीय
- मैत्रायणी
- ऐतरेय आदि।

उपनिषद्
- छांदोग्य
- कठ
- बृहदारण्यक आदि।

वेदांग
- शिक्षा
- कल्प
- व्याकरण
- निरुक्त
- छंद
- ज्योतिष

उपवेद
- आयुर्वेद
- धनुर्वेद
- गंधर्ववेद
- शिल्पवेद आदि।

षड्दर्शन
- सांख्य
- योग
- न्याय
- वैशेषिक
- पूर्वमीमांसा
- उत्तर मीमांसा

महाकाव्य
- रामायण
- महाभारत

पुराण
- विष्णु पुराण
- भागवत् पुराण
- शिव पुराण
- गरुड़ पुराण आदि।

स्मृति
- मनुस्मृति
- नारद स्मृति
- याज्ञवल्क्य स्मृति आदि।

बौद्ध साहित्य
- सुत्तपिटक
- विनयपिटक
- अभिधम्मपिटक
- मिलिंदपण्हो
- बुद्धचरित
- दिव्यावदान आदि।

जैन साहित्य
- परिशिष्टपर्वन
- भद्रबाहुचरित
- भगवतीसूत्र
- कल्पसूत्र आदि।

धर्मनिरपेक्ष साहित्य
- कौटिल्य का अर्थशास्त्र
- कल्हण की राजतरंगिणी
- पाणिनी का अष्टाध्यायी
- विशाखदत्त का मुद्राराक्षस
- कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम्, मालविकाग्निमित्रम्, रघुवंश, मेघदूत
- बाणभट्ट का हर्षचरित, कादंबरी आदि।

संगम साहित्य
- तिरुकुरल
- शिलप्पादिकारम्
- मणिमेखलै
- जीवक चिंतामणि आदि।

विदेशी साहित्य (विदेशी यात्रियों के विवरण)

यूनान एवं रोम के लेखक →
- मेगस्थनीज
- टॉलेमी
- हेरोडोटस
- नियार्कस
- अरिस्टोबुलस आदि।

चीनी लेखक →
- फाहियान
- ह्वेनसांग
- इत्सिंग आदि।

अरबी लेखक →
- अल सुलेमान
- अल-मसूदी
- इब्न बतूता आदि।

आधुनिक भारत

उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य

- लगभग 200 वर्षों के शासन के पश्चात् 18वीं सदी के पूर्वार्द्ध में मुगल शासन का विघटन शुरू हो गया।
- औरंगज़ेब की मृत्यु के पश्चात् उसके तीनों पुत्रों मुअज़्ज़म, मुहम्मद आज़म तथा मुहम्मद कामबख़्श में उत्तराधिकार के लिये युद्ध हुआ, जिसमें 65 वर्षीय बहादुरशाह (मुअज़्ज़म) विजयी रहा।

बहादुरशाह प्रथम (मुअज़्ज़म) (1707-1712)

- बहादुरशाह प्रथम एक योग्य एवं विद्वान व्यक्ति था। वह समझौते तथा मेल-मिलाप की नीति का अनुसरण करके शाही दरबार के अधिकांश गुटों का सहयोग प्राप्त करने में सफल रहा।
- इसने औरंगज़ेब द्वारा अपनाई गई संकीर्णतापूर्ण नीतियों के उलट हिंदू सरदारों व राजाओं के प्रति सहिष्णुतापूर्ण नीति अपनाई।
- इसने मराठों तथा राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई। 1707 ई. में इसने **शम्भाजी के पुत्र शाहू को मुगल कैद से मुक्त** कर दिया।
- बहादुरशाह ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल-मिलाप के संबंध स्थापित किये एवं उन्हें संतुष्ट करने के लिये गुरु के सम्मान में खिलअत एवं उच्च मनसब प्रदान किये।
- किंतु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात् एक सिख नेता **बंदा बहादुर** के नेतृत्व में पंजाब में सिखों ने बगावत कर दी, इससे तंग आकर बहादुरशाह ने सिखों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया।

जहाँदार शाह (1712–1713)

- 1712 ई. में बहादुरशाह की मृत्यु के पश्चात् जहाँदार शाह शासक बना। जहाँदार शाह को सिंहासन प्राप्त करने में **जुल्फिकार खाँ** का सहयोग प्राप्त हुआ।
- इसने मुगल साम्राज्य को मज़बूत बनाने के उद्देश्य से राजपूत राजाओं एवं मराठा सरदारों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किये।
- जहाँदार शाह ने **आमेर के राजा सवाई जयसिंह को मालवा का सूबेदार** नियुक्त किया तथा 'मिर्ज़ा' की उपाधि दी, साथ ही मारवाड़ के राजा **अजीत सिंह को गुजरात का सूबेदार** तथा महाराजा की उपाधि प्रदान की।
- 1713 ई. में जहाँदार शाह का भतीजा **फर्रुखसियर सैयद बंधुओं के सहयोग** से उसे परास्त कर सिंहासन पर बैठा।

फर्रुखसियर (1713–1719)

- फर्रुखसियर को सत्ता सैयद बंधुओं- अब्दुल्ला खाँ तथा हुसैन अली बाराह के कारण प्राप्त हुई थी।
- फर्रुखसियर के शासनकाल में सिख नेता **बंदा बहादुर की हत्या** कर दी गई।
- सैयद बंधुओं ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया तथा प्रशासन में मुसलमान सरदारों के साथ हिंदू सरदारों का भी सहयोग प्राप्त किया।
- सैयद बंधुओं के प्रभाव से भयभीत होकर फर्रुखसियर इनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगा जिसका पता लग जाने पर सैयद बंधुओं ने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ तथा मारवाड़ शासक अजीत सिंह के सहयोग से फर्रुखसियर को उसके पद से हटाकर उसकी हत्या कर दी।
- फर्रुखसियर की मृत्यु के पश्चात् रफी-उद्-दरजात और रफीउद्दौला अत्यंत कम समय के लिये गद्दी पर बैठे।

मुहम्मद शाह (1719–1748)

- मुहम्मद शाह के शासनकाल में **अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय** हुआ, जिसमें **मुर्शिद कुली खाँ ने बंगाल, सआदत खाँ ने अवध, निज़ामुलमुल्क ने हैदराबाद, बदनसिंह ने भरतपुर तथा मथुरा, बंगश नवाबों ने फर्रूखाबाद** में अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की।
- मुहम्मद शाह के शासनकाल में **नादिरशाह** का आक्रमण हुआ।
- **1739 ई. को करनाल में हुए युद्ध** में मुगलों की हार हुई तथा मुहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया।
- नादिरशाह भारत से ₹ 70 करोड़ के अतिरिक्त **कोहिनूर हीरा** तथा **शाहजहाँ का रत्नजड़ित सिंहासन तख्ते-ताऊस** भी अपने साथ ले गया।

शाह आलम द्वितीय (1759–1806)

- इसने 1764 ई. में हुए **बक्सर के युद्ध** में **मीर कासिम** तथा अवध के नवाब **शुजाउद्दौला** के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ाई लड़ी।
- बक्सर के युद्ध में कंपनी से पराजित होने के पश्चात् हुई **इलाहाबाद की संधि** के प्रावधानों के अनुरूप इसे कई वर्षों तक इलाहाबाद में अंग्रेज़ों का पेंशनयाफ्ता बनकर रहना पड़ा।
- 1772 ई. में **मराठों के सहयोग** से इसे दिल्ली के सिंहासन की प्राप्ति हुई। इसी के शासनकाल में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया।

अकबर द्वितीय (1806–1837)

- शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र अकबर द्वितीय अगला मुगल बादशाह बना।
- वह अंग्रेज़ों के संरक्षण से बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था।
- अकबर द्वितीय ने ही राजा राममोहन राय को 'राजा' की उपाधि दी।

बहादुरशाह द्वितीय (1837–1857)

- अकबर द्वितीय के पश्चात् **बहादुरशाह द्वितीय** (1837–1857) मुगल सत्ता पर काबिज़ हुआ, यह **अंतिम मुगल** शासक था।
- 1857 के संग्राम में विद्रोहियों का साथ देने के कारण इसे **रंगून** निर्वासित कर दिया गया, जहाँ 1862 ई. में इसकी मृत्यु हो गई।

18वीं शताब्दी में स्थापित हुए नवीन स्वायत्त राज्य

18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के अवशेषों पर अनेक राजनीतिक शक्तियों ने कई स्वतंत्र और अर्द्ध-स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की- जिनमें बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर तथा मराठा आदि प्रमुख हैं।

हैदराबाद

- हैदराबाद राज्य की स्थापना **1724 ई. में निज़ामुलमुल्क** द्वारा की गई थी।
- इसने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई। इसने एक हिंदू पूरनचंद को अपना दीवान नियुक्त किया।

'आपके पत्र'

मैं पिछले महीने से ही दृष्टि करेंट अफेयर्स का नियमित पाठक हूँ। वैसे मेरे लिये करेंट अफेयर्स सबसे बड़ी कमज़ोरी थी मैने जैसे ही इसको पढ़ना प्रारंभ किया तो मेरी करेंट अफेयर्स की समस्या हल हो गई। वैसे तो आईएएस अधिकारी बनने का सपना नहीं था पर इस मैगज़ीन में टॉपर से बातचीत व डॉ. विकास दिव्यकीर्ति सर का 'संपादक के कलम से' खंड ने जीवन को नई दिशा प्रदान की और मै अब एक आईएएस अधिकारी बनने की ओर अग्रसर ही हूँ। यह एक तरह का रामबाण है। इसमें योजना, कुरुक्षेत्र के लेख बहुत सरल भाषा में है। मुझे अब न तो 'The hindu' पढ़ने के ज़रूरत पड़ती है और न ही अन्य Newspaper की। समय की बहुत बचत भी हो जाती है मेरी राय है कि जो भी विद्यार्थी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिये तो यह उपयोगी है ही साथ, ही जो विद्यार्थी अन्य कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिये भी बहुत ही उपयोगी है।

-यतेंद्र सिंह (पुरस्कृत पत्र)

मैं वर्ष 2019 से 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' का नियमित पाठक रहा हूँ। और जैसा कि डॉ. विकास सर के लेक्चर देखे हैं उनके साथ-साथ यह मैगज़ीन बड़ी ही मज़ेदार रही है। इसमें टॉपर की बातें और विकास सर के लेख बड़े ही प्रभावकारी होते हैं। विषय के रिवीज़न में भी अच्छी मददगार साबित हुई है। और इसमें कुरुक्षेत्र और योजना के लेख भी बड़े ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं। मानचित्र, माइंड मैप, क्लासिक पुस्तकों का संकलन भी मेरी बहुत मदद करता है। यह मैगज़ीन समसामयिक घटनाओं पर एक अच्छी मज़बूत पकड़ बनाने के लिये अनिवार्य है।

-रवि अहिरवार, गुना, मध्य प्रदेश

मैं पिछले 2 सालो से दृष्टि मैगज़ीन का नियमित पाठक हूँ। यह मैगज़ीन यूपीएससी व अन्य राज्य सेवा आयोग के लिये वरदान है। विकास दिव्यकीर्ति सर का 'संपादक की कलम से' खंड हर बार कुछ न कुछ नया सिखाता है जो ज़िंदगी के पन्नों मे एक नया खंड और जोड़ देता है। 'टॉपर से बातचीत' आत्मविश्वास बढ़ा देता है। इसके लेख, निबंध, जिस्ट, माइंड मैप और परीक्षा-विशेष जैसे खंडों मे विषयवार दी गई जानकारी हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिये बेहतर है। हिंदी माध्यम में इससे बेहतर मैगज़ीन कोई दूसरी नहीं है। दृष्टि टीम को मेरा धन्यवाद..

-ओमप्रकाश वर्मा (भिलाई, छत्तीसगढ़)

जब मैंने 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' पत्रिका को पढ़ा तब मुझे पता चला कि UPSC के इस दीर्घकालिक संघर्ष में यह पत्रिका ही वह अमोघ अस्त्र है जो इसके त्रिस्तरीय चक्रव्यूह को धराशायी करने में उपयोगी है। जहाँ इसके 'लेख' परीक्षा की तैयारी के साथ हमें सोचने का एक नया ही नज़रिया प्रदान करते हैं तो वहीं 'संपादकीय', 'निबंध' व 'टॉपर का इंटरव्यू' हमें जीवन मूल्य सिखाते हैं और मार्गदर्शक एवं प्रेरणा का कार्य भी करते हैं। 'करेंट अफेयर्स' और 'फैक्टशीट' जहाँ हमें परीक्षा हेतु अपडेट करते हैं तो वहीं 'जिस्ट' हमें अनेक पत्रिकाओं को छानने से बचाकर हमारे समय, शक्ति को सही दिशा में लगाने का भी कार्य करती है। 'क्लासिक पुस्तकें' और 'निबंध प्रतियोगिता' तो विद्यार्थियों के लिये उपहार ही हैं।

-अंकुर शास्त्री

मैं पिछले कुछ वर्षों से 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' का पाठक हूँ। हिंदी माध्यम में सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले लोगों के लिये यह मैगज़ीन एक वरदान है क्योंकि इसमें सभी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाओं को संपूर्ण रूप से कवर किया जाता है। यह एक उच्च गुणवत्ता के साथ हम लोगों के सामने प्रस्तुत होती है जिसमें फैक्टशीट, क्लासिक पुस्तकों आदि के माध्यम से हमें कुछ नया सीखने को मिलता है।

-रवि शंकर तिवारी

मैं हमेशा से ही आईएएस परीक्षा में हिंदी माध्यम का परिणाम देखकर और मैटेरियल की कम उपलब्धता को देखकर हतोत्साहित होती रही हूँ। लेकिन पिछले 3-4 माह से 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' पत्रिका पढ़कर मैंने पाया है कि हिंदी माध्यम के लिये अच्छी गुणवत्ता की पुस्तक-पत्रिकाओं का अभाव अब पुरानी बातें हो गई हैं। इस पत्रिका में विकास सर के ऊर्जामयी लेख से लेकर अनेक उपयोगी पत्रिकाओं का सार, विभिन्न लेख, माइंड मैप, महत्त्वपूर्ण तथ्य आदि का सुंदर समावेश होना तथा उनका भी मूलतः हिंदी भाषा में लिखा हुआ होना, निश्चय ही हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिये किसी संजीवनी से कम नहीं है। ***-मेघा गोयल***

हिंदी के सही शब्दों का चयन एवं भाषा पर पकड़ का श्रेय मैं दृष्टि मैगज़ीन को दूंगा। मैं आपके लेखों को पढ़कर, आज मुद्दों को दोनों पक्षों से देखने का नज़रिया रखता हूँ। मैगज़ीन में संक्षिप्तियाँ खंड बेहद सुविधाजनक है। इसमें वो सभी मिल जाता है जो अमूमन चर्चाओं में छिपे पहलू होते हैं, लेकिन परीक्षा के लिहाज़ से ज़रूरी हैं। धन्यवाद। ***-जय भूषण***

इनके भी पत्र मिले- *प्रकाश, दिनेश सिंह नेगी, सुमित चंद्र वर्मा।*

आप सभी पाठकों की बहुमूल्य प्रतिक्रिया के लिये हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपकी प्रतिक्रियाएँ हमें हौसला देती हैं एवं निरंतर बेहतर करने के लिये प्रोत्साहित करती हैं। आप अपनी प्रतिक्रियाएँ कार्यकारी संपादक की ई-मेल आईडी *purushottam@groupdrishti.com* पर भेजें। आपकी चुनिंदा प्रतिक्रियाओं को हम आपके नाम के साथ मैगज़ीन में छापेंगे तथा सर्वश्रेष्ठ प्रतिक्रिया भेजने वाले को उपहारस्वरूप अगले तीन महीने की मैगज़ीन भेजेंगे।

धन्यवाद

दृष्टि The Vision

प्रयागराज शाखा की अभूतपूर्व सफलता के बाद

अब दृष्टि आई.ए.एस

गुलाबी नगरी जयपुर में भी....

ताकि दिल्ली न आ सकने वाले विद्यार्थियों को मिल सके
दिल्ली जैसी गुणवत्ता उनके अपने ही शहर में

पाठ्यक्रम : IAS और RAS/RTS (दोनों परीक्षाओं के लिये पृथक-पृथक विशेषीकृत बैच)

माध्यम : हिंदी व अंग्रेज़ी (दोनों माध्यमों के लिये पृथक बैच)

IAS प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2021

कुल 30 टेस्ट
- सामान्य अध्ययन
  - 20 सेक्शनल टेस्ट
  - 5 संपूर्ण पाठ्यक्रम टेस्ट
- सीसेट : 5 टेस्ट

- एडमिशन आरंभ
- अंग्रेज़ी व हिंदी माध्यम
- प्रथम टेस्ट सभी के लिये निशुल्क

अधिक जानकारी के लिये अपने एंड्रॉयड फोन पर आज ही इंस्टॉल करें

Drishti Learning App

RAS/RTS सीरीज़ की पुस्तकें

आगामी प्रस्तुति

शीघ्र ही आपके नज़दीकी बुक स्टॉल, दृष्टि लर्निंग ऐप एवं drishtiias.com पर उपलब्ध

Postal Regn. No. : DL(N)/353/2019-21
Posted at New Subji Mandi
PO Delhi, 9-10 January, 2021
ISSN: 2455-6025 RNI : DELHIN/2015/63103 Publishing Date : 4th January, 2021

हिंदी साहित्य

द्वारा- डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

मोड : ऑनलाइन / पेन ड्राइव

IAS परीक्षा में सर्वाधिक अंकदायी वैकल्पिक विषय 'हिंदी साहित्य' पढ़िये सिविल सेवा जगत के सबसे लोकप्रिय शिक्षक डॉ. विकास दिव्यकीर्ति से। इस कोर्स में शामिल हैं क्लासरूम कोर्स की सभी रोचक कक्षाएँ, जिनमें IAS का संपूर्ण पाठ्यक्रम एकदम आधारभूत स्तर से शुरू करते हुए पढ़ाया गया है। इन कक्षाओं को गंभीरता से करने और क्लास नोट्स (जो आपके पास भेजे जाएंगे) को पढ़ने के बाद आपको कुछ भी अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। इन कक्षाओं से परीक्षा की तैयारी तो होगी ही, साथ ही जीवन के प्रति सुलझा हुआ नज़रिया भी विकसित होगा।

यह कोर्स ऑनलाइन मोड (ऐप) के अलावा पेन ड्राइव मोड में भी उपलब्ध है। यदि आप इंटरनेट नेटवर्क की कमी या किसी अन्य कारण से यह कोर्स मोबाइल फोन की बजाय लैपटॉप/कंप्यूटर या टैबलेट पर करना चाहते हैं तो कृपया ऐप के होम पेज पर जाकर पेनड्राइव कोर्स की टैब पर क्लिक करें।

एडमिशन प्रारंभ

कक्षाओं की गुणवत्ता को परखने के लिये डेमो वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल **Drishti IAS** की प्लेलिस्ट **Online Courses** में देखें

ऑनलाइन कोर्स से जुड़ी हर जानकारी के लिये हमारी वेबसाइट **www.drishtiias.com** या **Drishti Learning App** पर **FAQs** पेज देखें

इस कोर्स से संबंधित किसी भी अतिरिक्त जानकारी के लिये 9311406440-41 नंबर पर सीधे बात या मैसेज करें

हिंदी साहित्य : कोर्स की विशेषताएँ

1. UPSC के पाठ्यक्रम के लिए 400+ घंटे की कक्षाएँ।
2. UPPCS एवं BPSC के विशिष्ट टॉपिक्स के लिये 30-30 घंटे की पृथक कक्षाएँ।
3. प्रत्येक कक्षा को 3 बार देखने की सुविधा, ताकि आप टॉपिक को पढ़ने के बाद रिवीज़न भी कर सकें।
4. हर क्लास में उस टॉपिक से IAS, PCS में पूछे गए और अन्य संभावित प्रश्नों का विस्तृत अभ्यास।
5. स्टेट-ऑफ-द-आर्ट कैमरा और साउंड क्वालिटी, जो क्लास के अनुभव को एकदम वास्तविक जैसा बनाती है।
6. पाठ्यक्रम की टेक्स्ट बुक्स व नोट्स भी इस कार्यक्रम में शामिल, जिनके अलावा किसी अन्य अध्ययन सामग्री की आवश्यकता नहीं।

अधिक जानकारी के लिये अपने एंड्रॉयड फोन पर आज ही इंस्टॉल करें

Drishti Learning App

- करेंट अफेयर्स से जुड़े दैनिक अपडेट्स के लिये देखें हमारी वेबसाइट : drishtiias.com, हमारा YouTube चैनल और Drishti Learning App
- अब आप 'दृष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' को Drishti Learning App से भी खरीद सकते हैं।

ISSN 2455-6025
9 772455 602504